NREGA as an Inclusive tool for Development

D. Ashok kumar
Doctoral Fellow, CSSEIP, School of Social Sciences, University of Hyderabad

Introduction : The attempt by institutions of the State to provide employment is not new in countries like India. Only the nature of the programmes has differed over the decades. During the colonial period, the devastating impact of famines forced the British administrators to reconsider some of their long held beliefs that providing subsidies during a crisis would make people more lazy. The Famine Commission appointed in 1859 noted that "Indian famines are not famines of food but famines of work". Gradually the British evolved a system wherein during famines they would offer work in which instead of wages, they will provide food rations. India has a rich history of wage employment programmes over the decades. These include Rural Manpower (RMP) 1960-61, Crash scheme for Rural Employment (1971-72), National Rural Employment Programme (NREG), Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP), Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) and National Food for Work programme.

The National Rural Employment Guarantee Act, NREGA, is a rights based social security legislation that was notified on 7 September 2005. It was implemented in a phased manner with the first phase notified on 2February 2006 for 200 districts. In the second phase 130 additional districts were notified. It was subsequently renamed Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. The Act guarantees work for a fixed number of days to people in rural areas. Since it is rights and demand based work, the Act assures, at least on paper that work will be provided within 15 days of demand. The act guaranteed 100 days of employment in a financial year for unskilled manual labour at wages notified by the government. The underlying twin objective was provision of wage employment in rural areas and a concurrent building up of durable assets based on the local conditions and needs. The importance of NREGA rests in the fact that by its design and conceptualisation it is inclusive in nature with a focus on the poorest sections with a supervisory network from the panchayat and the administrative machinery.

Participation in NREGA

NREGA is one the largest entitlement programme of its kind in the world. It has led to a paradigm shift in the labour markets in post-harvest rural India. The post-harvest period is considered a 'lean period' where economic activity decelerates in rural areas.It has generated more than 2300 crore person days of employment entailing a total expenditure of more than Rs.3.90 lakh crores since its inception. Most of the beneficiaries are women and Dalit sections of the populace. As per recent statistics, NREGA is currently implemented in 685 districts across the country spread over 6,863 blocks and 262,838 gram panchayats. A total of 12.49 crore job cards have been issued to a total of 25.18 crore workers. Approximately half or 6.64 crore job cards are active in which about 10.29 crore workers are participating[1].

The inclusiveness is visible in the nature of works and the modalities in the implementation process wherein grassroots empowerment along with providing employment and creating durable assets are emphasised. The nature of works include those related to water management, water conservation, drought proofing, flood protection, land development, minor irrigation, rural roads and connectivity, sustainable agriculture, livestock, fisheries, rural sanitation,

[1]NREGA Dashboard (Accessed on 12 May 2017) http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard_new.aspx

solid and liquid waste management[2]. Paramathesh, et al (2008) opine that NREGA "is a development initiative, chipping in with crucial public investments for creation of durable assets, without which the growth process will not get the requisite momentum in the most backward regions of rural India. The emphasis on water conservation, drought and flood proofing is also critical as it underscores water security as the pre-requisite and foundation for rural transformation", further they argue that "with certain modifications, the NREGA programme holds out the prospect of not only transforming livelihoods of the poorest people of our country but also heralding a revolution in rural governance in India"[3].

Convergence is stressed in the programme and the works are to be designed in such way that labour cost should be not more than 40 percent of the cost of the work. The inclusiveness of the programme is largely responsible for the large scale participation in the programme. The following table highlights the participation of the large numbers in the programme.

Table 1
Progress Report of NREGA in India (as on 12 May 2017)

Progress of NREGA	FY 2017-2018	FY 2016-2017	FY 2015-2016	FY 2014-2015	FY 2013-2014
Approved Labour Budget[In Cr]	215.5	220.9274	239.112	220.67	258.57
Persondays Generated so far[In Cr]	14.82	235.3584	235.1465	166.21	220.37
% of Total LB	6.88	106.53	98.34	75.32	85.23
% as per Proportionate LB	29.24	0	0	0	0
SC persondays % as of total persondays	19.97	21.26	22.29	22.4	22.81
ST persondays % as of total persondays	18.18	17.6	17.8	16.97	17.52
Women Persondays out of Total (%)	55.93	56.1	55.26	54.88	52.82
Average days of employment provided per Household	14.34	46	48.85	40.17	45.97
Average Wage rate per day per person(Rs.)	160.16	161.69	154.08	143.92	132.7
Total No of HHs completed 100 Days of Wage Employment	1,045	39,73,148	48,47,975	24,92,654	46,59,347
Total Households Worked[In Cr]	1.03	5.1167	4.8134	4.14	4.79
Total Individuals Worked[In Cr]	1.4	7.6542	7.2261	6.22	7.39
Differently abled persons worked	1,07,090	4,68,329	4,59,597	4,13,316	4,86,495

Source: NREGA Dashboard; Data as on 12 May 2017

[2]NREGA Dashboard (http://nrega.nic.in/Circular_Archive/archive/guidelines_for_New_works.pdf)
[3]Pramathesh Ambasta, P S Vijay Shankar, Mihir Shah, "Two Years of NREGA: The Road Ahead", *Economic and Political weekly*, 23 February 2008, pp.41-50.

The participation in NREGA in Andhra Pradesh is given in the table below.

Table 2
District wise NREGA outcome in Andhra Pradesh 2015 to Present

District	No of Households who demanded employment	No of Households provided employment	Average person days per household	No of households availed 100 days employment
Ananthapur	334262	274421	63.50	59198
Chittoor	221554	187039	57.64	37925
Cuddapah	229850	188423	53.28	24353
East Godavari	341633	319149	35.99	10918
Guntur	290108	234796	26.85	3919
Krishna	244606	185796	27.16	3533
Kurnool	323855	241560	45.28	22427
Nellore	240010	179960	44.75	18248
Prakasam	406607	338993	44.62	26434
Srikakulam	408072	347398	51.01	31119
Vishakhapatnam	207497	303983	58.26	40646
Vizianagaram	305990	350449	54.09	26022
West Godavari	265775	230591	36.04	7967
Grand Total	3819819	3382558	46.68	312709

Source: NREGA Dashboard as on 12 May 2017; Data is for the period after bifurcation.

NREGA and Inclusion

The type of works undertaken in NREGA is complemented by the planning process that lays emphasis on local body empowerment and large scale participatory democracy. There has been much debate on the impact of NREGA, especially in the labour markets and its role on poverty alleviation though not much focus has gone into an analysis on its role to build a more inclusive economy. The sheer numbers of poor taking advantage of NREGA is an indicator of the inclusiveness of the programme. Any programme of inclusion needs to include in its broader scope its ability to help the poorest sections, viz., the Dalits and women in the Indian context as well as to bring out transparency while concurrently possessing the ability to include the gram panchayats which are grass roots elected representatives. Apart from these factors a parameter for inclusion is the changes that any programme introduces in the larger labour market and the programmes ability to facilitate better bargaining power to those it is targeted towards.

The importance of NREGA as an inclusive tool is reflected its ability to help the landless agricultural labourers in the rural areas. NSSO reports attest to the important role of MGNREGA in this direction: about 44 percent of the total agricultural households in the country possessed a MGNREG job card[4] while in the case of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal it was more than 65

[4]*NSS Report, 70th Round (January – December 2013), "Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India"*, Ministry of Statistics and Programme Implementation, New Delhi, 2014, p.16

percent[5]. The importance of this in the labour market is substantial and often overlooked. The significance of NREGA is that it tends to provide employment during the lean period (post-harvest summer months) in the rural areas. The significance which is further reflected in the success of NREGA is that it reduces the need to undertake distressed migration on the part of rural landless agricultural labourers. In the process it offers them a better bargaining position vis-à-vis the local labour market. Distressed migration for work in the pre-NREGA days meant pressure on the labour markets in urban areas due to the influx of rural migrants resulting in lower wages all round. Once NREGA came into effect and distressed migration reduced, it automatically means a tightness in labour supply in the urban labour markets if there is the slightest pickup in economic growth. This facet of NREGA has largely been missed and it is an important aspect of empowerment that expands the scope of inclusion. Sainath discourses that two major issues that confront the programme is (a) why only 100 days of work and, (b) the provision of work only to one member of the household while poor households often work and live as a collective[6]. Kamath aptly highlights certain important salient feature of NREGA. She proffers that NREGA therefore has to take into account the seasonality of agriculture and the part-time availability of workers. Not only will works have to be provided in the slack period of agriculture, but demand projections will have to be made taking into account the rainfall and agricultural performance for each year. Demand for works will also differ from region to region, depending upon the agro-climatic conditions. Since the NREGA has to be aligned closely to micro factors like agricultural output and agro-climatic conditions, its effective implementation will hinge on local community participation in planning of works and effective decentralisation (political, administrative and financial)[7].

India boarded on an aspiring attempt to fight rural poverty. The National Rural Employment Guarantee Act created a justified "right to work" for all households in rural India through the proper implementation of the scheme. Building inclusive societies are the enduring goal of the developed and developing countries of the world, to reach that goal every nation are implementing welfare policies to give some financial assistances to deprived sections in every societies. In the same government launched an exclusive and innovative scheme of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) for the welfare and inclusive of the most deprived sections in the society with the objective of eradication of poverty, suppression of migration, individual and social empowerment, to create assets for individual as well as community, building of inclusive societies and women empowerment with equal wages. Through these awesome objectives, the act is showing its impact on rural people in different aspects directly and indirectly for wellbeing of the rural poor, there was never such type of programs before NREGA emerged. The scheme has resulted in very positive impacts on Dalits which helps them to include in the mainstream society. Though the scheme mainly targets the enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing hundred days of wage employment in a financial year to a rural household whose volunteer to do unskilled manual work, it spreads its roots to various aspects that are creating the problem in the country like poverty, gender inequalities, empowerment of vulnerable groups, women empowerment, environment issue etc. Scheme played vital role in all these problems and succeed its best in curbing those problems.

---

[5] *NSS Report, 70th Round (January – December 2013), "Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India"*, Ministry of Statistics and Programme Implementation, New Delhi, 2014, p.17

[6] P Sainath, "NREGA: A Fine Balance", *The Hindu*, 2 June 2008 (http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/NREGA-A-fine-balance/article15234036.ece Website last visited 14 May 2017).

[7] Rajalaxmi Kamath, "National Rural Employment Guarantee Act: An effective safety net?", IIMB Management Review, Volume 22, Issue 1-2, March-June 2010, pp.42.-55.

Any discussion of NREGA and its inclusiveness will not be complete without a mention about the effort to bring in larger participation concurrent to transparency by way of social audits. Any attempt at inclusion should also be transparent thereby improving its implementation which in turn can bring all round efficiency. Social audit is the mechanism that has been built into the NREGA processes to improve transparency and bring about increased participation at the grass roots. The gram panchayat is expected to convene at least one such gram Sabha annually and this will work as a form of social it on the working of the programme. As in any other gram Sabha, the village officials are expected to place the records in the public domain which in turn can be accessed by any person who can raise issues that may have affected the programme.

The working of these social audits has been a matter of debate. Farzana Afridi opines that the bite in these community monitoring of programmes can vary across different states and it depends on the credibility of possible actions that could be taken against public servants found to be corrupt by the audits as the threat of sanctions creates pressures for better behaviour though political will on the part of the government machinery is punishing corrupt officials might result in greater impact on reducing errant behaviour[8]. However, Rajsekhar (2013) opines that they are not effective most of the time[9]. Gopal (2009) believes that the social audits have achieved much less than advertised and they have ignored many important aspects of implementation of NREGA and believes that the social audit process has a long way to go before it can claim to have contributed to transparency, empowerment and good governance[10].

This is not claim that the introduction of social audits has solved all the problems that NREGA faces in its implementation. As with any programme that involves millions of people, especially, the poorest with little or no education, there are and will be obstacles in its effective implementation. A more problematic issue for beneficiaries of NREGA is the issue of delayed payments which hinders it from becoming a more effective and inclusive programme. The law stipulates that payments for the job completed have to be completed within 15 days of the creation of the muster roll and any delays are to be compensated by way of additional compensatory payments. However, recent reports indicate that this does not happen at the ground level. Recent reports pointed out that in 2016-17 Rs.19455 crores worth of wages or about 55 percent of the total wages paid in that year were paid after the mandatory and stipulated days[11]. The delays can be contextualised in the fact that about Rs.3, 836 crores was paid after more than three months while another Rs.2, 758 crores was paid after two months. This indicates that delays tend to hurt the possibility of greater inclusion since it does not solve the problem of delayed payments for work completed in the lean season.Hence, there is an urgent need for the government to revisit the manner in which the government calculates compensation which presently require that the compensation is calculated only till the date on which the demand is raised by the district official rather than the actual date of payment.

The other inclusive aspect of NREGA that has been subject of much inclusion is the payment of wages through a bank account. This aspect of financial inclusion often tends to cut out intermediaries. The impact and importance of this inclusive aspect of NREGA has to be seen in the context of the roll out of the banking

---

[8] Farzana Afridi, "Can Community Monitoring Improve the Accountability of Public Officials?", *Economic and Political Weekly*, October 2008, pp.35-40

[9] http://www.isec.ac.in/WP%20294%20-%20D%20Rajasekhar.pdf

[10] KS Gopal "NREGA Social Audit: Myths and Reality", *Economic and Political Weekly*, January 17, 2009, pp.70-71.

[11] Government affidavit filed in Supreme Court cited in Business Standard, "Govt pares MNGRGA compensation for delay in payment of wages", http://www.business-standard.com/article/economy-policy/govt-pares-mnrega-compensation-for-delay-in-payment-of-wages-117050201458_1.html (website last visited 14 May 2017)

channel in the rural areas wherein various government benefits programmes are linked to the bank account.

Conclusion : NREGA, despite all its implementation related deficiencies has helped begin India's journey towards a more inclusive society. Due to the sheer scale and geographic scale of its implementation as well as the logistic-cum-administrative issues that it has to overcome means that the problems will be overcome only gradually. Despite all its drawbacks, NREGA has led to a paradigm shift in the way issues of inclusion of lower classes are dealt with in the country.

BIBLIOGRAPHY:

Afridi, Farzana (2008)., "Can Community Monitoring Improve the Accountability of Public Officials?", *Economic and Political Weekly*, October 2008, pp.35-40.

Ambasta, Pramathesh, Shankar Vijay PS, Shah, Mihir (2008) "Two Years of NREGA: The Road Ahead", *Economic and Political weekly,* 23 February 2008, pp.41-50.

Gopal, K S (2009), "NREGA Social Audit: Myths and Reality", *Economic and Political Weekly,* January 17, 2009, pp.70-71.

Kamath, Rajalaxmi (2010), "National Rural Employment Guarantee Act: An effective safety net?", IIMB Management Review, Volume 22, Issue 1-2, March-June 2010, pp.42.-55.

NSS Report, 70th Round (January – December 2013), "Key Indicators of Situation of Agricultural Households in India", Ministry of Statistics and Programme Implementation, New Delhi, 2014, p.16

Sainath, P (2008), "NREGA: A Fine Balance", *The Hindu*, 2 June 2008 (http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/NREGA-A-fine-balance/article15234036.ece Website last visited 14 May 2017).

Economic Impact of Aadhaar

Dr. S.Sudhakar Babu
Associate Professor, Human resource Development Centre, University of Hyderabad, Hyderabad.

Introduction : The passage of a Bill giving legal sanctity to Aadhaar (Formally known as Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill 2016) will be a cornerstone that will change the administrative and economic landscape of India in the next decade. As on 31 March 2016[12], 99.276 crore people were given the Aadhaar number - a number that has since crossed a Billion people or, a little more than 78% of Indians. The numbers surrounding Aadhaar are staggering by any standards and its importance increases when we consider the fact that 93% of adults have an Aadhaar number while 25.48 crore bank accounts, 9.5 crore Jan Dhan Accounts, 12.28 crore LPG consumers, 11.39 ration card holders and 5.9 crores MGNREGS card holders have their Aadhaar numbers seeded (linked). Such a stupendous success is only because of the strong support from the Central Government, various state governments and government institutions like RBI. Hence, there is no need to think that Aadhaar is a unique technocratic that was born and grew only because of the genius or vision of one or more individuals. Any enrolment or programme would have had a similar success if it had received such unstinted support over since its inception by successive governments irrespective of political affiliations. In fact, Aadhaar is the latest (although the biggest) in the series of technology programmes that various State governments and Central government have taken up over a period of time.

The expectations about the advantages of Aadhaar have long been propagated. These include its advanced technological characteristics, its biometric and iris scans, its de-duplication features – all of which will supposedly reduce corruption and help in improving the security landscape. While its ability to reduce corruption and improve public security may be far less than the advertised and expected, its importance lies in the fact that it is supposed to be a number that is de-duplicated – the first of its kind in India. Aadhaar (or for that matter any technology) is unlikely to lead to dramatic reduction in corruption because over the past few decades corruption become institutionalized and it has rapidly adapted to the underlying and changing socio-economic conditions. Even if Aadhaar meets half the expectations and if eventually every Indian has a number that is indeed unique, the economic change that it will unleash will be momentous in the history of India. In the next few years, the importance of Aadhaar will be magnified with the increased spread of smart phones and mobile internet. A recent study by CISCO[13] (the American networking giant) estimated that India will have about 65 crore smart phones by end of 2019 or about 40% of the total mobile users: this is an increase from the present 15 crores smart phones in a span of about 3 years.

Aadhaar has not come cheap. There are essentially two types of costs: (a) cost of the enrolment and its initial establishment and, (b) cost of integration – especially the challenge and cost of integrating existing databases and programmes with Aadhaar. It is the most expensive enrolment drive in the history of India. It has been estimated that by 2018 (when it expected to be completed) it will cost about

*

[12] Latest official figures are available upto 31 March 2016 only. https://uidai.gov.in/images/news/ranking_of_states_31032016.pdf

[13] http://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/india-to-have-651-million-smartphones-18-7-million-tablets-by-2019/articleshow/46112338.cms?intenttarget=no

Rs.18,000 crores – or about Rs.150 per enrolment. Integration with other, existing databases and programme will be more expensive but it will allow the creation of an ecosystem around which various useful applications can be built. As of now the total cost of the enrolment and integration are expected to cost approximately Rs.37,000 – a figure that will invariably go up by the time the project is complete.

It is expected that the introduction of Aadhaar will save the government huge amounts of money. The savings that accrue from the use of Aadhaar is controversial. While the government claims that till date it has already saved about Rs.14,672 crores by using Aadhaar through various DBT programmes a recent study by a Canadian agency[14] claimed that the government actually incurred a loss of Rs.97 crores. Other studies, however, give a large benefit for its implementation: a study by NIPFP claims that assuming that the present system has leakages that amount to 7-12% leakages, the internal rate of return in real terms from the implementation of Aadhaar could be as high as 52.85% over the long-term. However, it is too early to effectively compute or understand the costs or benefits of Aadhaar since the project is yet to be fully operational. For the government the economic benefits will far fewer than what has been thought till date. The best case scenario for Aadhaar is that it will allow de-duplication and will facilitate a one-time readjustment in the cost of expenditure of the government. The major benefit for the government is that it will allow cash transfer. Aadhaar will lead to a powerful change in system of subsidy delivery from the present system of providing tangible commodities and services including those related to social protection services. Though this will invariably have a political cost, it will lead to a major change in the manner in which administration will be carried out in the country. The immediate consequence is that it has made Direct Benefits Transfer (DBT) of subsidies from the government to the citizens possible. In the case of others like the public distribution system, it will create more inconvenience for the beneficiaries.However, the long-term benefits of DBT on the poor are as yet largely unstudied and most of the expectations are based on theoretical assumptions.

Large Benefits – in the long-term

Aadhaar will be a bigger game changer for businesses rather than for delivery of government services since it will soon facilitate a massive transformation of India from a country where there is too little or unreliable information about economic behaviour to one where there large amounts of information. Since the use of mobile and Aadhaar will invariably leave a digital footprint there will be sufficient amounts of opportunities to undertake advanced analytics to offer various kinds of products and services that will be built around behavioural patterns. Aadhaar will facilitate the creation of an ecosystem that will allow the building of such applications. As computing power gets cheaper by the day it will only make it easier for businesses to tap this feature. In other words, for the first time it offers the creation of a whole ecosystem that will facilitate customisation of various products and services. If State governments are able to invest and are to build up innovation and creativity in their way of working and in the introduction of new technology it will facilitate customisation of the services delivered by the government to citizens too. As a matter of abundant caution, it will be better if the government is able to prepare for such a high technology and data oriented computing period so that it can increasingly use analytics for the welfare of people.

Aadhaar will reduce transaction costs for many segments apart from facilitating the offering of various services (which now take a long time) to be delivered in real time or with a delay of a few minutes – for the first time in the history of India. Two immediate areas that will

[14] http://www.business-standard.com/article/economy-policy/canadian-agency-calls-govt-s-dbtl-savings-figure-a-large-overestimate-115100800115_1.html

benefit include the banking sector and telecom sector. MicroSave estimates point out that Aadhaar enabled e-KYC process for banking and telecom sector has the potential to save Rs.10,000 crores over the next five years. The revolution that it can bring about in money transfers and remittances is simply unimaginable. One of the advantages that it will create in the short-term is with Know Your Customer (KYC) norms. Aadhaar will with one stroke create facilitate e-KYC which will enable consumers to verify their KYC thereby reducing the costs. TRAI chairman, Ram Sevak Sharma (a former Director General of UIDAI) has pointed out that the cost of a mobile connection will virtually come down to zero once e-KYC of Aadhaar is implemented. Moreover, the authentication of the proof submitted in electronic form through the number can be authenticated online and completed in a matter of minutes.This could be only one of the benefits that may accrue. A large number of other benefits will emerge once the ecosystem is developed and the cost of transaction reduces and starts coming down. However, as of today, Aadhaar costs are not low because economies of scale have not come and there is a cost involved in establishing the ecosystem. As people and businesses start using it more the costs will decline. It remains to be seen if Indian businesses will pass on the benefits of lower costs to the consumer or will only use it to improve their margins. If the benefits of lower transaction costs are not passed onto the consumer then Indians will not benefit much from the introduction of Aadhaar. Hence, it is vital that the government forces businesses to progressively pass on the benefits of lower transaction costs to the consumers. The net result of all this will be a huge shortening of the business and trade cycle in India – at a hitherto unimaginable speeds since a large part of the business and trade value chain can now move from a few hours or days to minutes.

The biggest contribution of Aadhaar is likely to be that it will help propel India towards a cashless economy at a much faster pace than was hitherto imagined. At present, more than 95% of the consumer transactions are in cash against the 10-12% in most advanced economies. There is a huge cost of moving cash. *RBI Annual Report 2014-15* indicates that the cost of printing, moving and distributing cash was Rs.37,600 crores[15]. The rise of a cashless economy and at a broader level needs to seen in the context of various changes that are already occurring due to the increased use of electronic transactions and the introduction of concepts like e-Signatures and digital lockers.This along with the recent thrust on electronic payments including the forthcoming launch of Unified Payments Interface (UPI) by the National Payments Corporation of India (NPCI) will become more helpful for businesses and migrants. Adding Aadhaar authentication has the potential to remove the present requirements like receivers bank account number, IFSC code, etc – all of which now hinder the growth of electronic payments. Any system that improves electronic payments will be of great help for migrants – who most of the time do not have any form of identity in their new place of work. Today, there are an estimated 400 million internal migrants in the country. This is an increase from 314 million as per the 2001 census. Now, with Aadhaar, Mobile and a bank account, debit cards and mobile payments their live will be come easy and more secure. It will also mean that the combination of Aadhaar and UPI will remove the need for people to possess a smart phone. A corollary of this is that it will mean that millions of poor and illiterate people can use their mobile phones for money transfer – something that is unimaginable today.

The onset of a new era using Aadhaar in the economy and administration also brings its own share of complications. There is an urgent need for the government to invest resources in protecting digital identities and privacy. The stealing of US$101 million from the Bangladesh

[15] RBI Annual Report 2015-16, p.110. The cost is mentioned as per the RBI Account Year which runs from June-July and should not be confused with the normal financial year which runs from April-March.

Central Bank[16] by computer hackers brings to the forefront the need for the Central and State governments to invest in protecting the Aadhaar ecosystem from cyber attacks. Since governments are likely to migrate more of their activities to the digital domain this is all the more important. Further, with a large number of businesses are likely to constantly use Aadhaar and other sensitive information about a person's consumption and economic position there is a need for the government to seriously consider a law that protects privacy and which also protect people from misuse of information collected using Aadhaar. There should be an important change in the way government approaches privacy and use of sensitive personal information. At present Aadhaar or other agencies tend to approach the issue by claiming that unless a person states that their data should not be used, it will be used for any purpose including for private profit – i.e. the default option is an implicit permission to use it freely. Instead, there should be a change in approach wherein the default option is that a person wants to protect their privacy and only when there is explicit written permission, others will be allowed to access information – not like the present system which is other way round.

References:

RBI Annual Report 2015-16, p.110.
https://uidai.gov.in/images/news/ranking_of_states_31032016.pdf
http://www.reuters.com/article/us-cyber-heist-philippines-idUSKCN0YA0CH
http://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/india-to-have-651-million-smartphones-18-7-million-tablets-by-2019/articleshow/46112338.cms?intenttarget=no
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/canadian-agency-calls-govt-s-dbtl-savings-figure-a-large-overestimate-115100800115_1.html
"Role of 'Fintech' in Financial Inclusion and New Business Models", Ajit Ranade,Economic & Political Weekly, pp, 125-128,Vol. 52, Issue No. 12, 25 Mar, 2017.

[16] http://www.reuters.com/article/us-cyber-heist-philippines-idUSKCN0YA0CH

"A study the effectiveness of Academic Orientation Programme in development of personality, initiativeness and creativity of teachers of higher education"

Dr.(Mrs.) Deepti Jain
School of Education Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur

"Systematic, development of attitude, knowledge, skills, behavior patterns required by an individual in order to perform adequately a given job or task."

ABSTRACT : The present research has been undertaken to study the improvement in teaching methods of teachers of Higher Education. A sample of 260 teachers of Higher Education who have attended in-service training or Orientation Programme, were administered. The self-made questionnaire was prepared. The results show that there is an improvement in teaching methods in Higher Education after attending the teachers training programme.

INTRODUCTION : The only teachers who require formal professional qualification before they employed are those who teach in primary and secondary schools. Lecturers in colleges and universities need no such The only teachers who require formal professional qualification before they employed are those qualification. This situation obtains almost all over the world. There is hardly any pre-service course for teachers in tertiary education and wherever they exist; they are given to teach teaching assistants who are already in Higher Education system. However, in-service training has now come to be recognized as a significant step in professional development in Higher Education. Essentially this training includes short-term courses (mandatory and voluntary) and includes an orientation to teach profession, development or sharpening of instructional skills, class room or institutional management and subject updating. These courses follow a variety of pattern.

Though the college teacher is expected to perform functions like teaching, students evaluation, administration and extension, the University Grant Commission thought that the teaching abilities of the lecturers to improve first.

Therefore, Staff Colleges have been given a mandate to improve standard of teaching through orienting lecturers in pedagogy and social relevance of education, and by providing up-to-date information on the content of various disciplines through refresher courses.

Higher Educational Institutions were established in the country during the British regime to provide liberal education. This has enabled the British government to democratize and popularize collegiate education. However, the objectives of higher education were not clear and if they were not specified at any stage, they were kept on changing to suit the needs and requirements of the colonial economy. But, the content and the methodology of higher education remained almost static even in the independent India till the Kothari Commission (1964 – 1966) recommended the overhaul of the system. The recommendation of colossus report has been implemented piece meal up to 1985. In 1986, Government realizes the challenges of education and introduces the national policy. This was a bold and honest attempt in decadence of the system and therefore, proposed several programmes to invigorate it. The Staff Orientation Scheme (ASOS) was one of very few constructive schemes that have initiated the structure of Staff College to orient and train college and university teachers.

OBJECTIVE : To study the effectiveness of Academic Orientation Programme in development of personality, initiativeness and

creativity of teachers of higher education of male and female teachers of higher education.

HYPOTHESIS : There will be no impact of effectiveness of male and female teachers in the development of personality, creativity and initiativeness through Academic Orientation Programme.

SAMPLE : The present study has been carried out on 260 male and female college teachers teaching in different degree in Post Graduate Colleges. Only those teachers have been selected in the sample who have attended Orientation Programme during the period of 1999-2008 i.e. two years. Both Male and female teachers have been clubbed together (2 years) so that five groups have formed.

RESEARCH TOOLS : Questionnaire for the higher education teachers who have attended Orientation Programme. Questionnaire prepared by the researcher.

ANALYSIS AND INTERPRETATION :

Table No. 1
Comparative Results of Development of Personality, Creativity and Initiativeness in Relation to the Time Phases of Male Teachers

TIME PHASE	N	MEAN	S.D.
1999 - 2000	20	37.60	5.44
2001 - 2002	20	36.15	4.76
2003 - 2004	20	37.55	5.09
2005 - 2006	20	39.00	4.95
2007 - 2008	30	37.77	6.05

Summary ANOVA Table

Source of Variation	d.f.	Sum of Squares	Mean Square	F- Ratio	'P' Value
Between Groups	4	82.05	20.51	0.71	> 0.05
Among Groups	105	3013.67	28.70		

Degree of Freedom-4, 105

Minimum value for significance at 0.05 level–2.46
Minimum value for significance at 0.01 level–3.51

From the results presented in the above table, it is clear that the value of f-ratio comes out to be 0.71, which is less than 2.46, the minimum value of its significance at 0.05 level. This shows that there is no statistical significant difference among the different groups as far as development of personality, creativity and initiativeness is concerned.

The mean's for different years range from 36.15 to 39.00. When these are compared with the average scores (24), it is evident that the mean's are quite high in comparison to average acquisition of development of personality, creativity and initiativeness. This clearly means that the male teachers of different time phases have developed personality, creativity and initiativeness to a large extent, though there is no statistically significant difference among different time phases.

Thus, from the above results it may be inferred that there is no impact of time phases on acquiring development of personality, creativity and initiativeness of the male teachers who have attended orientation programme over a period of ten years.

However, the mean's suggest that they have developed personality, creativity and

initiativeness to a high degree since their performance is far above the average scores.

Table No. 2

Comparative Results of Development of Personality, Creativity and Initiativeness in Relation to the Time Phases of Female Teachers

TIME PHASE	N	MEAN	S.D.
1999 - 2000	30	38.70	3.25
2001 - 2002	30	38.00	4.27
2003 - 2004	30	38.33	3.89
2005 - 2006	30	34.17	6.33
2007 - 2008	30	37.00	5.89

Summary ANOVA Table

Source of Variation	d.f.	Sum of Squares	Mean Square	F-Ratio	'P' Value
Between Groups	4	402.23	100.56	4.24	< 0.01
Among Groups	145	3439.13	23.72		

Degree of Freedom-4, 145

Minimum value for significance at 0.05 level–2.43
Minimum value for significance at 0.01 level–3.44

From the results presented in the above table, it is clear that the value of f-ratio comes out to be 4.24, which is greater than 3.44, the minimum value of significance at 0.01 level. This shows that there is a statistically significant difference among the different groups as far as development of personality, creativity and initiativeness is concerned.

The mean's for different years range from 34.17 to 38.70. When these are compared with the average scores (24), it is evident that the mean's are quite high in comparison to average acquisition of development of personality, creativity and initiativeness. This clearly means that the female teachers of different time phases have developed personality, creativity and initiativeness to a large extent.

Thus it can be said that the female teachers of 1999-2000 has benefited most (38.70) in comparison to other groups, which the female teachers of 2005-06 have benefited minimum (34.17). Thus, it can be concluded that there is an impact of time phases in development of personality, creativity and initiativeness of the female teachers who have attended orientation programme over a period of ten years.

However, the mean's suggest that they have developed personality, creativity and initiativeness to a high degree since their performance is far above the average scores.

Table No. 3

Comparative Results of Development of Personality, Creativity and Initiativeness in Relation to the Time Phases of Male and Female Teachers

TIME PHASE	N	MEAN	S.D.
1999 - 2000	50	38.26	4.25
2001 - 2002	50	37.26	4.52
2003 - 2004	50	38.02	4.38
2005 - 2006	50	36.10	6.24
2007 - 2008	60	37.38	5.93

Summary ANOVA Table

Source of Variation	d.f.	Sum of Squares	Mean Square	F-Ratio	'P' Value
Between Groups	4	141.69	35.42	1.33	> 0.05
Among Groups	255	6804.90	26.69		

Degree of Freedom-4, 255 Minimum value for significance at 0.05 level–2.41
Minimum value for significance at 0.01 level–3.41

From the results presented in the above table, it is clear that the value of f-ratio comes out to be 1.33, which is less than 2.41, the minimum value of its significance at 0.05 level. This shows that there is no statistical significant difference among the different groups as far as development of personality, creativity and initiativeness is concerned.

The mean's for different years range from 36.10 to 38.26. When these are compared with the average scores (24), it is evident that the mean's are quite high in comparison to average acquisition of development of personality, creativity and initiativeness. This clearly means that the male and female teachers of different time phases have developed personality, creativity and initiativeness to a large extent, though there is no statistically significant difference among different time phases.

Thus, from the above results it may be inferred that there is no impact of time phases on acquiring development of personality, creativity and initiativeness of male and female teachers who have attended orientation programme over a period of ten years.

However, the mean's suggest that they have developed personality, creativity and initiativeness to a high degree since their performance is far above the average scores.

CONCLUSIONS : The following conclusions are drawn from the present research on the basis of analysis and discussion of results and verification of hypothesis:-

There is impact of Academic Orientation Programme in development of personality, creativity and initiativeness in relation to time phases of male and female teachers, for male teachers, there is no significant difference while there is significant difference found in the responses of female teachers at 0.01 level of confidence. As the means are very high from the average scores (24), this clearly shows that male (36.15 to 39.00) and female (34.17 to 38.70) teachers of different time phases have developed personality, creativity and initiativeness to a large extent (reference table no.1, 2 and 3).

Thus, from the above conclusions, it may finally be concluded that Orientation Programme or in-service trainings organized by Staff Colleges in the universities have significantly contributed in the enrichment of basic skills, latest knowledge, development of personality, creativity and initiativeness and promoting computer literacy to a large extent. These programmes should now be modified in relation to the advancement in multimedia technology, so that the teachers of higher education will be benefited through use of multimedia in their places of posting for the ultimate total development of the students of higher education. The students of higher education are at a stage of their life, in which they try to achieve their vocational goal through development and enhancement, their occupational self concept which helps the students not only in improving their work values but greater job satisfaction. This ultimately led to greater life satisfaction.

REFERENCES

Chalam, Prof. K.S. (1994), **Performance of Academic Staff Colleges in India**, Andhra Pradesh University Press and Publication, Vishkhapatnam, P.85-86.

Editor, **National Policy on Education, (1986), (with modification undertaken in 1992),** Ministry of Human Resource Development, Department of Education, Government of India, New Delhi.

Editor, **National Policy on Education, (1986)**, Ministry of Human Resource Development, (1986), Department of Education, Government of India, New Delhi.

Editor, **Program of Action,** (**1986)**, Ministry of Human Resource Development (1986), Department of Education, Government of India, New Delhi.

Editor, **Program of Action, 1986, (with modification undertaken in 1992),** Ministry of Human Resource Development (1992), Department of Education, Government of India, New Delhi.

मानव और समाज का संबंध

डॉ. (श्रीमती) रेनू श्रीवास्तव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र.

प्रस्तावना : प्रस्तुत आलेख मानव और समाज के संबंध पर केन्द्रित है आज विश्व में समष्टि के जिस एक रूप की सर्वोपरि महत्ता है वह 'राष्ट्र' ही है।

संपूर्ण मानव जाति की भलाई का विचार लेकर जितने प्रयत्न आज तक हुये हैं वे सब अंत में राष्ट्रवाद के संमुख हतप्रभ हुये दिखाई देते हैं। सच तो यह है कि मानवता के कल्याण में जो कुछ कार्य हो सका वह भी 'राष्ट्र' संबंधी बंधन लागू नहीं होता था। कैथलिक चर्च का प्रधान पोप ही प्रमुख माना जाता था। विभिन्न देशों में ईसाइयत फैली। रोम का पोप ही प्रमुख माना जाता था। विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद का जोर हुआ। पोप की सत्ता को चुनौती मिली और आज स्थिति यह है कि एक छोटे से वेटिकन सिटी में यह सीमित है। आज इन सब देशों में राष्ट्रवाद की निर्णायक तत्व है। इस्लाम भी राष्ट्रीयता को नहीं मानता था। दुनियां के सब मुसलमानों को एक साथ खड़ा करने का विचार लेकर इस्लाम चला। संपूर्ण मुस्लिम जगत का एक खलीफा माना जाता था किन्तु राष्ट्रीयता का ज्वार आया और खलीफा हटा दिया गया। आज राष्ट्र के आधार पर ही मुस्लिम विश्व में सोचने–विचारने का क्रम है। यही बात साम्यवाद के साथ हो रही है। साम्यवाद के उद्घोषक ने भी संपूर्ण विश्व के लिए बात कही। दुनिया के लोगों के संबंध में वैसा ही विचार किया। राष्ट्र की सीमाओं को मानने से इंकार किया किन्तु आज उसी साम्यवाद ने राष्ट्र की भावना हिलोर ले रही है। रूस और चीन अपने–अपने राष्ट्रवाद के नाम पर खड़े हैं। यह चीज शीघ्र ही अन्य साम्यवादी देशों में प्रकट होने के लक्षण भी दिखाई देने लगे है। बौद्धमत को मानने वाले भी कितने देश है किन्तु असलियत यही है कि सब ओर राष्ट्र के आधार पर ही चिन्तन चला हुआ है। विश्व क सभी प्रकार के आदान–प्रदान का प्रभावी माध्यम आज 'राष्ट्र' है। इसी आधार पर विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान खोजना होगा।

'राष्ट्र' की इकाई का आधार क्या है ? इस संबंध में विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सारांश में जिन बातों की आवश्यकता राष्ट्र क लिये होती है, उनमें से प्रमुख है 'भूमि'। निश्चित भू–भाग होने के साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात है वहां रहने वाला मानव समुदाय याने एक–जन। इस 'भूमि' और 'जन' का माता और पुत्र जैसा संबंध होना राष्ट्र के लिये अनिवार्य है। उसी भू–भाग में दूसरे ऐसे लोग भी रह सकते हैं जो उस भूमि को अपनी मातृभूमि इंग्लैण्ड थी। भारत को वे केवल भोग भूमि समझते थे। ऐसे सब लोग उस भूमि पर आक्रमणकारी ही माने जावेगें। जो स्वयं को पुत्ररूप अनुभव नहीं करते, जो रहते तो इस भूमि पर हैं किन्तु जिन्हें सपने अन्य किसी भूमि के आते हैं जिसके श्रद्धाकेन्द्र इस भूमि के बाहर है, याह जो इस भूमि के बाहर से प्रेरणा ग्रहण करते है एसे सब लोग इसी भूमि की जलवायु में जन्मे, पले और बड़े हुए होने पर भी 'एक–जन' से कटे हुये हैं। उन्हें भी जब तक भूमि की ममता से एक रस नहीं किया जाता तब त कवे विघातक तत्व ही कहलावेंगे। इसलिये राष्ट्र की तीसरी आवश्यकता है, ऐसे पुत्र रूप समाज के सभी जनों की एक समान इच्छा। ऐसी इच्छा कि हम एक होकर रहेगें, मिलकर चलेंगे मातृभूमि का गौरव बढ़ावेंगे, समृद्धि और प्रगति में स्वभाविक रीति से सहकार्य करेंगे। याने सब मिलकर एक संकल्प होना चाहिए। बिना एक संकल्प के कोई भी समष्टि नहीं चल सकती। सब लोगों की समान अनुभूति में से ही यह संकल्प प्रकट हुये संकल्प के लिये सबके सामने एक लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्य याने सबका एक आदर्श। जीवन का एक आदर्श होना जरूरी है। इसी आदर्श को चरितार्थ करने क लिय संकल्प जागता है। यह आदर्श एकाएक निर्माण नहीं होता। समाज को ऊंचा उठाने के लिये भूतकाल में जो महान प्रयत्न हुये हैं, असीम त्याग, परिश्रम और उद्योग किये गये हैं उनकी एक परम्परा बनती है। इस परम्परा को पुष्ट करने वाले महापुरूषों के जीवन उस आदर्श का दिग्दशन कराते हैं और तब राष्ट्र के लिये अंतिम आवश्यकता होती है उस व्यवस्था की जिसके अंतर्गत इस आदर्श को प्राप्त करने के लिये सफलतापूर्वक आगे बढ़ा जा सकता है। बिना

किसी व्यवस्था के किसी समष्टि जीवन की कल्पना करना ही कठिन है। व्यवस्था नष्ट होते ही समष्टि का विनाश हो जाता है।

इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि 'राष्ट्र' के लिये चार बातों की आवश्यका होती है। प्रथम भूमि और जन जिसे हम देश कहते हैं। दूसरी सबकी इच्छाशक्ति याने सामूहिक जीवन का संकल्प। तीसरी एक व्यवस्था जिसे नियम का संविधान कह सकते हैं और सबसे अच्छा शब्द जिसके जिसके लिये हमारे यहां प्रयुक्त हुआ है वह है 'धर्म' और चौथा है जीवन–आदर्श। इन चारों का समुच्चय याने ऐसी समष्टि को राष्ट्र कहा जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति के लिये शरीर मन, बुद्धि और आत्मा जरूरी है इन चारों को मिलाकर व्यक्ति बनता है उसी प्रकार देश संकल्प धर्म और आदर्श के समुच्चय से राष्ट्र बनता है।

व्यक्ति के लिये सामान्य अवस्था यही है कि वह अपनी चिंता करते हुये समाज की चिंता करें। सुसंस्कृत अवस्था यही है कि जहां व्यक्ति अपनी चिंता करते हुये भो समाज की चिंता करेगा। दोनों सामान्य स्थिति है, पूरकता है समाज को बिगाडकर अपनी भलाई करने का विचार जो करेगा वह गलत सोचेगा, वह विकृत अवस्था है, इसमें उसका भी भला नहीं होने वाला क्योंकि समाज जिस स्थिति में पहुंचेगा उसे व्यक्ति को भी भोगना पड़ेगा।

व्यक्ति के विकास और समाज की पूर्णता का यही समन्वित विचार भारतोय चिन्तन की विश्व को देन है व्यक्ति जन्म लेता है। समाज द्वारा उसे शिक्षित और संस्कारित किया जाता है। धीरे–धीरे व्यक्ति गुणवान बनता है। व्यक्ति अपने अंदर सुप्त श्रेष्ठताओं के विकास का अवसर पाता है समाज उसकी देखभाल करता है, व्यक्ति को बुद्धिमान, धैर्यवान, पराक्रमी, शक्तिवान और धनवान बनाने का काम समाज ही करता है तो वह स्वयं कर्म करता है किन्तु जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, व्यक्ति भी अपने सत्कर्म समाज को समर्पित करता है। वह अपने तक ही विचार नहीं करता सबका विचार करता है। यदि किसान है, तो खेत में इसलिये अन्न नहीं बोयगा कि उसकी अपनी जरूरत है वरन् वह ऐसा अन्न पैदा करेगा जिसकी समाज को आवश्यकता है, ठीक वैसे ही जैसे घर में मां भोजन पकाते समय खुद का विचार नहीं करती। घर के सब लोगों की जरूरत का ध्यान रखकर भोजन पकाती है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने गुण और शक्ति का उपयोग समाज के लिये करता है।

व्यक्ति की अवधारणा भी बदली है भारतीय चिंतन को ध्यान में रखे तो व्यक्ति वही रहता है लेकिन उसके गुणों में निरंतर परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन वह समाज के लिये ही करता है। इस युग का नाम चूंकि कलयुग है इस कारण हम कह सकते है कि युगानुरूप तमस् प्रवृत्ति वाला समाज की दो–चार आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाता है किन्तु समाज उसके बदले में उसे कई चीजे लौटाता है। शिक्षा, वस्त्र, मकान, सुरक्षा ही नही तो सुख की अनेकानेक अनुभतियां और दुख में धैर्य भावना आदि कितनी ही बातें समाज के व्यक्ति को मिलती जाती है इस प्रकार व्यक्ति और समाज में अविभाज्य संबंध का आदान प्रदान चलता है। जो व्यक्ति कमा नहीं पाते और कमजोर रह जाते हैं उनकी भी चिंता समाज ही करता है उदाहरण के लिये समाज ने रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था की। मरते हुये के प्राण बच गये। डॉक्टर अथवा वैद्य के इस हेतु हुये परिश्रम का क्या मूल्य हो सकता है ? शिक्षा केन्द्र में जाने से व्यक्ति का अज्ञान दूर हो गया। अध्यापक के इस कार्य का बदला किस प्रकार चुकाया जा सकता है ? इसका मूल्य चुकाना असंभव है इसलिये हमारे यहां पहले ये सब काम सेवा कार्य के नाते ही किये जाते थे। रूपये पैसे इसका मूल्यमापन नहीं होता था प्रत्येक अपना कर्तव्य निभाने मात्र पर विश्वास रखता था क्योंकि सेवा का कोई मूल्य नहीं हो सकता। सेवा करना ही हमारा धर्म है शेष सब चिन्ता समष्टि पर डाल देना चाहिए।

भगवत् गीता में जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि – जो कुछ तुम कर्म करते हो सब मुझमें समर्पित कर दो। तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो, खाते–पीते हो, जो कुछ करते हो मुझे दे दो फिर तुम्हारे योगक्षेम की चिंता मैं करूंगा। व्यक्ति के लिये समाज से इस प्रकार प्राप्त कर निर्वाह करना ही यज्ञ शेष कहा गया है। 'त्येन व्यक्तन भुंजीथाः' के अनुसार त्यागपूर्ण ढंग से उपभोग करने की बात यही है यज्ञशेष ही अमृत है। इसको जो प्राप्त कर उपभोग करेगा वह

जीवित रहेगा। स्वयं जिंदा रहेगा, समाज को भी जिंदा रखेगा।

अब बात यहां आती है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुये हैं लेकिन मनुष्य की तरक्की से समाज जो जुड़ा लेकिन समाज के जुड़ने से जो घातक परिणाम सामने आया वह वैश्वीकरण है और उसको वैश्वीकरण की तरफ अग्रसर किया वर्तमान में हम जिसे वैश्वीकरण कह रहे हैं वह भारतीय दृष्टि से व्यवसायिक है। संपूर्ण भूमण्डल को व्यवसायिक लाभ की दृष्टि से संचालित करना तथा लोगों की व्यवसायिक लाभ का उपकरण मानना स्वार्थी तथा राक्षसी प्रगति है।

निष्कर्ष :–

आज की वैश्विक परिस्थिति में मानव अधिकारों का महत्व है इनके माध्यम से मनुष्यकी बुनियादी एवं मौलिक स्वतंत्रता की बात कही जाती है। मानव अधिकारों का अक्षरशः अनुपालन करके विश्व को बेहतर रहने योग्य बनाया जा सकता है। सभी मानव पर इन अधिकारों को लागू करना आज के समय की मांग है किसी भी देश के प्रभावी सामाजिक–राजनैतिक धार्मिक और आर्थिक जीवन के लिए ये केवल महत्वपूर्ण है अपितु अनिवार्य भी है। इनके प्रति लोगों में चेतना जाग्रत करना आवश्यक है।

पुरूषों और महिलाओं की समान भागीदारी से निर्मित समाज एक सामूहिक संकल्पना है। समाज, मनुष्य जीवन का अपरिहार्य अंग हैं। समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के भीतर रहकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य की समस्त गतिविधियां, सामाजिक व्यवस्था के इर्द–गिर्द चलती है। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य सं कराता है क्योकि समाज अपने सदस्यों से यह अपेक्षा रखता है कि वे सामूहिक ढंग से कार्य करें। इस तरह कार्य करने में उनमें अने समाज के साथ संबंध और पहचान की भावना विकसित होती है।

मनुष्य और समाज एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते कराते हैं जब हम आवश्यकताओं की बात कराते है तो स्वाभाविक सा प्रश्न यह उभरता है कि आवश्यकतायें कौन सी है ? मनुष्य भी चार मूलभूत आवश्यकतायें होती है ये है – शारीरिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और आर्थिक आवश्यकता। ये बुनियादी आवश्यकतायें मनुष्य के जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने के निमित्त है। इन्ही के आलोक में मानव अधिकारों को परिभाषित किया जा सकता है। मानव अधिरि का अर्थ है समाज, राष्ट्र एवं विश्व के समस्त मानव प्रकृति एवं कानून प्रदत्त अधिकारों का स्वतंत्रता से उपयोग करते हुये शांतिपूर्वक रहे और अपना स्वाभाविक विकास करें।

यदि भारत के परिक्षेप्य में मानव अधिकारों के इतिहास पर नजर डाले तो यह धारणा पुष्ट होती है कि मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति भारतीय समाज सदैव सजग रहा है। श्रेष्ट विधि व्यवस्था का लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के न्याय, स्वतंत्रता व समानता प्राप्त होनी चाहिये और समाज में बंधुता के भाव को अधिकाधिक सुस्पापित होना चाहिये।

मनुष्य के ज्ञात इतिहास में आज जो समस्यायें चुनौतियां और कठिनाईयां ही नहीं जनता की आशायें अपेक्षायें अनुभव और ज्ञान की स्थिति है इस प्रकार की पहले कभी नहीं रही है। जनता की आवश्यकताओं इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने के जितने साधन और अवसर बढ़ रहे है उससे कहीं अधिक कठिनाईयां अपने नये–नये रूपों में सामने आ रही है।

राष्ट्रीयता की भावना में अभाव है धर्म जातिवाद, भेदभाव इन सबके आधार पर जो समाज में जो झगड़े मचे हुये हैं उन्हें दूर करके एक अच्छे समाज की रचना हो सकती है अच्छी कानूनी व्यवस्था होते हुये भी कई लोग अपने हक से वंचित रह जाते हैं। तो उन्हें उनका हक मिले, इन सभी में गरीबी व अमीरी की बात ना हों। राजनैतिक प्रभाव में कोई काम ना हो। समानता रहनी चाहिये, भेदभाव नहीं होना चाहिये। तभी हम राष्ट्रीय एकता की बात कह सकते है। औद्योगिक क्षेत्र में समाज में इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी है कि साधारण आदमी मंहगे आधुनिक जीवन की और बढ़ रहा है और इनका व्यापक प्रचार हो रहा है और व्यक्ति को इसे पाने की लालसा पैदा होती है भौतिक सुखों के पीछे

लगी रही दौड़ ने परिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में दरारें डाल दी है। मनुष्य–मनुष्य के बीच भावात्मक संबंध समाप्त हो रहे हैं साधारणतः मनुष्य जितने अधिक भौतिक साधन जुटाता है उतनी अधिक उसकी मानसिक शांति नष्ट हाती है जाती है और यहां व्यक्ति समाज में दो भागों में बंट जाता है एक वह है जो साधन जुटा सकता है और दूसरा वह जो सिर्फ अपने मन को शांत कर देता है ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्थायें समाज में बननी चाहिये।

संदर्भ :

1. राष्ट्र जीवन की दिशा –
श्री दीन दयाल उपाध्याय
लोकहित प्रकाशन, लखनऊ
2. संचार श्री शोध पत्रिका –
पत्रकारिता एवंज न संचार
लखनऊ विश्वविद्यालय
3. आजादी के पचास साल –
भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पृ. 9
4. नई दुनिया – शताब्दी खंड, 1985

महाविद्यालयीन प्राचार्यों की प्रशासनिक एवं निर्णयन प्रक्रिया

अनीष कुमार चौरसिया, शोधछात्र
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना

प्रस्वावना : वैदिक साहित्य में 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो में किया गया हैं, यथा– 'विद्या' 'ज्ञान', 'बोध' और 'विनय'। आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों के समान प्राचीन भारतीयों ने भी 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग 'व्यापक' और 'सीमित' दोनों अर्थो में किया है। डॉ. ए.एस. अल्तेकर के अनुसार– व्यापक अर्थ में, शिक्षा का तात्पर्य है व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। इस दृष्टि से शिक्षा, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित अर्थ में, शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से हैं जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरू से प्राप्त होती थी।
प्राचीन युग में 'शिक्षा' को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया और न जीविकोपार्जन का साधन। इसके विपरीत, शिक्षा को वह प्रकाश माना गया जो व्यक्ति को अपना बहुअंगी विकास करने, उत्तम जीवन व्यतीत करने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देती थी। दूसरे शब्दों में, शिक्षा को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को पथ–प्रदर्शित करने वाला प्रकाश माना गया था – ''वैदिक युग से आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की मुख्य धारणा यह रही है कि शिक्षा, प्रकाश का वह स्त्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ–प्रदर्शन करता है।''

केंद्रीय शिक्षा प्रशासन बोर्ड :– शिक्षा संस्था के किसी भी योजना का तब तक वांछित परिणाम नही निकल सकता जब तक उसका प्रशासन कुशल और योग्य न हो।

डॉ.वी.एस. झा :– एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नही होता है बल्कि वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है। उसे विद्यार्थियों से गहरी सहानुभूति होती है वह विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझता है और उसके व्यवहार करने की उसमें पर्याप्त युक्ति एवं विधि होती है। वह विद्यार्थियों की शारीरिक मानसिक नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत होता है और जानता हैं कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।

प्राचार्य को महाविद्यालय के संचालन में अनेक विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है इसलिए प्राचार्य को अधिक तैयारी, अनुभवों तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती हैं। दिन–प्रतिदिन महाविद्यालयों की समस्याऐं जटिल रूप लेती जा रही हैं अतः इनके समाधान के लिए विशिष्ट दक्षता और सही निर्णय क्षमता को होना अत्यंत आवश्यक हैं। महाविद्यालयीन प्राचार्यों को महाविद्यालय के संचालन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं जैसे प्राध्यापकों पर कार्यभार का अधिक होना, मार्गदर्शन तथा सदुपदेशन की समस्या, शिक्षा का माध्यम, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, छात्रसंघों की समस्या एवं विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता इत्यादि। इन समस्याओं से निपटने के लिए महाविद्यालयीन प्राचार्यो को अनेक प्रशासनिक और अकादमिक निर्णय लेने पड़ते हैं, और इन निर्णयों को लेने में प्राचार्यो को शासन के बनाए नियमों का भी पालन करना पड़ता हैं, क्योकि प्राचार्य नियमों के विरूद्ध जा कर भी कोई कार्यवाही नही कर सकते। अतः हम कह सकते है कि महाविद्यालयों के संचालन में निर्णयन की प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण स्थान होता हैं। यही कारण है कि निर्णयन की प्रक्रिया के संबंध में कहा जाता है कि प्रशासन निर्णय के साथ ही प्रारम्भ होता है और निर्णय के साथ ही खत्म हो जाता है। अनेक प्रशासक तो इसे प्रशासन का केन्द्र बिन्दु मानते हैं।

वैसे तो सभी व्यक्ति निर्णय लेते है, परन्तु ये निर्णय कितने सार्थक व प्रभावी होते हैं, यह अनुभव, चिन्तन, विचार विमश तथा निर्णय की प्रक्रिया पर निर्भर करता हैं। प्रशासन तथा प्रबंध की संस्थितियों में निर्णय वस्तुतः प्रत्येक पग–पग पर लेना आवश्यक होता हैं। जब भी कोई समस्या प्रशासन के समक्ष आती है, वह बिना निर्णय लिए सुलझ नही सकती।

शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श
प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शो पर प्रकाश डालते हुये डॉ. ए.एस. अल्तेकर ने

लिखा है –''प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शो का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता हैं – ईश्वर–भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार।''
हम उपर्युक्त उद्देश्यों और आदर्शो का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहें है :–

1. ज्ञान व अनुभूति पर बल :– प्राचीन भारत में शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान और अनुभूति पर बल देना था। उस समय छात्रों की मानसिक योग्यता का मापदण्ड उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अंक, प्रमाणपत्र या उपाधि पत्र नहीं थे। इनके स्थान पर उनकी योग्यता का मापदण्ड था–उनके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, जिसका प्रमाण वे विद्वत्परिषदों में शास्त्रार्थ करके देते थे।

''छान्दोग्य उपनिषद्'' में हमें श्वेतकेतु और कमलायन के उदाहरण मिलते हैं जिनकों बारह वर्ष के अध्ययन के उपरांत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं समझा गया था। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य या आदर्श केवल पढ़ना नहीं था, वरन् मनन, स्मरण और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को आत्मसात् भी करना था।

2. चित्त–वृत्तियों का निरोध :– प्राचीन काल में शिक्षा का दूसरा उद्देश्य छात्रों की चित्त–वृत्तियों का निरोध करना था। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अनश्वर है। अतः आत्मा के उत्थान के लिये जप, तप और योग पर विशेष बल दिया जाता था। ये कार्य चित्त की वृत्तियों का निरोध करके अर्थात् मन पर नियंत्रण करके ही संभव थे। इसलिये छात्रों को विभिन्न प्रकार क अभ्यासों द्वारा अपनी चित्त–वृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि उनका मन इधर–उधर भटककर उनकी मोक्ष–प्राप्ति में, जिसे जीवन का चरम लक्ष्य समझा जाता था, बाधा उपस्थित न करें।

3. ईश्वर भक्ति पर धार्मिकता का समावेश :– प्राचीन भारत में शिक्षा का तीसरा उद्देश्य छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। उस समय उसी शिक्षा को सार्थक माना जाता था, जो इस संसार से व्यक्ति की मुक्ति को संभव बनाए– ''सा विद्या या विमुक्तये''। व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी, जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से सराबोर हो। छात्रों में इस भावना को व्रत, यज्ञ, उपासना, धार्मिक उत्सवों आदि के द्वारा विकसित किया जाता था।

4. चरित्र का निर्माण :– प्राचीन भारत में शिक्षा का चौथा उद्देश्य – छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। उस समय व्यक्ति के चरित्र को उसके पांडित्य से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। ''मनुस्मृति'' में लिखा है– केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान्, ब्राह्मण, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता, पर चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। गुरूकलों के उत्तम वातावरण, सदाचार के उपदेशों, महापुरूषो के उदाहरणों महान विभूतियों के आदर्शो आदि के द्वारा छात्रों के चरित्र का निर्माण किया जाता था।

5. व्यक्तित्व का विकास :– प्राचीन भारत में शिक्षा का पांचवा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उनमें आत्म–संयम, आत्म–सम्मान, आत्म–विश्वास आदि सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता था। साथ ही, गोष्ठियों और वाद–विवाद, सभाओं का आयोजन करके उनमें विवके, न्याय और निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर, उनको बलवती बनाया जाता था।

6. नागरिक व सामाजिक कर्तव्य–पालन की भावना का समावेश :– प्राचीन भारत में शिक्षा का छटवां उद्देश्य छात्रों में नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की भावना का समावेश करना था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये छात्रों को गुरू द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, यथा–अतिथियों का सत्कार करना, दीन–दुखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य की निःशुल्क शिक्षा देना, दूसरों के प्रति निःस्वार्थता का व्यवहार करना और पुत्र, पिता एवं पति क रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना।

7. सामाजिक कुशलता की उन्नति :– प्राचीन भारत में शिक्षा का सातवां उद्देश्य छात्रों की सामाजिक कुशलता में उन्नति करना था। उस

समय शिक्षा केवल व्यक्ति का मानसिक विकास ही नहीं करती थीं, वरन् सामाजिक कुशलता में उसकी उन्नति भी करती थी, ताकि वह सरलता से अपनी जीविका का उपार्जन करके अपने सुख में अभिवृद्धि कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये छात्रों को उनकी रूचि और वर्ण के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी।

8. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार :— प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षरण व प्रसार करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रत्येक पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था, प्रत्येक ब्राह्राण वेदों का अध्ययन करता था और प्रत्येक आर्य, वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग का अध्ययन करता था। इन कार्यो से किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता था, पर इनको करके वे न केवल पीढ़ी—दर—पीढ़ी अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सुरक्षित रखते थे, वरन् उनका प्रसार भी करते थे।

राष्ट्रीय प्राचार्य शिक्षा परिषद

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत हुई। 1993 में एक्ट द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। दिल्ली में केन्द्रीय कार्यालय है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय जयपुर में हैं।

इस परिषद के कार्य इस प्रकार है—

1. शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षां का सर्वेक्षण करना।

2. शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपर्युक्त कार्यक्रमों की स्वीकृति देना।

3. शिक्षक शिक्षा का विकास, नियंत्रण तथा समन्वय करना।

4. शिक्षकों की नियुक्ति, ट्यूशन फीस आदि के दिशा निर्देश देना।

5. स्वीकृत संस्थाओं की जवाबदेही के मानदण्ड निर्धारित करना।

6. शिक्षक संस्थाओं के व्यावसायीकरण को रोकना।

7. नवीन संस्थाओं की स्थापना करना।

8. शिक्षक—संस्थाओं की स्वीकृति, संबद्धता, मान्यता आदि के नियमों को निर्धारित करना।

राममूर्ति समिति और शिक्षक शिक्षा

शिक्षा नीति का पुनर्रीक्षण करने के लिये राममूर्ति शिक्षा समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने शिक्षक शिक्षा के विषय में ये सुझाव दिये—

1. प्रशिक्षार्थियों का चयन अंक या ग्रेड के आधार पर न होकर अभिरूचि तथा उपलब्धि के आधार पर किया जाना चाहिय।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता (Competenc) आधारित होना चाहिये

3. सिद्धान्त तथा अभ्यास स्थिति मूलक हो।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भावात्मकता हो जिससे शिक्षण व्यवसाय के प्रति जागरूकता हो तथा मूल्य विकसित हों।

5. शिक्षकों के भावी विकास के लिये रिफ्रेशन कोर्स आयोजित किये जायें।

6. प्रत्येक शिक्षक के लिये विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुकूल सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायें।

7. शिक्षक शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा आयोजित नहीं की जानी चाहियें।

8. शिक्षणाभ्यास इन्टर्नशिप द्वारा हो।

इसकी विशेषतायें इस प्रकार है—

1. दीर्घ अवधि, 2. सेवाकालीन, 3. सेवा करते समय शिक्षक को विद्यालय सम्बन्धी समस्त कार्यों में प्रशिक्षित करना, 4. सिद्धान्त तथा व्यवहार, दोनों को व्यावहारिक रूप प्रदान करना, 5. वास्तविकता—आधारित पाठ्यक्रम हों, 6. अनुभवाश्रित, आगमनात्मक, 7. कम व्ययी।

9. विषयवस्तु – ज्ञान, कौशल तथा अभिरूचि पर बल दिया जायें।

10. ज्ञान, कौशल तथा अभिरूचि का मॉडल इस प्रकार होना चाहिये।

प्रक्रिया (Proce)– शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में। सैद्धान्तिक निर्देश जीमवतल व्यावहारिक कार्य Practice क्षेत्रीय कार्य अनुभव Experience ज्ञान (Knowledge) – लघु अवधि कौशल (Skill) मध्य अवधि अभिरूचि (Aptitude) दीर्घ अवधि का माध्यम रखा जाये।

11. शिक्षकों में नेतृत्व क्षमता का होना आवश्यक है। इसके लिये उनमें इन गुणों को विकसित किया जाये– 1. स्वतंत्र चिन्तन तथा कार्यक्षमता 2. प्रचलित जनमत के विरूद्ध कार्य करना 3. उदाहरण तथा उपदेश द्वारा नेतृत्व 4. सृजनात्मक कार्य की क्षमता 5. उपलब्धि का संकल्प 6. जवाबदेही का संकल्प।

शिक्षक शिक्षा के स्वरूप

शिक्षक–शिक्षा के अनेक रूप उसकी प्रकृति के अनुसार प्रचलित हैं। अनेक प्रचार की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थायें देश में कार्य कर रही हैं। ये संस्थायें इस प्रकार है –

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षण– देश में इस पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली अनेक संस्थायें मान्टेसरी, किन्डरगार्टन तथा नर्सरी पद्धति अपनाकर कार्य कर रही है।

2. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण– बी.टी.सी., जे.बी.टी. सी., जे. बी. टी. एलीमेन्ट्री टीचर्स ट्रेनिंग स्तर की संस्थायें प्राथमिक स्तर के लिये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।

3. माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण– सरकारों के शिक्षा विभाग एल.डी. टी., विश्वविद्यालय बी. एड. पाठ्यक्रम माध्यमिक कक्षाओं के लिये चलाते हैं।

4. शिक्षक–शिक्षा के उन्नत रूप– एम. एड., एम. फिल., अनुसंधान आदि के कार्यक्रम विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में चलाते जाते हैं।

5. विशेष प्रशिक्षण– कृषि, गृह, विज्ञान, आर्ट एवं क्राफ्ट, आदि के लिये बी.एड. (विशेष) कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

6. विकलाँग शिक्षण–प्रशिक्षण– बधिरों, नेत्रहीनों तथा विकलाँगों को पढाने के लिये सरकार तथा स्वायत्त संस्थायें शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं।

आजकल यू.जी.सी. ने महाविद्यालय शिक्षकों को उन्नत वेतनमान देने के लिये उनके विषय क्षेत्रों में संक्षिप्त पाठ्यक्रम चलायें हैं। इन पाठ्यक्रमों में विषय के साथ–साथ उन्नत शिक्षण विधियो से भी शिक्षकों का परिचय कराया जाता हैं।
शिक्षक का क्षेत्र केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। अनेक नये विषयों के विस्तार के कारण शिक्षण प्रशिक्षण की सीमाओं तथा संभावनाओं मं भी वृद्धि हो रही है। अनेक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाने वाले शिक्षक, विषयों में भले ही पारंगत हों, शिक्षक विधियों के कौशल के अभाव में वे अच्छे शिक्षक सिद्ध नहीं हो पाते, इसलिये चिकित्सा, इंजीनियरिंग, तकनीकी व्यवसाय प्रबन्ध, कम्प्यूटर आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में वाँछित उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो रही है। अतः इस दिशा में भी प्रयास जारी रहने चाहिये।

प्राचार्य शिक्षा के उद्देश्य

प्राचीन काल से ही शिक्षक एक आदर्श व्यक्ति के रूप में रहा है। उसका काम था बालक को दूसरा जन्म देना। जब बालक, माता–पिता का घर छोड़कर गुरूकुल में आता था उसका उपनयन संस्कार होता था, वह द्विज (जिसका दूसरा जन्म हुआ है) कहलाता है था बालक के आन्तरिक गुणों का विकास करने, उसे समाज के परिवार के अनुकूल बनाना शिक्षक का कर्तव्य था। राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, शिवाजी, विवेकानन्द आदि महान पुरूष अपने गुरूओं को ही देन रहे हैं।
प्राचार्य शिक्षक (Teacher Education) का अर्थ हैं, शिक्षक + शिक्षा = शिक्षकों के ज्ञानात्मक, कार्यात्मक तथा भावात्मक पक्ष का विकास करती है।

विश्वविद्यालीय शिक्षा आयोग (1948) द्वारा निर्धारित उद्देश्य

राधाकृष्णन–कमीशन ने उच्च शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निम्न प्रकार प्रस्तावित किया है–

1. बदलती राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग एवं वाणिज्य में स्वस्थ प्रतिनिधित्व करना।
2. विश्वविद्यालयों को नवयुवकों में ज्ञान और वस्तुओं के बारे में बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास करना।

3. दूरदर्शी, बुद्धिमान और साहसी नेताओं के निर्माण के द्वारा समाज सुधार पर बल देना।
4. विश्वविद्यालयों को सभ्यता के अंग के रूप में सभ्यता तथा संस्कृति के बौद्धिक अग्रदूतों का निर्माण करना।
5. सफल प्रजातन्त्र के लिये प्रयत्न करना।
6. व्यक्तियों के जन्मजात गुणों की खोज करना एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उनका विकास करना।
7. समाजिक मुक्ति (म्उंदबपचंजपवद) में सहायता प्रदान करना।
8. राष्ट्रीय अनुशासन, अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध, आध्यात्मिक विकास, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना।

कोठारी कमीशन द्वारा प्रस्तुत उच्च शिक्षा के आदर्श

कोठारी कमीशन ने विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को इस प्रकार प्रस्तावित किया है–

1. सत्य के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान प्राप्त करना, पुराने ज्ञान को नयी परिस्थितियों में उपयोग करना।
2. जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व का विकास करना।
3. समाज को कला, विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के क्षेत्रां में प्रशिक्षित व्यक्तित्व प्रदान करना।
4. सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना
5. अध्यापक तथा छात्रों में मनोवृत्ति तथा मूल्यों का पोषण करना।
6. सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कम करना।
7. राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिये कार्य करना।
8. प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों का विकास करना।

आयोग ने उच्च शिक्षा के लक्ष्यों का निर्माण वास्तविक रूप से भारत में नये निर्माण की कल्पना को पूरा करने के लिये किया है। वास्तविकता है भी यही कि उच्च आदर्शों के अभाव में हमारे लक्ष्य ऊँचे नहीं हो सकते। उच्च शिक्षा के उद्देश्य सार्वभौम हैं। उच्च शिक्षा के द्वारा राष्ट्रों की बौद्धिकता का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में करना है भारत में भी उन्हीं सार्वभौम उद्देश्यों को विश्वविद्यालयी शिक्षा के विकास के लिये निर्धारित किया गया है। ये उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–

1. अन्वेषण– नये ज्ञान की प्राप्ति और पोषण करना, पूरे उत्साह के साथ निर्भर होकर सत्य के अन्वेषण में जुट पड़ना और नई आवश्यकताओं तथा नई खोजों के सन्दर्भ में ये प्राचीन और नवीन विश्वासों की व्याख्या करना।
2. नेतृत्व– जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही किस्म का नेतृत्व प्रदान करना, प्रतिभावान युवक–युवतियों को पहचानना और शारीरिक स्वास्थ्य के एवं मानसिक शक्तियों के एवं मानसिक शक्तियों के उन्नयन और स्वास्थ्य रूचियों, मनोवृत्तीयों तथा भौतिक एवं बौद्धिक मूल्यों के पोषण द्वारा उनकी सम्भावनाओं से भरपूर विकास और सहायता करना।
3. सक्षम जनशक्ति– समाज को ऐसे सक्षम नर–नारी देना जो कृषि, कला, चिकित्सा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में तथा अन्य विविध वृत्तियों में प्रशिक्षित हों और साथ ही सामाजिक सोद्देश्यता की भावना से अनुप्रमाणित संस्कृत व्यक्ति भी हों।
4. समानता और सामाजिक न्याय– शिक्षा के प्रसार द्वारा समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेदों को घटाने का प्रयत्न करना।
5. सतजीवन– व्यक्तिय और समाज में सत्–जीवन के विकास के लिये जिन मनोवृत्तियों की आवश्यकता होती है, प्राचार्य की और मूल्यों की आवश्यकता होती है, प्राचार्य और छात्रों में उनके माध्यम से सम्पूर्ण समाज में उन्हीं मनोवृत्तियों मूल्यों का संवर्धन एवं पोषण करना।

आयोग ने इन सार्वभौम उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कतिपय कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। यह आधार भूमि इस प्रकार है– (1) उच्च शिक्षा और अनुसन्धान में गुण और स्तर की दृष्टि से आमूल सुधार। (2) राष्ट्रीय विकास की जन–शक्तिपरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उच्चतर शिक्षा का विकास। (3) विश्वविद्यालय के संगठन और प्रशासन में सुधार।

ये उद्देश्य और कार्यक्रम आज की भारतीय उच्च शिक्षा के लिये चुनौती हैं। विश्वविद्यालयी शिक्षा

अपन उद्देश्यों को समुचित रूप से प्राप्त करने में असफल रही है और इसलिये अराजकता के स्थिति उत्पन्न हुई है। वर्तमान राजनीति को प्रवेश साम्प्रदायिक एवं क्षेत्रवाद के रूप में विश्वविद्यालय में हुआ है। परिणाम आज सभी के समक्ष है।

शिक्षा प्रणाली : संरचना और स्तर

कोठारी कमीशन ने देश की शिक्षा–प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने के क्रांतिकारी सुझाव दिये हैं। ये सुझाव निश्चय ही उपयोगी होंगे यदि भारत सरकार इन्हें ज्यों का त्यों मान ले। कमीशन ने शिक्षा के स्तर पर विचार करते हुये चार बातों पर अधिक जोर दिया है –

(1) शिक्षा के पिरामिड के विभिन्न कोण और उनका आपसी संबंध।

(2) विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुये शिक्षा का कुल समय।

(3) अध्यापकों के गुण, पाठ्यक्रम, अध्यापन–पद्धति, मूल्यांकन तथा भवन एवं साधन।

(4) प्राप्त सुविधाओं का उपयोग।

ये चारों बातें शिक्षा के संपूर्ण ढांचे का निर्माण करती हैं। शिक्षा के ढांचे के निर्माण हेतु कुल शिक्षा का समय तथा साधन पर विचार करना आवश्यक है। विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का निर्माण करने के लिये विद्यालय स्तर पर दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है –

(1) उपयोग की वृद्धि अर्थात् साधन जुटाना,

(2) विद्यार्थियों में गुणों का विकास करना।

शिक्षा के प्रमुख दोष

प्राचीन भारत में जिस शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया वह अनेक शताब्दियों तक अति अल्प परिवर्तनों के साथ चलती रही है। यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि इस शिक्षा–प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान थे। इन तत्वों ने भारतीयों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर अनेक महान् विचारकों तथा सत्य के अन्वेषकों को जन्म दिया, जिसका बौद्धिक योगदान प्रत्येक दृष्टि से सराहनीय हैं।

किन्तु, जैसा कि डॉ. अल्तेकर का मत हैं, लगभग 500 ई. से भारत की प्राचीन शिक्षा–प्रणाली में दोष प्रकट होने आरंभ हो गये। समय की गति के साथ–साथ इन दोषों में वृद्धि होती चली गई, जिनके फलस्वरूप यह प्रणाली भारतीयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई और इसका पतन आरंभ हो गया। डॉ. एफ.ई. क शब्दों में – ''ब्राह्मणीय शिक्षा–प्रणाली रूढ़िबद्ध एवं औपचारिक हो गई और प्रगतिशील सभ्यता की आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई।''

ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली अपने जिन दोषों के कारण भारतीयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल हुई और उसका पतन आरंभ हुआ, उनका वर्णन दृष्टव्य है :–

1. लोकभाषाओं की उपेक्षा :–प्राचीन भारतीय शिक्षा में केवल संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन पर संपूर्ण ध्यान केन्द्रित था। फलतः लोकभाषाओं की उपेक्षा हुई और उनकी प्रगति न हो सकी।

2. धर्म–निरपेक्ष विषयों की उपेक्षा :–प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म का आधारभूत स्थान था और संपूर्ण शिक्षा उससे संबद्ध थी। फलस्वरूप धर्म–निरपेक्ष विषयों की बहुत सीमा तक उपेक्षा हुई। अतः उनका पर्याप्त विकास नहीं हुआ।

3. शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा :– प्राचीन भारत में शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अतः प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वार उनके लिये बंद थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा की न केवल उपेक्षा की गई, वरन् उनको शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखकर उनके प्रति घोर अन्याय किया गया।

4. जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा :– प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की। इस संबंध में डॉ. अल्तेकर ने लिखा है– ''संभवतः संस्कृत पर अपना ध्यान केन्द्रित रखने और लोकभाषाओं की उपेक्षा करने के कारण हिन्दू–शिक्षा प्रणाली जनसाधारण की शिक्षा का विकास न कर सकी।''

5. स्त्री शिक्षा की उपेक्षा :– प्राचीन भारत में पुरूषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। किन्तु बालकों की शिक्षा के समान बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था न करके स्त्री शिक्षा की पर्याप्त मात्रा में उपेक्षा की गई। निर्माण केवल भारत के

प्त्रों के लिये किया गया था। इस योजना में भारत की पुत्रियों के लिये कोई स्थान नहीं जान पड़ता हैं।

6. सांसारिक जीवन की उपेक्षा :– शिक्षाशास्त्रियों के विचारानुसार, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को पूर्ण जीवन के लिये तैयार करना है। इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति को लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिये तैयार किया जाना चाहिय। किन्तु जैसा कि डॉ. एफ.ई.केई ने लिखा है– ''ब्राह्मणीय शिक्षा में जीवन के व्यावहारिक कर्तव्यों और उसके लिये व्यक्ति को तैयार करने के प्रति घृणा की प्रवृत्ति थी।''

इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि लौकिक पक्ष की उपेक्षा करके आध्यात्मिक पक्ष को महत्व दिया गया। फलस्वरूप, प्राचीन युग के व्यक्ति संसार एवं सांसारिक जीवन को असार मानने लगे और उनके प्रति उदासीन हो गयें। अतः इस युग में लौकिक प्रगति का मार्ग बहुत सीमा तक अवरूद्ध हो गया।

7. विचार–स्वातन्त्रय का अभाव :– प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई कि धर्मशास्त्रों में लिखी हुई सब बाते पूर्णतया सत्य हैं और उन्होंने जिन बातों को असत्य बताया हैं, वे कदापि सत्य नहीं हो सकती है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वासों और रूढ़िवादिताओं का प्रवेश हुआ।

8. हस्तकार्य व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा :– प्राचीन भारतीय शिक्षा में धार्मिक शिक्षा की तुलना में लौकिक शिक्षा का स्थान बहुत निम्न था। फलस्वरूप, अध्ययन–केन्द्रों मं लौकिक शिक्षा से संबंधित हस्तकार्यो की शिक्षा को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआा। अतः उच्च वर्गो के छात्रों का, जो इन अध्ययन केन्द्रों में शिक्षा ग्रहण करते थे, इन कार्यो में कोई संपर्क नहीं हुआ। ये कार्य निम्न वर्गो तक ही सीमित रहे, जिनको इनकी शिक्षा अपने परिवारों में प्राप्त होती थी। इन वर्गो के व्यक्तियों को हेय समझा जाता था। अतः उनके द्वारा किये जाने वाले हस्तकार्यो और शारीरिक श्रम को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा।

9. धर्म को अत्यधिक महत्व :– प्राचीन भारतीय शिक्षा में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शिक्षा की संपूर्ण संरचना धार्मिक आदर्शो से निमज्जित थी। इन्हीं आदर्शो के अनुसार शिक्षा के विषयों, उद्देश्यों और पाठ्यक्रमों को निर्धारित किया गया था। छात्रों के समय का अधिकांश भाग धर्म–शास्त्रों के अध्ययन और कर्मकांडों के संपादन में व्यतीत होता था। उनको निष्काम कर्म करने और अपनी इच्छाओं का दमन करने का उपदेश दिया जाता था।

10. नवीन धर्मो का अविर्भाव :– डॉ. एस.एन. मुकर्जी का विचार है लगभग पांचवी शताब्दी के अंत तक शिक्षा अधिकांश रूप में ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गई थी और शिक्षा के व्यवसाय पर उनका एकमात्र अधिकार था। इस अधिकार को बनाए रखने के लिये उन्होंने धर्म का सहारा लिया और उसमें जटिलता को कूट–कूटकर भर दिया। इस जटिलता के परिणामस्वरूप धार्मिक कृत्यों और ब्राह्मणों द्वारा उनमें प्रयोग की जाने वाली संस्कृत भाषा का जनसाधारण के लिये कोई महत्व नहीं रह गया। वैदिक धर्म के प्रति जनसाधारण के इसी परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण दो नवीन धर्मो का अविर्भाव हुआ– बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में अनेक गंभीर दोष थे, जिनके कारण वह कालान्तर में समयानुकूल न रह गई और उसका ह्रास आरंभ हो गया।

संदर्भ ग्रंथ

1. मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, सामर्थ्य, बी.बिग पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
2. मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान– प्रारंभिक शिक्षा के लिए सार्वजनीकरण के लिए कार्यक्रम, दिल्ली
4. मंगल, एस.के., शिक्षा मनोविज्ञान, दिल्ली प्रेन्टीस हॉल ऑफ इंडिया, 2008
5. मिश्रा, महेन्द्र कुमार, मनोविज्ञान विश्वकोश–बाल विकास, दिल्ली अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2008

पर्यटन विकास का एक रोल मॉडल

डॉ. अशोक शर्मा, कटनी मध्यप्रदेश

शोध सार : पिछले 50 वर्षो में आर्थिक विकास के बल पर पर्यटन ने अपना स्थान सुनिश्चित कर दिया है। आज आवश्यता इस बात की है कि भविष्य में यदि हम पर्यटन को ओर भी तेजी से विकसित करना है तो और पर्यटन नीतियां पर्यटन विकास का आधार होना चाहिए उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए तभी पर्यटन विकास का एक रोल मॉडल हो सकता है।

मुख्य शब्द : पर्यटन नीति, आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

प्रस्तावना : स्वतंत्रता के उपरातं जब प्रथम पर्यटन नीति का निर्माण हुआ तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उदगार थे ''पर्यटक का स्वागत कीजिए और उसे मित्र बनाकर वापस कीजिए।'' उपरोक्त उदगार वास्तव में भारतीय पर्यटन नीति के सारगर्भित विचार थे। चूंकि पर्यटन एक ऐसा अस्त्र है जो राष्ट्रीय एकता एवं अंर्तराष्ट्रीय समन्वय का प्रतीक है चूंकि तत्कालीन नीति द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् दुनिया के नये सृजन की थी और नयें नये स्वतंत्रता प्राप्त संदेश में इसलिए पर्यटन ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को निर्मित करने में अपनी हिस्सेदारी का निर्वाह किया। इसी पर्यटन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एकता का प्रतीक या एकजुट करने का साधन और अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर आपसी समझदारी और मैत्रो का यह एक मार्ग है। दूसरा उद्देश्य यह है कि आर्थिक नियोजन के अंतर्गत विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से जो साधन निर्मित किये जाते है उसमें पर्यटन एक अहम भूमिका का निर्वाह करता है। यहॉं यह उल्लेखनीय है कि भारत में 1950 का दशक एक महत्वपूर्ण समय है जबकि the India tourism development corporation (itdc)dh स्थापना हुई तथा air India ने भी to call का निर्माण किया, जो भारतीय पर्यटन के उद्देश्य को पूरा करने का प्रथम प्रयास था।

वास्तव में भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ देश के सामाजिक आर्थिक विकास का दर्पण है इसलिए नीति निर्माताओं ने यह निर्णय किया कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन व उसकी आय–व्यय घोषित होना चाहिए। विभिन्न सारणियों के माध्य से पर्यटन व्ययों का निरीक्षण कर सकते है।

भारत में पर्यटन विकास का S7 सूत्र

भारत विशिष्टताओं और विविधताओं का देश है, इसलिये भारत के पर्यटन स्थल भी विविधताओं से समृद्ध है। भारतीय राज्यों की पर्यटन क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान है जैसे कि हिमाचल एवं उतरांचल को देवभूमि से जाना जाता है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग, उतर–पूर्वी प्रदेशों को हरितिमा का पुंज, तमिलनाड, को मंदिरो का प्रदेश, मध्यप्रदेश को प्राकृतिक सौन्दर्य एवं बाघों के लिये। प्रत्येक प्रदेश की अपनी एक अलग विशिष्टता है।

भारत सरकार ने अपनी नई पर्यटन नीति में S7 की रणनीति घोषित की है। यह नीति सभी राज्यों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस मंत्र फार्मूलाद्ध पर्यटन आधरित घरेलू अर्थव्यवस्था का ठोस रूप दे सकता यह 7 प्रकार से है–

1. स्वागत – पर्यटन का मूल मंत्र
2. सूचना – अनिवार्य आवश्यकता
3. सुविधा – पर्यटकों के लिये सोने में सुहागा
4. सुरक्षा – राज्यों की नैतिक जिम्मेदारी
5. सहयोग – पर्यटन विकास के लिये जरूरी
6. संरचना – आर्थिक ढांचे की मजबूती और टिकाउपन के लिये जरूरी
7. सफाई – पर्यावरण चेतना जागृत करने के और फैलाने के लिये

यह रणनीति पर्यटन के मध्य रोजगार निर्माण, आर्थिक, समृद्धि पर्यटन की संभावना वाले दूरस्थ ग्रामीण अंचलों का विकास, सामाजिक एकरूपता के लिए उपयोगी हो सकती है।

सारणी – 1

भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन पर किया जाने वाला अनुमनित व्यय

पंचवर्षीय योजना	पर्यटन (करोड रू.)	कुल व्यय से % व्यय
प्रथम योजना	Not mentioned	-
द्वितीय योजना	Not mentioned	-
तृतीय योजना	4.001(approx.)	0.11
चतुर्थ योजना	85.00	0.30
पंचम योजना	23.62	0.121
पष्ठ योजना	72.00	0.15
सप्तम योजना	138.68	0.15
अष्टम योजना	272.0	0.11

Source…..five year plan documents-planning commission of India.1

Note…..qutlay includes budgetary supprt (bs) plus. Internal extra budgetary resources (iebr).h

सारणी – 2

भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन पर किया जाने वाला अनुमानित व्यय

वार्षिक	पर्यटन (करोड़)	कुल व्यय से % व्यय
1990–91	83.00	0.21
1991–92	90.00	0.21
1992–93	81.00	0.17
1993–94	87.20	0.14
1994–95	103.51	0.13
1995–96	102.70	0.13
1996–97	130.00	0.17
1997–98	180.35	0.20

Source…..five year plan documents-planning commission of India.2

Note…..qutlay includes budgetary supprt (bs) plus. Internal extra budgetary resources (iebr).

उपरोक्त सारणियों का हम विश्लेषण करें तो देखेंगे कि प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन पर कोई व्यय नही दर्शाया गया है।
यद्यपि इस योजना काल में कुछ स्कीम बनाई गई और उन्हें दो भागों में बांटा गया –

1. ऐसी योजना जो कि सीमित पर्यटकों के लिए सीमित स्थानों तक निर्मित की गई विशेषकर विदेशी पर्यटन के लिए।
2. और कुछ ऐसी योजनाओं जो देशी पर्यटकों के लिए जो न्यून एवं माध्यम आय के थे उन्हें आवास उपलब्ध करना था।

जबकि तृतीय योजना काल में सामान्यता : 4 करोड़ का प्रस्ताव था और यह एक ऐसा समय था जिसमें पर्यटन तेजी से बढ़ा और जो भी प्रयास किए गये वे आवास एवं प्राथमिक सुविधाओं तक ही सीमित थे।

प्रारूप में केन्द्र की ओर राज्य की योजना को पृथक किया गया तथा जहॉं तक केन्द्र का प्रश्न था वह विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सुविधाओं तक सीमित था और राज्य की भूमिका देशी पर्यटकों को सुविधा जुटाने तक सीमित थी। यह तृतीय योजना चौथी योजना तक विस्तृत की गई और इसमें विदेशी मुद्रा को अर्जित करना, रोजगार निर्माण करना आदि पर्यटन विकास के मूलाधार थे। इस योजना प्रारूप में स्पष्ट किया

गया कि ''पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का मुख्य साधन है इसके माध्यम से रोजगार निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध व समझदारी को विकसित करना था।''

यदि हम तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के कुल व्यय से प्रतिशत को देखें तो योजना के कुल प्रतिशत का 0.11% तृतीय योजना के लिए था और 0.30% तक ही न्यूनतम योजना व्यय का निर्धारण चतुर्थ योजना में किया गया है, फिर भी पर्यटन के संसाधनों के विकास का यह प्रारंभिक बिन्दु था इससे उपरांत ही हर आने वाली योजना के लिए आधार बन गया और चौथी योजना के प्रारूप में यह स्पष्ट किया गया कि पर्यटन के उन क्षेत्रों पर विशेष अध्ययन दिया जहॉ पर विदेशी पर्यटकों की निरन्तरता बनी रहती है। यदि हम सारणी को देखें तो तीसरी योजना मे 4 करोड़ रू. प्रस्तावित था यह चतुर्थ योजना में 25 करोड़ रू. तक पहॅुचा परन्तु पॉचवी योजना एक ऐसी अवधि थी जहॉ पर्यटन प्रयासों को सर्वाधिक नुकसान पहॅुचा चूंकि योजना व्यय 23.62 करोड रह गया और कुल योजना व्यय का 0.12% था। इस नीति में साधनों के आवंटन और वृहद् पर्यटन उद्देश्य दोनों को नुकसान पहॅुचा चुकिं कुछ सीमित कार्यक्रम पर ही इस योजना के व्यय निर्धारण थी इस योजना में न कोई रणनीति थी न ही कार्यक्रम और न ही सरकार की आकांक्षा।

परन्तु छठवीं पंचवर्षीय योजना के व्यय निर्धारण को देखने पर लगता है कि इस योजनाओं काल में पूर्ण की भरपाई की गई व पर्यटन के लिए नई दिशा मिली। पर्यटन व्यय 72 करोड़ हो गया जो कि कुल का 1.5: है। इस योजना के पारूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह दिखाई देती है कि भारत सरकार की छोटी योजनाओं से बडी रणनीति की ओर तथा मात्र विदेशी मुद्रा प्राप्ति के बजाय समग्र आर्थिक विकास पर केन्द्रित थी। यह पर्यटन की दृष्टि से भारत सरकार का नीतिगत बदलाव था। इस योजना अवधि के योजना काल में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा गया –

(a) आर्थिक सामाजिक लाभों की प्राप्ति जैसे राष्ट्रीय एकता को बढाना तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ पैदा करना (b) रोजगार का निर्माण (c) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना (d) देश के अंदरूनी भागों में विकास के केन्द्र खोलना (e) विदेशी मुद्रा संबंधी आय की ओर बढ़ाना (f) स्थानीय स्तर पर हस्तकला एवं सांस्कृतिक गतिविधियॉ को समर्थन देना (g) केन्द्र एवं राज्य सरकार कर कर आय के स्त्रोत के रूप में हिस्सा लेना आदि ऐसे बिंन्दु है जो कि योजना प्रारूप में प्रस्तृत किये गयें। एक दम ठीक से देखे तो छठी पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न सामाजिक आर्थिक लाभ न्यूनतम विनियोग के माध्यम से प्राप्त किये गये है और इसी ध्येय बिंदु को आधार बनाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में और भी अधिक प्रयास किये गये यह एक ऐसा योजना काल है, जहां पर संसाधनों के विकास स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक एवं हस्तकला को समर्थन देना पर्यावरण को सुरक्षित रखना और जो हमारे दुर्लभ साधन है उनको न्यूनतम लागत के आधार पर प्राप्त करना या संरक्षण देना इसी योजना की देने है। इससे भो महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है कि केन्द्र व राज्य सरकार व नीति क्षेत्र के बीच सामंजस्य स्थापित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत मामला था इसलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 138.68 करोड़ रू. व्यय राशि का निर्धारण किया गया जो कि कुल योजना व्यय का 1.5% था। इस योजना अवधि में पर्यटन की भ्मिका और उसके विकास के कुछ नये उद्देश्य सुनिश्चित कियें गये जो निम्नानुसार है :

1. पर्यटन को तेजी से विकसित करना।
2. पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा प्रदान करना।
3. पर्यटन क्षेत्र में सार्वजनिक और नीति क्षेत्र की भूमिका सुनिश्चित करना और उनके विनियोग को प्रोत्साहित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों के विकास पर सबसे अधिक था।
4. स्थानीय हस्तकला को समर्थन देने के लिये नये पर्यटन की तलाश करना। आय सृजनात्मक कला को विकसित करना तथा राष्ट्रीय को सुदृढ करना आदि शामिल किया गया वास्वत में यह सातवीं योजना के वृहत उद्देश्य थे।

इस योजना अवधि में कुछ क्षेत्रों को अंकित किया गया

1. पर्यटन सर्किटों का निर्माण।
2. पर्यटन उत्पाद विमुक्तिकरण और विस्तार और उसके लिए सांस्कृतिक पर्यटन से हॉलीडे पर्यटन की ओर बढ़ना।

3. इन क्षेत्रों को विकसित करना जो गैर परम्परागत है जैसे–ट्रेकिंग, शीतकालीन खेल, वन्य जीव पर्यटन, बीच, रिजार्ट आदि सम्मिलित है।

4. राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षित करना और संतुलित विकास करना।

5. और पर्यटन से जुडे नवीन बाजारों का विकास करना।

6. निजी क्षेत्र से मिलकर राष्ट्रीय साख नीति का निर्माण करना और बाजार मुखी योजना प्रस्तुत करना, कुछ ऐसी अवधारणा है जिनसे यह स्पष्ट होता है कि नीति निर्माताओं ने पर्यटन को विकसित करने के लिए बहुत ही ठोस आधार निर्मित किये है।

इस योजना की महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि योजना अवधि यह मानती है कि नीति क्षेत्र पर्यटन संसाधनों को बढ़ाने में सबसे सार्थक भूमिका का निर्माण करता है। तत्पश्चात् हम आठवीं पंचवर्षीय योजना को देखें तो यद्यपि यह कुल योजना का 11 है लेकिन कुल व्ययों का आयोजना 272 करोड रू. किया गया।

यदि हम सातवीं और आठवी योजना काल को देखे जहॉ सातवी योजना देश के पर्यटन विकास का वाटर शेड है तो दूसरी ओर आठवीं वार्षिक योजना भारत की नई आर्थिक उदारवादी रणनीतियों का दिग्दर्शन कराना है।

निष्कर्ष एवं सुझाव –

1. पर्यटन विकास कर भविष्य वास्तव में निजी क्षेत्र के प्रयास से प्रारंभ होना चाहिए।

2. शासन की भूमिका मात्र वृहद् योजना बनाना रणनीति तय करना, राजकोषीय एवं मरैद्रिक लाभ सुनिश्चित करना तथा एक न्यामक निरीक्षण तंत्र को विकसित करना रखा गया।

3. पर्यटन विकास की रणनीति के अंतर्गत लागत लाभ, उच्चतम उत्पादकता के साथ संसाधनों की उत्कृष्टता का निर्माण करना।

4. यह मानते हुए कि पूंजी एक दुर्लभ साधन है अतः कुछ चुने हुए प्रयास के साथ पर्यटन विकास के क्षेत्र अंकित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए इसलिए आठवी पंचवर्षीय योजना में विशिष्ट पर्यटन क्षेत्र की अवधारणा स्थापित की गई है, जहां सभी संसाधनो को जुटाना आवश्यक रखा गया है।

5. पर्यटन का विपणन उसका प्रचार करे सर्वाधिक महत्व दिया गया है और एक गतिशील भाषा में निर्मित रूप में नई तकनीक नयी खोज व नये समन्वय के साथ आगे बढनें की नीतियां तय की गई

6. विकसित और अविकसित पर्यटन क्षेत्रों को पर्यटन विकास के कार्यक्रम अंतर्गत एक साथ सम्मिलित करना।

7. संतुलित संसाधनों के विकास के लिए सभी राज्यों से कहा गया वे सभी अपने अपने राज्यों के लिए मास्टर प्लान तैयार को।

8. पर्यटन विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा मानवीय होना चाहिए।

यदि हम उपरोक्त योजना अवधि काल को देख तो नियोजित योजना काल में आठवी पंचवर्षीय योजना पर्यटन विकास के लिए एक सम्मिलित आधार प्रस्तृत करती है। यदि हम उस पर अध्ययन केन्द्रित किया जाये तो उसमें पर्यटन विकास कि असीम से भावनाएं दिखाई देती है। इसी दृष्टि की कुछ झलक नवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिखाई देती है। उसमें आठवी योंजना के ही उद्देश्य को ही आगे बढाया है जो पहले से ही अंकित है फिर भी इस योजना में कुछ नई नीतिगत योजनाएं सम्मिलित की गई है:

1. इस योजना में देशी पर्यटन के लिए संसाधनों के विकास पर जोर दिया गया जिसमें राज्य सरकारो की भूमिका होगी।

2. यह योजना इस बात पर बल देती है कि पर्यटन विकास से जुडी सभी योजानाओं में सामंजस्य होना चाहिए।

3. यह योजना स्थानीय लोगो की भागीदार पर बल देती है जिससे कि पर्यटक सुविधाएं मूल स्थान से विकसित होनी चाहिए और पर्यटक मित्रता का वातावरण पैदा होना चाहिए।

4. यह योजना क्षेत्रीय विकास के साथ साथ उतर पूर्वी क्षेत्रों के पर्यटन के विकास पर सर्वाधिक बल प्रदान करना।

उपरोक्त योजनाओं का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 50 वर्षो में आर्थिक विकास के बल पर पर्यटन ने अपना स्थान सुनिश्चित कर दिया है। आज आवश्यता इस बात की है कि भविष्य में यदि हम पर्यटन को ओर भी तेजी से विकसित करना है तो और पर्यटन नीतियां पर्यटन विकास का आधार होना चाहिए उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए तभी पर्यटन विकास का एक रोल मॉडल हो सकता है।

संदर्भ सूची :

चौरसिया, धनजी ''ग्रामीण पर्यटन से मजबूत होगा आधारभूत ढांचा''कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित वर्ष 58 अंकः07 मई 2012

सेन, अमित कुमार ''मध्यप्रदेश में ग्रामीण पर्यटन'' कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित वर्ष 58 अंकः07 मई 2012

लछवानी, डॉ. अमिता, विमलेश सिंह (2015) ''ई – टूरिस्ट वीजा योजना एवं पर्यटन विकास'' ए जर्नल ऑफ ऐशिया फॉर डेमोक्रेशी एण्ड डवलपमेन्ट वाल्युम– एक्स व्ही (3) 2015

दीक्षित, सौरभ कुमार (2016) ''पूर्वात्तर भारत : विश्व पर्यटन का स्वर्ग'' योजना विकास को समर्पित मासिक पत्रिका अप्रैल 2016

कृषि का महत्व एवं भारत में औद्योगिक विकास

अजय कछवाहा
अतिथि व्याख्याता नवीन शासकीय महाविद्यालय बजाग

शोध सार : किसी भी देश के आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक देश के विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि ही सुदृढ़ता का आधार प्रदान करती हैं। कृषि विकास की ही देन है।''
ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, नए ग्रामीण शाखाओं के अनुपात में वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक किसानों को सीधे ऋण प्रदान नहीं करता, लेकिन यह वाणिज्यक बैंको एवं यह राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि कार्य को चलाने के लिए किसानों को ऋण देने का प्रावधान करता है एवं निर्देशित भी करता है। ऋण की सुविधा प्रदान करता है।

मुख्य शब्द : औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, लघु एवं कुटीर उद्योग, सहकारी बैंक,

प्रस्तावना : संसार के निर्धन देशों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्ग–संघर्ष न श्रम और पूंजी के बीच है और न ही विदेशी व राष्ट्रीय हितों के बीच। सबसे महत्वपूर्ण वर्ग–संघर्ष ग्रामीण व शहरी वर्गो के बीच है।

महात्मा गांधी ने कहा है कि – ''भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योगों में निहित है।''[1]
इन शासकों ने जमींदारों का एक नया वर्ग खड़ा कर दिया जिसका मुख्य काम ही किसानों का शोषण करना था। यह वर्ग मध्यस्थों व परजीवियों का वर्ग था। जमींदार कुल कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगान के रूप में काश्तकारों व किसानों से छीन लेते थे जिससे वास्तविक काश्तकार के पास केवल जीवन–निर्वाह योग्य साधन ही बच पाते थे, इसलिए जहा एक ओर उनकी स्थिति बदतर होती चली गई वहीं, साधनों के अभाव में, कृषि में निवेश भी बढ़ नहीं पाया (जमींदार चाहते तो कृषि में निवेश कर सकते थे परंतु वे अधिकतर साधनों का अपव्यय विलासिता की उपभोग वस्तुओं पर कर देते थे)। इस प्रकार, स्वतंत्रता से पूव कृषि व्यवसाय 'जीवन–निर्वाह' का साधन मात्र बनकर रह गया। जमींदार और महाजन ऋणों के भुगतान की आड़ में किसानों की जमींन हड़प जाते थे।

इससे खेतिहर मजदूरों का एक नया वर्ग पैदा हो गया। ये लोग अन्य किसानों की भूमि पर मजदूरी करने लगे। मजदूरी का स्तर बहुत ही कम होता था। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि से केवल जीवन–निर्वाह योग्य आय ही अर्जित कर पाता था। यह स्थिति काफी समय तक बनी रही। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि से केवल 'जीवन–निर्वाह' योग्य आय ही अर्जित कर पाता था। यह स्थिति काफी समय तक बनी रही। वस्तुतः 1966 के बाद हरित क्रांति के आगमन से स्थिति में कुछ बदलाव आया और कुछ किसानों ने कृषि को व्यावसायिक आधार पर अपनाया। अब हम विस्तार के साथ विचार करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या स्थान है।

कृषि का महत्व एवं भारत में औद्योगिक विकास :– कृषि का महत्व एवं भारत में औद्योगिक विकास की दृष्टि से कृषि का बहुत महत्व है। भारत में महत्वपूर्ण उद्योगों को जिनमें सूती वस्त्र, जूट, चीनी तथा वनस्पति उद्योग उल्लेखनीय है, कृषि से ही कच्चे पदार्थो की प्राप्ति होती है। औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों क लिए खाद्यान्नों के उत्पादन की जिम्मेवारी कृषि क्षेत्र पर ही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्माण उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजार भी होता है। अभी भारतीय किसानों और खेतिहर मजदूरों की आय का स्तर काफी नीचा है इसलिए इस क्षेत्र में तैयार वस्तुआं के लिए बाजार सीमित है।

कृषि विकास से भारतीय उद्योगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बाजार विस्तृत होना स्वाभाविक है। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था –

''लघु एवं कुटीर उद्योग भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ है।''

कृषि विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था :– कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दु व भारतीय जीवन की धुरी है। अर्थिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्त्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का मध्यम होने के कारण कृषि को देश के अर्थव्यवस्था की आधारशिला कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश को कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों से ही अपना जीविकोपार्जन कर रही है। अतः यह कहना समायोजित होगा कि कृषि का विकास व संपन्नता नितांत आवश्यक है तथा भारत में कृषि उत्पादन की क्षमता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत में निवास कर रहे लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है यहाँ के नागरिक कार्य को अत्यंत ही लगन व मेहनत से कर रहे है। यही कारण है कि यहाँ कृषि का उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर कृषि को सुचारू रूप से चलाने में बैंकों से आर्थिक मदद मील का पत्थर साबित हो रही है। चूंकि हम जानते है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है भारत में निवास करने वाले नागरिकों को कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। भारत में नाबार्ड सरकार की ऐजेन्सी है नाबार्ड में कृषि से संबंधित सारी योजनाओं को लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है।

बैंको के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे किसानों को सहायता मिलती है नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीति, योजना और ऋण के क्षेत्र में मदद करता है। वाणिज्य बैंक की सहायता से किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो कि किसानों को कम ब्याज दर में ऋण लेने के लिए मदद करता है कारगार सिद्ध हुई है। ''भारत गांव का देश है इसकी अधिकांश लगभग दो तिहाई आबादी गांवों में निवास करती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन स्तर ऊंचा उठाये बिना राष्ट्र का विकास होना असंभव है। आज भारत विश्व में मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है।''

किसी भी देश के आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक देश के विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि ही सुदृढ़ता का आधार प्रदान करती हैं। कृषि विकास की ही देन है।''
ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, नए ग्रामीण शाखाओं के अनुपात में वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक किसानां को सीधे ऋण प्रदान नहीं करता, लेकिन यह वाणिज्यक बैंको एवं यह राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि कार्य को चलाने के लिए किसानों को ऋण देने का प्रावधान करता है एवं निर्देशित भी करता है। ऋण की सुविधा प्रदान करता है।

लघु अवधि के लिए ऋण लेकर मौसमी फसलों की पैदावार बढ़ाने में राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कृषि विकास हेतु कुओं का निर्माण, लघु सिंचाई योजनाओं, मशीनों को खरीदने, कृषि उपकरण आदि में राज्य सहकारी बैंको की मध्यम अवधि के ऋण देता है कृषि विकास में वाणिज्यिक बैकों की भूमिका'' (भारत देश के विशेष संदर्भ में) विषय पर शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य भारत में निवासरत् नागरिकों को कृषि कार्य के उत्पादन के लिए बैंको के माध्यम से अनेकों सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना ताकि यह ज्ञात करना कि वाणिज्यिक बैंको द्वारा किसानों के व्यवसाय में कितनी भूमिका हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जाने लगा हैं। भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब नहीं हैं परन्तु उन्हें उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरणों की जरूरत है जो कि काफी मंहगे होते हैं अतः उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय होना ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से मदद करना प्रमुख उद्देश्य रहा है। कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए आदानों पर अध्ययन की छत्रक योजना के अधीन असम कृषि विश्वविद्यालय के अधीन जोरहट में दो केन्द्र है (खेती की लागत और कृषि आर्थिक अनुसंधान पर प्रत्येक एक) जो कि पूवोत्तर क्षेत्र से संबंधित राज्य और राष्ट्रीय महत्व के कृषि अर्थशास्त्र के विभिन्न मुद्दों पर खेती की लागत के संकलन और कृषि मुद्दों पर खेती की लागत के संकलन

और कृषि आर्थिक अनुसंधान में लगे हुए हैं। वर्ष 2012–13 के लिए खेती की लागत स्कीम के अधीन 5.00 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है जिसमें से अक्टूबर 2012 के अंत तक 1.22 करोड़ रू. जारी कर दिए गए हैं।
कृषि आर्थिक अनुसंधान स्कीम के अधीन, वर्ष 2012–13 के लिए 2.00 करोड़ रू. का आवंटन किया गया था।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शब्दों में – '' भारत गांव का देश है। अतः सरकार को संतुलित अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को सर्वाधिक महत्व प्रदान करना चाहिये।''

योजना आयोग के अनुसार – ''ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य कार्य के अवसरों में वृद्धि करना, आय एवं रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना तथा एक अधिक संतुलित एवं समन्वित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।''

भारतीय कृषि का स्वरूप :– आजादी के समय कृषि पिछड़ी अवस्था में थी। उसमें श्रम और भूमि की उत्पादिता कम थी। खेती का ढंग परम्परागत था। अधिकांश किसान पीढ़ियों पुरानी रीतियों से खेती करते थे। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नाममात्र था। किसान प्रायः जीवन–निर्वाह के लिए ही खेती करते थे। दूसरे शब्दों में, बड़े पैमाने पर कृषि का वाणिज्यीकरण नहीं हुआ था।

मुद्रा का महत्व गांव की अर्थव्यवस्था में कितना कम होगा, यह इसी से समझा जा सकता है कि 1951–52 में भी किसानों के उपभोग में लगभग 45 प्रतिशत अंश उनके ही द्वारा उत्पादित वस्तुओं का होता था। ये सब बातें अक्सर ही कृषि के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कही जाती है। इनसे कृषि क्षेत्र में एक सामान्य अल्प–विकास और गुणात्मक परिवर्तन के अभाव का आभास तो मिलता है, लेकिन भारतीय कृषि को परम्परागत और गतिहीन कहना ही पर्याप्त नहीं है। रोग के लक्षण बताकर उसके कारणों की ओर ध्यान न देना अधिक उपयोगी नहीं होगा। हमें स्वतंत्रता के समय कृषि के स्वरूप को समझने के लिए उस समय के भूमि संबंधों, कृषि जोतों के आकार, कृषि तकनीकों सिंचाई की सुविधाओं, ग्रामों में व्यापक ऋणग्रस्तता और महाजनी पूंजी की भूमिका इत्यादि पर विचार करना होगा।

कृषि का विकास :
(अ) विश्व में – कृषि का विकास 1,000 ठण्ब् से पूर्व आरंभ हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण (20वीं सदी के मध्य तक) निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

(ब) भारत में कृषि का विकास :– अपनी लगातार बढती हुई कृषि पैदावार द्वारा भारत कृषि प्रधान देश होने का दावा स्पष्ट करते हुए विश्व में कृषि विकास के क्षेत्र में प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका है, फिर भी राष्ट्रीय आय का लगभग 17.6 प्रतिशत हिस्सा कृषि से प्राप्त हो पाता है और यह सच है कि अपने देश की लगभग 65 से 70 प्रतिशत जनसंख्या की जीविका का साधन है जो कृषि से जुड़ी हुई है यही नहीं बल्कि सच मायने में भारत का प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ा हुआ है, गांवों में जीवनयापन करने वाली जनसंख्या का मुख्य धंधा कृषि ही है। भारत में कृषि का संक्षिप्त इतिहास तालिका में दिया गया है :–

तालिका :– 1
कृषि विकास–मुख्य बातें

20वीं सदी के दौरान कृषि में बदलाव – प्रथम चरण (1950–68)– Pre-Green Revolution Era द्वितीय चरण (1968–88)– Green Revolution Era तृतीय चरण (1988–सदी अंत तक)– अर्थात् उच्च अपादानों एवं उपज में समगतिशीलता (ठहराव) Post Green Revolution Era-Sustainability of high inputs and productivity	1. AMU अलीगढ़, 2. BHU वाराणसी, 3. विश्व भारती, श्री निकेतन (WB) 4. कृषि विज्ञान एवं ग्रामीण विकास विद्यालय, नागालैण्ड वि.वि. मेदजीफेमा (नागालैण्ड), 5. विश्व भारती, शांति निकेतन (प. बंगाल)

'21' वीं सदी (अर्थात् New Millennium) में कृषि का स्वरूप क्या हो ? सदी के शुरू के 20–25 वर्षो में Forminf System Approach अर्थात् फसलोत्पादन (Crop production) + Agri business based farming (एग्रो–फोरेस्ट्री, फलों–फलों, सुगंध (एरोमैटिक)/आयुर्वेदिक (Medinical) पौधों की खेती, मुर्गी/बत्तख/बटेर/सूकर/बकरी/पशु/मधुमक्खी पालन (Apiculture)/ मत्स्य पालन (Fisheries)/डेयरी एवं मशरूम खती आदि)	2009 में दैनिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता : खाद्यान्न 444 ग्राम जिसमें अनाज 407 तथा दालें 37.0 ग्राम हैं तथा दूध 281 मिलीलीटर प्रतिदिन (विश्व औसत 284 ग्राम) एवं अंडा 41 प्रतिवर्ष
कृषि का 2009–10 में राष्ट्रीय ळक्च में योगदान 14.6 प्रतिशत एवं वर्ष 2010–11 में 14.5 प्रतिशत (सम्भावित), जो 1950–51 में 52.2 प्रतिशत था, यह 70 प्रतिशत जनसंख्या की जीविका का साधन है।	भारत में वयस्क श्रमिकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत है, जबकि चीन में 45 प्रतिशत व स्वीडल में 47 प्रतिशत है।
वर्ष 2009–10 में कृषि विकास दर (–) 0.2 प्रतिशत रही, जबकि 10 वीं योजना में यह वास्तविक विकास दर 7.5 प्रति आंकी गई।	भारत में उर्वरक उपयोग लगभग 144.14 किग्रा. NPK/हेक्टेयर (वर्ष 2010–11) रहा, पंजाब का सर्वाधिक 237.1 किग्रा. /हे. है, जबकि चीन में 400 किग्रा. NPK के लगभग है। देश में 1951–52 में यह 1 किग्रा. से भी कम था।
देश में, वर्ष 2011–12 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन 250.42 मिलियन टन का अनुमान है जो अब तक का रिकार्ड उत्पादन होगा जिसमें चावल 102.75, गेहूं 88.31, मोटे अनाज 42. 08, तिलहन 30.53 मिलियन टन की आशा है।	भारत, विश्व में (चीन, यू.एस.ए. के बाद) तीसरा बड़ा उर्वरक उत्पादक एवं उपभाक्ता राष्ट्र है, जहां (2007–08 में) 22.6 मिलि. टन उर्वरक तत्वों का N.P.K. उपभोग किया गया।
राष्ट्रीय कुल खाद्यान्न उत्पादन (2010–11 में) 244.78 मिलियन टन रहा, जिसमें गेहूं 85.93, चावल 95.32, एवं मोटे अनाज42. 22 मिलियिन टन था। इनके अलावा तिलहन 31.1 मिलियन टन, दलहन 18.09 मिलियन टन, गन्ना 339.17 मिलियन टन, जूट व मैस्टा 10.37 मिलियन बेल्स व कपास 33.43 मिलियन, बेल्स गांठें (प्रत्येक 170 किग्रा.) रहा।	शुष्क खेती (Dryland Agriculture)/बारानी खेती (Rinfed) में देश का 67 प्रतिशत भाग, लेकिन इससे उत्पादन मात्र 40–45 प्रतिशत।
विश्व की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या और 18 प्रतिशत पशुधन भारत में है और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4 प्रतिशत भाग, लेकिन 4 प्रतिशत मात्र कुल उपलब्ध ताजा जल भारत में	सिंचित खेती (Irrigated) में 33 प्रतिशत क्षेत्र लेकिन उत्पादन 55–58 प्रतिशत।
2011 की गणनानुसार देश की जनसंख्या 121 करोड़ एवं साक्षरता 74.04 प्रतिशत (82.14 प्रतिशत मेल एवं 65.4 प्रतिशत फीमेल) रही।	N : P : K : का उपभोग वर्ष 2009–10 में 4.3 : 2.0 : 1 था, जबकि आदर्श अनुपात (Ideal/ratio) अन्नों में (Cereals) में 4 : 2 : 1 और दलहनों में 1 : 2 : 1 चाहिए।
भारत में गरीबी रेखा के नीचे 21.8 प्रतिशत गरीब (आर्थिक सर्वेक्षण 2007–08 के अनुसार) और 2012 में 15 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।	भारत में वर्षा से प्रतिवर्ष 50–70 लाख हेक्टेयर भूमि की उपजाऊ मिट्टी मृदा क्षरण के रूप में 6 करोड़ टन मिट्टी लगभग अर्थात् 25 लाख टन N, 38 लाख टन P_2O_5 व 26 लाख टन K_2O तत्व बह जाते है (प्रोफेसर राल्ड डूडाल्स– एक प्रसिद्ध मृदा विज्ञानी)।

देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य (2009–10में) चावल, आलू व जूट (पं.बंगाल), गेहू, कुल खाद्यान्न व गन्ना (उ.प्र), कुल तिलहनों में (म.प्र.) है।	विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम, अंडा उत्पादन में द्वितीय तथा मतस्य उत्पादन में तीसरा स्थान है। वर्ष 2010–11 में 121.84 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन हुआ।
विश्व की जैवविविधता का 7 प्रतिशत भाग भारत में तथा भारत, विश्व के 12 मैगा जैव–विविधता देशों में से एक है और विश्व में जैवविविधता के 18 प्रमुख केन्द्रों में से 2 भारत में–पश्चिमी घाट एवं पूर्वी–हिमालय है।	2010–11 तक देश में ICAR द्वारा स्वीकृत KVK–589 है, साथ ही SAUs-49, CAU-1, Central Universities (with Agriculture Faculties-5 एवं Deemed-to.be University 5 है।
देश के कुल (329 मिलि.हेक्टेयर) भौगोलिक क्षेत्र के 19.27 प्रतिशत भाग में वन है जिसमें 11 प्रतिशत घने, 8 प्रतिशत खुले, 0.6 प्रतिशत मेन्ग्रोव वन है जिनका GDP में 1.7 प्रतिशत योगदान	कृषि में महिलाओं हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र {National Research Centre for Women in Agriculture-NRCWA (ICAR)} भुवनेश्वर (उड़ीसा) में स्थापित तथा Sub Centre-NRCWA-भोपाल (म.प्र.) में है।
विश्व के कुल चाय उत्पादन का 17 प्रतिशत भाग भारत (तीसरा स्थान) में होता है, जबकि 14 प्रतिशत विश्व व्यापार का हिस्सा है।	हरित क्रांति (खाद्यान्न उत्पादन), पीली क्रांति (तिलहनों), नीली क्रांति (मत्स्य), भूरी क्रांति (उर्वरक), श्वेत क्रांति (दुग्ध), लाल क्रांति (मांस एवं टमाटर), गोल्डन क्रांति (हॉर्टिकल्चर फलों), रजत क्रांति (अंडा/मुर्गी उत्पादन), गुलाबी क्रांति (झींगा उत्पादन), ब्राउन क्रांति (चाकलेट एवं बेकरीज), एवं गोल क्रांति (आलू) के क्षेत्र में रही।
देश में कुल राज्य कृषि वि.वि. 50 है, जिसमें प्रथम कृषि वि. वि. (1960 में)– उ.प्र. कृषि वि.वि. UPAU पंतनगर है जिसका वर्तमान नाम GBPUT- गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्यो. वि.वि. पंतनगर (उत्तराखंड) है एक Central Agricultural University इम्फाल (मणिपुर) पूर्वांचल प्रदेशों के लिए है। इनके अलावा कृषि संबंधित 5 डीम्ड वि.वि. – नई दिल्ली, IVRI इज्जतनगर (उ.प्र.) NDRI करनाल, CIFE मुंबई एवं AAI इलाहाबाद तथा 5 Central University	विश्व में भारत का स्थान – भैंस संख्या, चाय, जूट, आम, नारियल, फूलगोभी, मसाले, काजू, केला, तिल, दुग्ध उत्पादन, सिंचाई, दलहनों का क्षेत्रफल, संकर कपास किस्मों में, 'पहला' अंडी, मूंगफली, गेहूं, कृषित भूमि, चावल, राई–सरसों, फलों, प्याज, गाय संख्या बकरी, सब्जियां (चीन के बाद) में 'दूसरा' धान्य, कपास, पातगोभी में 'तीसरा' मोटे अनाज, ट्रेक्टर, उर्वरक उपभोग में 'चौथा' तथा अंडे उत्पादन में 'पांचवा' स्थान है।
	वर्ष 2004– अन्तर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, वर्ष 2005– नीम पेटेण्ट वर्ष, शोध एवं विकास, वर्ष 2006–पार्थेनियम (गाजरघास) नियंत्रण एवं जागरूकता वर्ष, वर्ष 2007–अन्तराष्ट्रीय जल वर्ष एवं वर्ष 2008– विश्व आलू दिवस घोषित तथा वर्ष 2010– अन्तर्राष्ट्रीय जैव–विविधता वर्ष, वर्ष 2011 को अंन्तर्राष्ट्रीय वन (Forest) वर्ष तथा बागवानी (Horticulture) वर्ष 2012 घोषित।

प्रथम चरण (1950 से 1968 तक) – जिसे 'पूर्व–हरित क्रांति युग' का गया, जिसकी विशेषताएं कम पूंजी निवेश एवं कम उत्पादकता तकनीक वाली थीं, जब संसार की जनसंख्या कम (1.7 बिलियन मानव–शताब्दी के पहले दशक में) एवं उसके लिए आवश्यक भोजन को पैदा करने के लिए पर्याप्त जमींन थी और उत्पादन में वृद्धि कोई लक्ष्य नहीं था। अतः आर्थिक समगतिशीलता मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि कम बाजार, बाजार में अधिकता एवं कम मूल्य थे और उस समय खेती करने के लिए किसान का मिलना मुश्किल था।

द्वितीय चरण (1968 से 1988 तक) – इसे 'हरित क्रांति युग' बोला गया। वैसे देश की कृषि में 1965 से ही अच्छे आसार दिखाई देने लगे थे, जो संयुक्त राज्य अमरीका में 1940 के दशक में मक्का के अंतर्गत विकास शुरू हुआ और संसार में अन्य फसलों के साथ फैल गया। भारत में यह क्रांति गेहूं व धान के अंतर्गत 1960 के दशक के मध्य–अंत (1966–67) में दिखाई दी। जिसकी विशेषताएं थी – उच्च तकनीक, अधिक पूंजी, निवेश एवं अधिक कृषि उत्पादकता बढ़ी और बढ़ती विश्व मानव जनसंख्या (जो लगभग 5 बिलियन पहुंच गई) को भोजन देना मुख्य मुद्दा बना।

तृतीय चरण (1988–99 तक) – इसे 'उत्तरार्द्ध हरित क्रांति' युग कहा गया। अधिक पूंजी निवेश एवं उच्च उत्पादकता का कृषि में समगतिशील होना, अब मुख्य मुद्दा है, लेकिन विकसित संसार में यह एक गंभीर प्रश्न है जिसके मुख्य कारक रासायनिक उर्वरकों एवं कीट–फफूंद–शाकनाशियों के अत्यधिक उपयोग से है जिसने पर्यावरण संतुलन को अवश्य ही बिगाड़ा है। दूसरा – प्राकृतिक स्रोत कब तक उत्पादकता क्या स्थिर (टिकाऊ) बनी रह सकती है, जबकि दूसरी ओर विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या दबाव की स्थिति है अर्थात् सघन पद्धतियों ने भूमि का कचूमर निकाल दिया है और फसलों के प्रति हेक्टेयर उपज में ठहराव–सा आ गया है। भूमि की उर्वरता घटी है, फसलों की उपज के प्रति उर्वरकों का प्रभाव भी घटा है, जिसके मुख्य कारण– बढ़ती जनसंख्या, घटती जोत आदि रहे और ऐसी दशा में मानव के पेटभरण के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि की अति आवश्यकता है निश्चय ही 'हरित क्रांति' ने खेती को रासायनीकृत बना दिया है जिसके कुप्रभाव भूमि एवं मानव पर दिखाई पड़ रहे है, कीटनाशियों के बुर प्रभाव से मानव में रोग होने लगे है। अतः 'सतत् हरित क्रांति' के लिए कार्बनिक खेती की अब जरूरत है जिसमें उर्वरक के साथ जैविक खादों को मिलाकर प्रयोग किया जाए। कृषि में महिलाओं की भूमिका हेतु राष्ट्रीय महिला कृषि अनुसंधान केन्द्र (NRCWA) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में स्थापित है।

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, परिमार्जन एवं हस्तान्तरण – देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) कृषकों को खेत पर ही प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन करके प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन परिमार्जन एवं हस्तान्तरण (प्रसार) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में प्रमुख परियोजनाएं हैं– कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK-589) संख्या, प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (TTC)–8 संस्थान ग्राम संबंध कार्यकम केन्द्र एवं प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं प्रभाव निर्धारण के 60 केन्द्र है।

21 वीं सदी (सन् 2000 के बाद से) में शुरू के 20–25 वर्षो के लिए खेती का स्वरूप क्या हो ? 21 वीं सदी के शुरू वर्षो में (सन् 2020–25 तक) फार्मिग सिस्टम प्रभावी ढंग से अपनाना होगा, जिसमें फसल उत्पादन के साथ–साथ कृषि आधारित उद्योग धंधे अपनाने होंगे, जिसमें मशरूम, फलों, औषधीय एवं सुगंध पौधों की काश्त डेयरी/बकरी/सूकर/मत्स्य/बत्तखपालन/वर्मीकल्वर/आर्गेनिक खेती सम्मिलित है।

कृषि में परिवर्तन :– कृषि मानव संस्कृति में सबसे प्राचीन उद्योग है और आज यह जिस रूप में है और आज यह जिस रूप में है आदिकाल में ऐसा नहीं था। यह स्थिति धीमें–धीमें अगणित एवं निरन्तर परिवर्तनों का परिणाम है। कृषि समस्याओं, व्यवस्थाओं, संगठनों और कार्य पद्धतियों में आदि काल से वर्तमान काल तक जो परिवर्तन हुये हैं उन्हें कृषि में परिवर्तन कहा जाता है। इसका वर्णन संक्षेप में किया जा रहा है।

प्राचीन भारत में कृषि :– प्राचीन काल में प्रत्येक ग्राम स्वयं सम्पन्न था तथा आर्थिक कृषि से आत्म निर्भर था। आवश्यकता की सभी वस्तुयें गांव में ही पूरी की जाती थी। वस्तु विनिमय प्रचलित था

और कपास में प्रतिस्पर्धा का अभाव था। किसान लोग अपनी भूमि पर आवश्यकतानुसार सभी वस्तुयें उत्पन्न करते थें और बहुत ही कम वस्तुआं के लिये दूसरों पर आश्रित थें। किसान का अपनी भूमि पर परम्परागत स्वामित्व था। राज्य किसान से लगान के रूप में फसल का एक भाग वसूल करता था। मालगुजारी की वसूली अधिकारियों द्वारा की जाती थी, जो एक प्रकार के शासक थे। इनकों पारिश्रमिक के रूप में पूर्ण मालगुजारी का कुछ भाग मिलता था तथा काश्त के लिये कुछ भूमि मिलती थी। भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम था और आवागमन के साधनों का विकास नहीं हुआ था।

कृषि श्रमिकों के प्रकार :–

(अ) कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने कृषि श्रमिकों को अनुभव और कुशलता के आधार पर तीन वर्गो में विभक्त किया है –

(1) खेतों में काम करने वाले श्रमिक – इस वर्ग में भूमि को खेती योग्य बनाने, हल जोतने, बुआई करने, निकाई–गुड़ाई खाद उर्वरक और पौध संरक्षण, औषधियों का खेतों में उपयोग करने वाले और फसल काटने, दंवाई मुडाई करने वाले श्रमिक सम्मिलित है। इन श्रमिकों से पशुपालन और साधारण घरेलू कार्यो से लेकर फसल की रखवाली करने तथा उसे मंडी में बेचने तक के कार्यो को कराया जाता है। खेती में काम करने वाले श्रमिक प्रायः फसलोत्पादन के अवसर पर काम करते है किन्तु इनमें से अधिकांश सालभर अथवा कम से कम 6 मास तक के लिये नियोजक के प्रक्षेत्र पर काम करते हैं। ये प्रायः उपज में बटाईदार रहते है। जो श्रमिक मात्र आकस्मिक या अस्थाई कार्यो में लगाये जाते है उन्हें एक निश्चित दर से मजदूरी मिलती है।

(2) साधारण श्रमिक – इस श्रेणी में कुंआ, तालाब खोदने, नाली के मिट्‌टी साफ करने, नहर खोदने और खेती के चारों और मेढ़बंदी करने वाले ग्रामीण सड़क बनाने वाले तथा गाड़ीवान मजदूर सम्मिलित होते हैं। अस्थाई या आकस्मिक तौर पर नियोजित किया गया है।

(3) कुशल श्रमिक – खेती में काम करने वाले और साधारण श्रमिकों के अतिरिक्त कृषक अनेक अवसरों पर कृषि के अप्रत्यक्ष रूप से सहायक लोगों की सेवायें प्राप्त करता है जैसें बढ़ई, राज मजदूर, लुहार, चर्मकार आदि। जो कृषक के साथ ही कृषि के अतिरिक्त उद्योगों में भी लगे होते है। इन श्रमिकों को या तो त्रय मासिक षटमासिक या वार्षिक मजदूरी जिन्स के रूप में दी जाती है अथवा ठेके पर रखकर अथवा मजदूरी पर नियोजित किया जाता है।

(ब) कृषि श्रमिक गहन सर्वेक्षण रपट में काम करने की दशा और अवधि के आधार पर कृषि श्रमिकों को दो वर्गो मेंविभक्त किया है –

(1) अनुलग्न या स्थाई श्रमिक – ये सेवायोजक के साथ हुये अनुबंध के अनुकूल लंबे समय तक के लिये प्रक्षेत्र के कार्यो को करने हेतु रखे जाते है। इन्हें सेवायोजक के ही प्रक्षेत्र पर काम करने की बाध्यता होती है और अपनी पारिश्रमिक का भुगतान रीति–रिवाजों के हिसाब से पाते हैं।

(2) आकस्मिक या अस्थाई श्रमिक – इन्हें कम अवधि के लिये या किसी विशेष आवश्यकता पड़ने पर कार्य विशेष के लिये रखा जाता है। अस्थाई श्रमिक अन्यत्र काम करने के लिये स्वतंत्र होते है। तथा सर्वसामान्य प्रचलित दर से मजदूरी प्राप्त करते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुलग्न या आकस्मिक श्रमिकों में काम करने की अवधि के आधार पर अंतर स्थापित किया गया है। 1956–57 में 85 प्रतिशत संख्या आकस्मिक श्रमिकों की तथा 15 प्रतिशत भूस्वामियों के साथ स्थायी श्रमिकों की थी।

कृषि श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि के प्रमुख कारण रहे है –

1. जनसंख्या में तेजी से वृद्धि।
2. कृषि योग्य भूमि का सीमित रहना।
3. संयुक्त अधिकारों व संयुक्त परिवार प्रणाली की समाप्ति।
4. अपखण्डित जोतों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि।
5. कुटीर व लघु उद्योगों का अभाव। इन कारणों से बहुसंख्यक अनार्थिक जोत धारकों व सीमांत किसानों को खेतिहर मजदूर बनना पड़ा है और खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है।

कृषि मजदूरी के भुगतान की प्रथायें

भारत में कृषि मजदूरी के भुगतान की विभिन्न प्रथायें प्रचलित है। कुल मिलाकर जो तीन प्रथायें है वे इस प्रकार है–

1. समयानुसार मजदूरी – इस प्रथा के अंतर्गत श्रमिक को समय के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। वह समय एक दिन (24 घंटे में 8 या 10 या 12 घंटे), एक सप्ताह एक मास, तीन मास, छह मास या एक साल हो सकता है। अस्थायी श्रमिकों को आवश्यक रूप से दैनिक मजदूरी, अर्धसाप्ताहिक मजदूरी दी जाती है। स्थायी श्रमिक मासिक, त्रयमासिक, अर्धवार्षिकी मजदूरी प्राप्त करते है।
2. कार्यानुसार मजदूरी – इस प्रथा के अंतर्गत आवश्यक रूप से जब श्रमिक द्वारा एक निश्चित कार्य पूरा कर लिया जाता है तो उस कार्य के आकार प्रकार के आधार पर मजदूरी दी जाती है। जैसे हैक्टर खेत की जुताई या गुड़ाई या सिंचाई या फसल की कटाई आदि। इस तरह से यह किसी कार्य को समाप्त करने के लिये उसे ठेके पर मजदूर को देना होता है। प्रायः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही उसकी मजदूरी निश्चित कर ली जाती है और कार्य समाप्त होने पर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाता है।
3. बंटाई प्रथा – जब खेतिहर भूमि व सारी सामग्री भूस्वामी लगाता है, मजदूर समस्त या कुछ श्रम साहस कार्य करता है और उत्पादन का बंटवारा पूर्व निर्धारित अनुबंध के आधार पर किया जाता है तो उसे बंटाई प्रथा कहते है। बंटाई प्रथा की दो स्थिति होती है।

1. फसल की कटाई करने पर उसका एक अंश श्रमिक को मजदूरी के रूप में दिया जाता है।
2. बंटाई प्रथा की दूसरी स्थिति में भूस्वामी के भूमि पर काश्तकारी के समस्त साम्रगियों को लगाने की प्रबंध तथा श्रम साध्य कार्य मजदूर करता है और बदले में उसे उत्पादन का आधा या तिहाई हिस्सा मजदूरी के रूप में दिया जाता है।

कृषक मजदूरों को मजदूरी भुगतान के अतिरिक्त लाभांश भुगतान की एक अग्रगामी योजना उ.प्र. सरकार ने चलाने का निर्णय लिया है। 1977–78 के दौरान खीरी जनपद के जमुनावाद कृषि फार्म पर अग्रगामी योजना चलायी जायेगी जिसके अंतर्गत हरिजन और पिछड़े वर्ग के मजदूरों को जिस भूमि पर कार्य करते है उसका लाभांश दिया जायेगा। आगे चलकर इन्हीं कृषक मजदूरों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

भारत में फसलों का ढांचा :– फसलों के ढांचे से हमारा तात्पर्य यह है कि विभिन्न फसलों के अधीन कृषित भूमि का कितना हिस्सा है तथा इस हिस्से में समय के साथ क्या परिवर्तन हुआ है। जहां तक फसलों के ढांचे को निर्धारित करने वाले कारक है इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है (जैसे मिट्टी की किस्म, मौसम, वर्षा इत्यादि) परंतु तकनीकी कारकों का भी महत्व रहा है। उदाहरण के लिए, नई कृषि युक्ति के परिणामस्वरूप 1966 के बाद में गेहूं–अधीन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। हाल के वर्षो में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कुछ नए कार्यक्रम लागू किये है। इनके परिणामस्वरूप तिलहनों के अधीन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। उद्योग जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते है।''

भारत में कृषि वस्तुओं की वर्तमान अवस्था निम्नलिखित है :–

1. गांव के महाजन तथा व्यापारी को फसल की बिक्री –भारतीय किसान अपने उत्पादन का बड़ा भाग गांवों में ही महाजन व्यापारी के हाथ बेच देता है। गांव का महाजन व्यापारी किसान की ऋणग्रस्तता का पूरा लाभ उठाता है और उसे सस्ती कीमत पर ही उपज बेचने के लिए बाध्य करता है। प्रायः वह थोक व्यापारी के एजेण्ट के रूप में भी किसानों से कृषि वस्तुओं को खरीदता है।

2. गांवों के हाट में बिक्री – गांव में अब भी सप्ताह में एक अथवा दो बार बाजार लगता है। इसे हाट कहते है। इन बाजारों में खेतिहर मजदूर तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय करने वाले व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते है। किसान अपने उत्पादन का छोटा–सा भाग इस प्रकार के बाजारों में भी बेच लेते है। इसके अलावा इन बाजारों में शहर के थोक व्यापारियों के एजेण्ट पहुंचकर कृषि वस्तुओं की खरीद करते

है। यह उल्लेखनीय है कि गांव के बाजार में बड़े किसान, जिनके पास काफी विपणन आधिक होता है, अपना माल नहीं बेचते।

मण्डियों में बिक्री – अनेक गांवों के बीच किसी कस्बे अथवा शहर में एक मंडी होती है। इन मंडियों में थोक व्यापारी होते हैं जिन्हें आढ़तिया कहते हैं। किसान दलालों की सहायता से अपना माल आढ़तियों को बेचते हैं। प्रायः दलाल आढ़तियों से मिले रहते हैं और किसान को उपज का ठीक मूल्य नहीं मिलता। यातायात संबंधी कठिनाइयों, मंडियों के दलालों और आढ़तियों के कपटपूर्ण व्यवहार आदि से आशांकित होकर छोटे किसान मंडी में अपना माल लाने में अपना माल लाने में संकोच करते हैं। बड़े किसान मंडियों में आढ़तियों के कपटपूर्ण व्यवहार के प्रति सतर्क हैं। आढ़तिए सामान्यतः कृषि उपज को फुटकर व्यापारियों को बेच देते हैं परंतु धान, कपास तथा तिलहन विधायन क्रिया के लिए मिलों को बेच दिए जाते हैं। गन्ने की विपणन व्यवस्था अन्य वस्तुओं की विपणन व्यवस्था से भिन्न है। किसान को उपज का अच्छा मूल्य मिल जाता है। अब राज्य द्वारा प्रतिवर्ष गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है और मिलों को इसी निर्धारित मूल्य पर गन्ना मिलता है।

सहकारी – कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली की कार्यकुशलता का स्तर ऊंचा करने आर किसानों को मध्यस्थों के कपटपूर्ण व्यवहार से बचाकर उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी विपणन पर जोर दिया गया है। सहकारी विपणन समितियां और बहुउद्देश्यीय समितियां सदस्यों के थोड़े–थोड़े विपण्य आधिक्य को एकत्रित मंडियों में थोक व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता करते हुए बेच सकती है। इस प्रकार किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। सहकारी विपणन समिति अपने सदस्यों से उत्पादन इकट्ठा करके उसे सामूहिक रूप से मण्डी में बेच देती है। इससे सदस्यों की सौदा–शक्ति बढ़ती है और वे अपने उत्पादन की बेहतर कीमत प्राप्त करने में सफल होते हैं। उत्पादन की बिक्री के अलावा, ये समितियां कई अन्य तरीकों से भी अपने सदस्यों की सेवा करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ

सिंह, आर, एन. व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध,
पंत, जे.सी. एवं एम.एल., आर्थिक विचारों का इतिहास,
पटैल, डॉ. सुधीर कुमार : कृषि में रोजगार के बढ़ते अवसर ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका, कुरूक्षेत्र, के साभार फरवरी–2008,
जोशी, एन.पी. कोटेज एंड स्मॉल इण्डस्ट्री इन इण्डिया,
गाडगिल, डी.आर., प्लानिंग एंड इकोनोमिक पॉलिसी इन इंडिया,

दिव्यांग बालक–बालिकाओं के बाल प्रबंधन एवं विवाह

दीपा सिंह ठाकुर
शोध छात्र सायकोलोजी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

17वीं सदी :– स्पेनियार्ड द्वारा बधिर व्यक्तियों को शिक्षित करने की सफलता ने यूरोप में बधिर व्यक्तियों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति उत्पन्न कर दी। जॉन बल्व्र एक अंग्रेज (1614–1684) ने बधिरता के विषय में लिखा और कहा गूंगापन बधिरता का आवश्यक प्रभाव नहीं ह। उन्होंने बधिर व्यक्तियों की शिक्षा की विशेष पद्धतियाँ सुझाईं। जान बल्वर ने अपनी पद्धतियों को गुप्त रखा।

जन कोनार्ड आमूल (1660–1724), एक स्विस व्यक्ति जो हालैण्ड में रहते थे उन्होंने ओठ रीडिंग की पद्धति को विकसित किया और समय में शारीरिक एवं मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्य, सुविधाएँ शासन द्वारा अन्य पद्धतियाँ भी विकसित की और अपनी पुस्तक में प्रकाशित करने वाला वह पहला व्यक्ति था जिसने समझा कि वाणी व्यक्ति की भाषा और वाणी के शिक्षण का आंतरिक भाग है।

18वीं सदी :– 18वीं सदी में दो महान शिक्षाविदों ने बधिर व्यक्तियों के उत्थान के लिये बहुत योगदान दिया। वे थे–फ्रांस के एबी चार्ल्स मिखाईल डी एल एफ (1712 से 1789) तथा जर्मनी के सैमुअल हैन्के (1729–1790)।

एबी डी एप को सह सम्मान जाता है कि उन्होंने बधिर व्यक्तियों की शिक्षा को सार्वजनिक चिंता का विषय बनाया। उन्होंने पेरिस में 1775 में बधिर के लिये पहला पब्लिक स्कूल स्थापित किया। वे हस्तचालित पद्धति से पढ़ाते थे। उन्होंने व्याकरण सहित पहली संकेत शब्दकोश का प्रकाशन किया। उनकी शिक्षण पद्धति को विवाद की पद्धति कहा जाता था। हालांकि डी एल एप और उनके उत्तराधिकारी सिकर्ड हस्तकौशल पद्धति से पढ़ाते थे किन्तु उनका भी विश्वास था कि बोली जाने वाली भाषा संप्रेषण की संपूण पद्धति है। उन दोनों का मानना था कि मौखिक शिक्षा बहुत से कारणों से अच्छी है। उन्होंने कुछ इच्छुक शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया। उनमें से एक थे सिकर्ड।

जर्मनी में हैनिक ने बधिरों के लिये पहला विशेष स्कूल लीपजिग में स्थापित किया। उसे सरकार द्वारा मान्यता दी गई। हैनिक एवं डी एल एप संकेतों को अनुदेश का माध्यम मानने में असहमत थे। हैनिक ने लिखना और स्पीच रीडिंग को वरीयता दी जबकि डी एल एप ने संकेतों को वरीयता दी। इन दो व्यक्तियों का प्रभाव व्यापक था और इनके विवाद की पद्धति को भी उत्तरोत्तर कई वर्षों तक पुर्न प्रस्तुत किया जाता रहा।

बधिर व्यक्तियों की शिक्षा का यूरोप के अन्य भागों में प्रचार–प्रसार हुआ तथा बधिर व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकाधिक सृजनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा। थामस बेडवुड (1775–1806) जो स्काटलैण्ड से थे उन्होंने एक स्कूल शुरू किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके भतीजे जोसेफ वासन (1765–1829) ने बेडवुड के कार्य को 'मूक–बधिर व्यक्तियों का परिचय' नामक पुस्तक को प्रकाशित किया।

19वीं सदी :– 19वीं सदी बधिर व्यक्तियों की औपचारिक शिक्षा का नया युग था। जॉन बाप्टिस्ट ग्रीजर ने 1821 में नियमित प्राइमरी स्कूल में बधिरों के लिये विशेष इकाई शुरू की। मौखिकता पर महाधिकार पत्र 1880 में मिलन सम्मेलन में निकाला गया जिसकी अध्यक्षता एब तट ने की। सम्मेलन मौखिकता की दार्शनिकता या बधिर व्यक्तियों को मौखिक पद्धतियों से शिक्षा प्रदान करने के विषय में थी। पद्धतियाँ श्रवण से भिन्न थी। यू. एस. ए. के नौ शिक्षकों जिनमें ग्लाईट उनके नेता थे उन्होंने मिलन सम्मेलन में भाग लिया।

बधिर व्यक्तियों के शिक्षकों के लिये एक कालेज की स्थापना 1885 में ब्रिटेन में हुई। 1893 में शैक्षिक अधिनियम स्वीकृत होने के बाद (ब्लाइंड एण्ड डीफ), मौलिक शिक्षक प्रमाणपत्र को बधिर के शिक्षकों के लिये पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता माना गया। इस संस्थान को बाद में 1916 में बने बधिरों के लिये शिक्षकों की संस्था में मिला दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका :– यूरोप और मिलन सम्मेलन (1880) में सामाजिक दृष्टिकोण नैतिक और बौद्धिक प्रगति का यू. एस. ए. में बधिर व्यक्तियों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा।

बधिर व्यक्तियों की शिक्षा के लिये विभिन्न प्रयास किये गये और विशेष स्कूलों को शुरू करने के भी प्रयास किये गये। यू. एस. ए. में बधिरों के लिये पहला स्थायी स्कूल हरफोर्ड, कनेक्टीकट में स्थापित किया गया। इसका नाम था– मूक बधिर व्यक्तियों की शिक्षा के लिये 'कनक्टीकेट एसिलम'। इसको मेरून काग्सवेल द्वारा स्थापित किया गया जिनकी पुत्री बधिर थी। स्कूल में 100 से अधिक विद्यार्थी थे और एक शिक्षक थामस हापाकिन्स ग्लाडेट ने बधिर विद्यार्थियों को पढ़ाने में बहुत रूचि दिखाई।

काग्सवेल ने तब थामस एच ग्लाडेट को शिक्षण पद्धतियाँ सीखने के लिये यूरोप भेजा। कुछ समय इग्लैंड में रहकर ग्लाडेट पेरिस चले गये और सिकर्ड से शिक्षा प्राप्त की। तीन माह के प्रशिक्षण के बाद ग्लाडेट सिकर्ड के साथ अमेरिका आये। हर्टकोर्ड के स्कूल को अब बधिरों के लिये अमेरिकी स्कूल के नाम से जाना जाता ह।

थामस एच ग्लाडेट के अच्छे कार्य को मान्यता प्राप्त हुई और संघीय रूप से वाशिंगटन डी सी का पहला कालेज, जो बधिरों के लिये था, प्रायोजित किया गया था उनके नाम पर रखा गया (अब इसे ग्लाडेट विश्वविद्यालय) कहते हैं। उनके कार्य को उनके पुत्र एडवर्ड मिनर ग्लाडेट ने आगे बढ़ाया। सार फुलन ने बधिरों के लिये दैनिक स्कूल को आगे बढ़ाया।

ग्लाडेट कालेज (जो अब विश्वविद्यालय) 1984 में स्थापित हुआ। राष्ट्रपति अब्राहिम लिंकन ने अधिनियम पर हस्ताक्षर किये जो लिबरल आर्टस एवं सांइस में डिग्री प्रदान करने और पुष्टि करने क लिये थी। कालेज के लिये भूमि एमस केन्डले द्वारा दी गई। 1886 से महिला विद्यार्थी उसमें प्रवेश लेते थे। यह 1967 तक विश्व का बधिर विद्यार्थियों के लिये ही कालेज था।

एलेक्जेंडर ग्राहम बैल :– एलेक्जेंडर ग्राहम बैल एक अन्य पुरोगामी थे। उनकी माता बचपन में ही श्रवण श्रतिग्रस्त हो गई थी। उनके पिता मेलविले बैल 'दृश्य वाणी' एक प्रणाली जो मौखिक ध्वनियों का लिखित प्रतीकों में वर्णन करती है उसका पथ प्रदर्शन किया। ए जी बैल ने 21 वर्ष की आयु में दो बधिर विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। बाद में वे मूक–बधिरों के लिये बास्टन स्कूल में पढ़ाने लगे। बाद में उन्होंने बधिरता पर सूचना के प्रसार के लिये वोल्टा ब्यूरो की स्थापना की, उन्होंने 'दृश्य वाणी' पर कार्य किया और बाद में यह उनके टेलीफोन के आविष्कार (1876) में स्वरों के विधुतीय प्रसारण का सुदृढ़ आधार था। बैल हमेशा मौखिकता के पक्ष में लिखते थे और संकेत भाषा का विरोध करते थे।

कलार्क स्कूल :– केरोलिन याले ने बैल के कई सिद्धांतों को क्रियान्वित किया और बधिरों के लिये कालेज शुरू किया। मैक्स ए, जो बधिरों के लिये केन्द्रीय संस्थान के संस्थापन थे वे बधिरों व्यक्तियों की आवश्यकताओं का चिकित्सा व्यवसाय तब लाये और उन्होंने बची हुई श्रवण शक्ति को प्रशिक्षित करने की पद्धतियाँ विकसित की। कलार्क का नार्थेम्पशन में एक स्कूल है जो बधिर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को चिकित्सा व्यवसाय तक लाता है और बची हुई श्रवण क्षमता को पशिक्षित करने की पद्धतियाँ विकसित करता है।

नार्थेम्पशन में कलार्क का स्कूल जी जी हर्बड द्वारा 1857 में स्थापित किया गया। जान कलार्क ने उसके लिये पैसे दिये। धीरे–धीरे जागरूकता का प्रसार हुआ। बधिरों के व्यावसायिक पुर्नवास और मार्गदर्शन के लिये अभिकरण स्थापित हुए। यू. एस.ए. में बधिर व्यक्तियों का पहला संगठन 1853 में स्थापित किया गया। लगभग 30 वर्षो बाद बधिरों के लिये राष्ट्रीय संस्थान अस्तित्व में आया।

तालिका क्रमांक 1

दिव्यांग बालक–बालिकाओं के बाल प्रबंधन संबंधी आवश्यकता के तुलनात्मक परिणाम

लिंग	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	''एफ'' मान	'पी' मान
बालक	अस्थिबाधित	50	9.84	2.63	1.82	>0-05
	मूकबधिर	50	9.32	3.10		
	दृष्टिबाधित	50	10.36	2.40		
बालिका	अस्थिबाधित	50	9.74	2.59	0.61	> 0-05
	मूकबधिर	50	9.94	2.74		
	दृष्टिबाधित	50	10.32	2.66		
बालक बालिका	अस्थिबाधित	100	9.79	2.60	1.92	> 0-05
	मूकबाधिर	100	9.63	2.93		
	दृष्टिबाधित	100	10.34	2.52		

स्वतंत्रता के अंश – 2,147

0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 3.06
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 4.75

स्वतंत्रता के अंश – 2,297

0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 3.04 0.01 स्तर पर सार्थकता हे

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग किशोर बालक–बालिकाओं तथा दिव्यांग किशोर बालक तथा बालिकाओं के सम्मिलित समूह की बाल प्रबंधन संबंधी आवश्यकता में सार्थक अंतर नहीं है। प्राप्त 'एफ' अनुपात के मान (1.82,0.61,1.92) 0.05 स्तर के सारणीयन तालिका मान की अपेक्षा कम है।

अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग किशोर बालक, बालिकाओं एवं दिव्यांग किशोर बालक तथा बालिकाओं के सम्मिलित समूह की बालक प्रबंधन संबंधी आवश्यकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका क्रमांक 2
दिव्यांग बालक–बालिकाओं की विवाह संबंधी आवश्यकता के तुलनात्मक परिणाम

लिंग	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	''एफ'' मान	'पी' मान
बालक	अस्थिबाधित	50	1.60	1.49	1.15	>0-05
	मूकबधिर	50	1.46	0.50		
	दृष्टिबाधित	50	1.58	0.50		
बालिका	अस्थिबाधित	50	1.60	0.49	1.99	> 0-05
	मूकबधिर	50	1.48	0.54		
	दृष्टिबाधित	50	1.68	0.47		
बालकबालिका	अस्थिबाधित	100	1.60	0.49	2.89	> 0-05
	मूकबधिर	100	1.47	0.52		
	दृष्टिबाधित	100	1.63	0.49		

स्वतंत्रता के अंश – 2,147 — 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 3.06
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 4.75

स्वतंत्रता के अंश – 2,297 — 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 3.04
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान 4.71

उपरोक्त तालिका के प्राप्त परिणाम स्वरूप ज्ञात होता है। कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग किशोर बालक बालिकाओं एवं दिव्यांग किशोर बालक, बालिकाओं के सम्मिलित ग्रुप की विवाह संबंधी आवश्यकता में कोई सार्थक अंतर नहीं हैं। अतः प्राप्त 'एफ' अनुपातों के मान क्रमशः (1.15,1.99,2.89) 0.05 स्तर के तालिका मान की अपेक्षा कम है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग किशोर बालक बालिकाओं एवं दिव्यांग किशोर बालक बालिकाओं के सम्मिलित ग्रुप की विवाह संबंधी आवश्यकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

दिव्यांग बालक–बालिकाओं के साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य को समायोजित व्यवहार करना अति आवश्यक है। सहयोजन जीवन की आवश्यकताओं एवं जटिल समस्याओं के समाधान करने के प्रयास को कहा जा सकता है। समायोजन की प्रक्रिया को ही सहयोजन व्यवहार कह सकते है। दिव्यांगों को पारिवारिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है चाहे वह बालक हो या बालिका दोनों को ही समायोजन को अनेक कठिनाइयां सामने आती है। सहयोजन के अंतर्गत वे सभी बाते आती है जो बच्चे के पालन पोषण में सहायक है सबसे पहले तो एक दिव्यांग बच्चे को स्वीकार करना उसे परिवार में स्थान दिलाना, सभी सदस्यों का बच्चे की वास्तविक स्थिति से अवगत करना, बच्चे की विशेष जरूरते–चिकित्सा, उपकरण शिक्षा आदि का ध्यान रखना इन्हें समय पर पूर्ण करना। बच्चे की परवरिश में परिवार के अन्य सदस्यों का आर्थिक सहयोग, परिवार और पड़ोस का वातावरण अनुकूल होना, अनेक कई बाते है जो बच्चे सहयोजन व्यवहार को प्रभावित करती है। बच्चे के सहयोजन व्यवहार को व्यवस्थित रखने के लिए बच्चे को पूर्ण सहयोग देना होगा। अस्थि बाधित, मूक बधिर, दृष्टिबाधित, दिव्यांग बालक–बालिकाओं के सहयोजन व्यवहार में सार्थक अंतर नहीं। किर्क एस.ए. एवं गाला घेर, जे.जे. (1989) में पाया कि आतंरिक एवं बाहय सहारा अत्यंत आवश्यक है आंतरिक के अंतर्गत धैर्य, निर्माण प्रक्रिया आध्यात्मिक, धार्मिक सहारा है तो दूसरी ओर सामाजिक सहारा बाहरी सहारा है। अर्थात् सफल सहयोजन आंतरिक एवं बाहय सहारे पर निर्भर करता है। प्रस्तुत शोध कार्य में तीनों

प्रकार के दिव्यांग बालक–बालिकाओं सहयोजन व्यवहार में अंतर नहीं है। प्रस्तुत शोध में भी परिवार के वातावरण और सहारे की आवश्यकता महसूस की गयी अतः पूर्व एवं प्रस्तुत शोध के परिणामों में समानता दखी जा सकती है।

अस्थि बाधित, मूक बधिर, दृष्टि बाधित दिव्यांग बालक–बालिकाओं की माताओं के सहयोजन व्यहवार एवं इनमें सहयोजन व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन में सार्थक अंतर है– माता के व्यवहार पर ही परिवार का वातावरण निर्भर करता है मां सभी सदस्यों को एक साथ जोड़कर रखती है। दिव्यांग बालक का परिवार में होना मां के लिए कोई चुनौती से कम नहीं है। सामान्य बच्चों परिवार के सदस्यों एवं दिव्यांग बच्चे के साथ सहयोजन स्थापित करना कठिन कार्य है जो मां अपने व्यवहार से बड़ी चतुरता के साथ स्थापित करती है। दिव्यांग बालक–बालिकाओं की माताओं के सहयोजन व्यवहार में समानता दृष्टि गोचर होती है। इनमे सार्थक अंतर नहीं है। कॉस्टीन फलायड़ हार्टर (1997) में पाया कि एकल परिवार की माता की सहयोजन करने के लिए अनेकों चुनौतियों का समाना करना पड़ता अर्थात् परिवार की प्रकृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तमिला–अन्जा एवं अन्य (2002) में पाया कि शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बच्चों के सहयोजन व्यवहार में अंतर था एवं परिणामों के आधार पर सामाजिक कार्य कर्त्ताओं को इस प्रकार के परिवारों के साथ कार्य करने हेतु उपयुक्त सुझाव मिले। तमिला अन्जा एवं अन्य (2002) ने सहयोजन व्यवहार पर सामाजिक सहयोग के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि सामाजिक सहयोग की सहयोजन व्यवहार पर सकारात्मक भूमिका थी। प्रस्तुत शोध में भी परिवार और समाज की सहयोग की आवश्यकता महसूस की गयी अतः पूर्व एवं प्रस्तुत शोध के परिणामों में समानता दृष्टि गोचर हो रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

भटनागर, एस. (2006–07). भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, अष्टम् संस्करण, आगरा : राधा प्रकाशन मंदिर, पृ. सं. 168–169।

जायसवाल, एस. आर. (2007–08). शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श, पंद्रहवां संस्करण, आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन्स, पृ. सं. 73–78 एवं 311–313।

कपिल, एच. के. (1978). अनुसंधान विधियाँ, द्वितीय संस्करण, आगरा : हर प्रसाद भार्गव पुस्तक मंदिर, पृ. सं. 65–68।

कुरेशिया, यू. सी. (2009). शिक्षा प्रशासन, सप्तम संस्करण, आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन्स, पृ. सं. 125–126।

माथुर, एस. एस. (2007–08). शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार, पंचम संस्करण, आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन, पृ. सं. 530–537।

ओबेराय, एस. के. (2007). कैरियर

निर्देशन एवं कैरियर सूचना, प्रथम संस्करण, मेरठ : लायल बुक डिपो, पृ. सं. 149–185।

पाण्डेय, आर. एस. (1995). हिन्दी शिक्षण, बारहवां संस्करण, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर,, पृ. सं. 32–39।

पाण्डेय, आर. एस. (2008). हिन्दी शिक्षण, नवीनतम संस्करण, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर, पृ. सं. 38–44।

पाण्डेय, आर. एस. (2009). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, चतुर्थ संशोधित संस्करण, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर, पृ. सं. 10–14।

रावत, ए. (2007). वृत्तिक निर्देशन तथा रोजगार सूचना, प्रथम संस्करण, मेरठ : आर लाल बुक डिपो, पृ. सं. 50–66 एवं 108–123।

शर्मा, आर. ए. (2008). शिक्षा अनुसंधान, मेरठ : आर लाल बुक डिपो, पृ. सं. 126–128 एवं 415–428।

शर्मा, आर. के. एवं पाण्डेय, आर. पी. (2004). शिक्षा मनोविज्ञान, पंचम संस्करण, आगरा : राधा प्रकाशन मंदिर, पृ. सं. 301–340।

शर्मा, आर. के. एवं दुबे, एस. के. (2006). शैक्षिक तथा मानसिक मापन एवं मूल्यांकन तथा सांख्यिकी, प्रथम संस्करण, आगराः राधा प्रकाशन मंदिर,, पृ.सं. 135–180।

शर्मा, आर. के. (2005). हिन्दी शिक्षण, बीसवां संस्करण, आगरा : राधा प्रकाशन मंदिर, पृ. सं. 7–8 एवं 11–14।

ANCIENT TO GST ERA JOURNEY OF INDIAN ECONOMY

Dr. LAL MRIGENDRA SINGH BAGHEL,
Associate Professor (Econ.),
Dept. of P.G. studies & Research in Economics, J.N.M.P.G. College, Barabanki (UP).

History of Indian economy is all about the development of the economy from ancient times and hence can be traced back to the time of ancient Indus Valley civilization to the present era of 21st century. Instead of being nomads, humans had started learnt here in BHARAT BHUMI how to settle at one place, they learnt how to cultivate and do farming and they invented farming tools like plough. They have also domesticated animals. With the discovery of metals, tools were made out of metals like bronze, copper, tin etc. The main economic activity of people during the Vedic Age was agriculture, hunting, trading horse, elephant, camel, and milk producing cattle animals. Thus, with the introduction of agriculture, the Civilization in Indus Valley had a flourishing economy. In the mean time, they started trading various commodities and developed trade links with other Countries especially with the Middle East Countries. With the time, they started to go towards urbanization and many urban centers started to develop across the country mostly in the northern and western part of India. All these development, boosted economic growth and India started to establish trade relations with the South East Asian Countries and Roman Empire too up to some extent. Thus, conclusion emerged that India had great economy in the past era, which can be also seen by the importance notes given on its validity by the well known Economic Historian Angus Maddison. According to him, *'India was the richest country in the world and had the world's largest economy until the 17th century AD'*. During Maurya Empire rules, India's trade flourished all over the world and Indian economy was very good. The next 1500 years saw India with many rulers and is known as the largest economy of the world that dates back to the 1st and the 17th centuries AD.

In the period of Maurya and Rajputana rules, India's cottage and small industries like textile, crafts, lather and food processing started to develop with further developments in agriculture sector. At that Most of the population were engaged in such activities while so many other small employees, workers, social activists has also came into light such as lohars, carpenters, barbers, goldsmiths, weavers, ayurvedic practitioners, gurukul teachers etc. By this time, coins had also come into the existence and use which were used for purchasing commodities and materials. Although, In the Indian villages, mostly barter system was widely prevalent but in the urban areas coins has been used for buying the things. Moreover, as time went by, caste system (Varn-Vyavashtha) came into existence in Indian society after then the profession of a person was decided by the caste in which he was born. This was much prevalent during the rule of Indian kings and princes. This formed a hierarchy in the Indian society which later on became stronger day by day. India never ran out of royal riches and was known as the Golden Bird. This is what attracted foreign rulers to come and establish their kingdoms in India. These foreign invasions were the Turks, Mughals and British. Indian wealth was plundered by them and accumulated by exporting exotic items like spices & dry fruits, Kashmiri shawls, cotton textile and handicrafts, muslin, and diamonds etc. in exchange for gold and silver. During the medieval age, the Mughals and other emperors encouraged the growth of small scale industries like pottery, meat, wooden and handicrafts. The Europeans mainly Dutch, Greece, British came in the 16th century to develop their trade prospects with India. They were interested basically in spices, ethnic handicrafts, cotton etc. Among the various European nations, the British proved themselves

to be the strongest and broke the trade monopoly of Dutch. The British East Company finally got political control and began to exploit Indian resources and wealth of India was drained badly. Unfortunately, the industrial infrastructure of India was in a pathetic state was not yet plundered by British colonial rulers. Some earlier Studies have revealed that the gross domestic surplus goods contributed the world's 25.1% economy. It was estimated to be the second largest in the world, more than the treasury of Great Britain. After that, everything has been changed and India saw a sharp decline in its economy. British rulers were responsible for ruining the Indian economy to a large scale through their Rules and unwanted and forced reforms. They changed the whole scenario of the most powerful economy of the world to decline from its position from 22.3 % in 1700 AC to a drastic dip of 3.8% in 1952. After a few years of hard work of Government of India, the gross economy which during the British was 2.3% reached to a stable height and now today our COUNTRY is the 10th largest economy in the world and the 3rd largest by purchasing power parity (PPP). On per capita basis, it ranks 130th in the world and 127th by PPP. India is tenth in the world in factory output. According to the WTO, India is one of the G-20 major economies, a member of BRICS and a developing economy that is among the top 20 global traders. Although, India is a developing and agrarian diverse economy where more than half of the work force is in agriculture, but, services are the major source of economic growth, accounting for nearly two-thirds of India's output with less than one-third of its labor force. Agriculture, forestry and fishing constitute around 12 percent of the output, but employs more than 50 percent of the labor force. Manufacturing accounts near to one-fifth of GDP, construction for another 8 percent and mining, quarrying, electricity, gas and water supply for the remaining 5 percent. Not only this, in 2013, India was the 19th-largest merchandise and the 6th largest services exporter in the world; it imported a total of $616.7 billion worth of merchandise and services, as the 12th-largest merchandise and 7th largest services importer. after 200 years of British rule. On the other side, strong trade sector of India Small scale industries had suffered badly during British rule and were facing near extinction.

Thus, till the 17th century, India was not totally under the rule of the British and hence it India joined the club of trillion-dollar economies six years ago and it will undoubtedly double its size to 2 trillion dollars because of economic reforms and globalization in early 1990s, but some numbers still remain disappointing. More than 40 percent live on little more than $1.00 per day and more than 25 percent live below the national poverty line.

Independence was gained after much efforts and sacrifices by great Indian peoples and freedom fighters. After independence in 1947, India began to plan carefully its needs and resources through planning commission. Planned economic development was the call of the hour. The focus was on developing large scale and heavy industries. The state controlled the economic policies of development. A blend of liberalization, privatization and globalization was pursued to achieve desired results. The economy was essentially mixed in nature with a blend of capitalism and socialism that has led India to the present state. Thus, after independence, annual Growth Rate of India's GDP averaged 5.82 percent from the beginning of its planning year 1951 until 2014, reaching an all time high of 11.40% in the first quarter of 2010 and a record low of -5.20 percent in the fourth quarter of 1979. In the three decades after India's independence, its per capita income increased at only around 1% annualised rate. The low annual growth rate of the Indian economy stagnated around 3.5% from 1950s to 1980s, while per capita income averaged 1.3%. While at the same time period, some other Asian have performed better such as Pakistan grew by 5%, Indonesia and Thailand by 9%, South Korea by 10% and Taiwan by 12%. While in the first decade of 21st century, India has shown that it can grow at near double-digit rates. The growth momentum continued till 2007 until the sub-prime crisis of the US got globalised. Fortunately India was not much affected by the US created

sub-prime crisis primarily because of strong Indian banking system which has had a spring-cleaning only a decade back immediately after the process of liberalization. In spite of so many hurdles, India joined the club of trillion-dollar economies and by 2012, India has emerged as the third largest economy on the globe with GDP of US$ 4.46 trillion (on PPP basis); its per capita income had risen to US$ 3400.

On the other side, Undivided Uttar Pradesh (UUP) attained respectable growth in gross state domestic product (GSDP) only during the period of 1986-87 to 1990-91 with respect to the all-India performance. Slow growth occurred in all the three sectors of agriculture, industry and services. While real GSDP was slowing down, the population growth rate was among the highest in the country. During the post-reform period of 1993-94 to 2000-01, the real GSDP at factor cost (1993-94 prices) in divided Uttar Pradesh (UP) had an average annual growth of 4.22% as against all-India figure of 6.3%. While During the period of 2001- 02 to 2002-03 the average annual growth has been just about 2.24% as against all-India average of 4.88 per cent. Anyway, India has emerged as the fastest growing major economy in the world as per the CSO and IMF. According to the Economic Survey 2015-16, the Indian economy will continue to grow more than 7% in 2016-17. The improvement in India's economic fundamentals has accelerated in the year 2015 with the combined impact of strong government reforms, RBI's inflation focus supported by benign global commodity prices. India was ranked the highest globally in terms of consumer confidence during last quarter of 2015, continuing its earlier trend of being ranked the highest during first three quarters of 2015. According to IMF World Economic Outlook Update (January 2016), Indian economy is expected to grow at 7-7.75% during FY 2016-17, despite the uncertainties in the global market. The Economic Survey 2015-16 had forecasted that the Indian economy will growing by more than 7% for the third successive year 2016-17 and can start growing at 8% or more in next two years.

The steps taken by the government in recent times have shown positive results as India's gross domestic product (GDP) at factor cost at constant (2011-12) prices 2015-16 is Rs 113.5 trillion (US$ 1.668 trillion), as against Rs 105.5 trillion (US$ 1.55 trillion) in 2014-15, registering a growth rate of 7.6%. The economic activities which witnessed significant growth were 'financing, insurance, real estate and business services' at 11.5% and 'trade, hotels, transport, communication services' at 10.7%. According to a Goldman Sachs report released in September 2015, India could grow at a potential 8% on average during from fiscal 2016 to 2020 powered by greater access to banking, technology adoption, urbanization and other structural reforms. According to The World Bank, India's per capita income is expected to cross Rs 100,000 (US$ 1,505.4) in FY 2017 from Rs 93,231 (US$ 1,403.5) in FY 2016. The International Monetary Fund (IMF) and the Moody's Investors Service have forecasted that India will witness a GDP growth rate of 7.5% in 2016, due to improved investor confidence, lower food prices and better policy reforms. Besides, according to mid-year update of United Nations World Economic Situation and Prospects, India is expected to grow at 7.7% in 2016. As per the latest Global Economic Prospects (GEP) report by World Bank, India is leading The World Bank's growth chart for major economies. According to Minister of State for Finance, Indian economy would continue to grow at 7 to 9% and would double in size to US$ 4–5 trillion in a decade, becoming the third largest economy in absolute terms. Furthermore, initiatives like Make in India and Digital India will play a vital role in the driving the Indian economy.

In the post liberalization era, the fastest-growing part of the economy has been its services sector but manufacturing industry has held a constant share in GDP. The fastest growing sub-sectors of Service sector are the construction, telecom, software and information technologies, infrastructure, tourism, education, health care, travel, trade, banking and other components of its economy. Currently, the

manufacturing sector in India contributes over 15 per cent of the GDP. The Government of India, under the Make in India initiative, is trying to give boost to the contribution made by the manufacturing sector and aims to take it up to 25 per cent of the GDP. Numerous foreign companies are setting up their facilities in India on account of various government initiatives like Make in India and Digital India. Prime Minister of India has launched the Make in India initiative with an aim to boost the manufacturing sector of Indian economy. This initiative is expected to increase the purchasing power of an average Indian consumer, which would further boost demand, and hence spur development, in addition to benefiting investors.

However, barely three centuries ago, was India the leading economy of the world, accounting for 32% of the global GDP (Angus Madison, 2005[4]). Europe and later on the North America, propelled by the Industrial revolution, led the world till the close of the twentieth century. As per the 2011 statistics from IMF (2012), the combined GDP of the Asian giants – China, India and Japan- account for 26 % of the global GDP while USA the global leader accounts for 20%. In the years to come this balance is expected to shift rapidly towards Asia. A well-known growth economist at Harvard, Dani Rodrik, and an Indian economist at the IMF, Arvind Subramanian[5], continuing a line of work pioneered by American economist Brad Delong, have argued that the acceleration in Indian growth really came long before 1991, which is from when reformers had liked to date it. They claim there is evidence that growth speeded up in the mid-1980s.[6] Thus, it is clearly said that as a result of India's economic liberalisation reforms, 1991, industrial sector of India underwent significant changes and as resultant, it has handled the change by squeezing costs, revamping management, and relying on cheap labour and new technology.

So for the constraints of Indian economy are concern, there are so many constraints on economic growth of India which has discussed here. Some of them can be short listed as: Over Population, Extreme poverty, Infrastructural gaps, unemployment crisis, low agricultural productivity, lack of power supply, excess of traditional education of masses, regional and income disparities, low per capita income, relatively low level of FDI, unbalanced industrial set up within the states, high levels of bureaucracy, high levels of borrowing and debt, least number of tax payers, un-organized distribution of occupations, huge population of unskilled and marginal laborers and farmers, faster degradation of forests land, encroachment and unnecessarily uses of agricultural land, urbanization in productive farm land, lack of political willingness and minimization of ethical politics, enforcement of politically motivated agenda/manifesto unhealthy atmosphere for foreign investors, and at last, but not the least, existence of naxalism, corruption, regionalism, and terrorism etc.

In spite of so many advantages and having large science and technology establishments, two sectors of our economy which pose a major challenge and they are agriculture and the power sector. Here, the farm economy can be consider as primarily constrained because of relatively low levels of yield in major cereal crops and pulses as compared to other Asian economies especially China. Thus, necessary steps should be taken by the government to revitalize the traditional crop agriculture which is vital to food security and farm income. The second challenge for the country is the shortage of physical infrastructure in which the most important item is electricity. Shortage of electric power leads not only to direct production losses but also results in inefficiency in a broad range of areas impacting profitability and competitiveness. As it is obvious that Government is the largest player in production, transmission and distribution of power and a high order of Government intervention in capacity creation and other supportive components of electricity business are crucial to sustaining a high growth rate of 8 to 10%. Therefore, a more aggressive and advance path of capacity creation must be started as early as possible. Constraints such as the availability of coal, land acquisition and

environmental issues need to be tackled so that the desired growth in capacity expansion can be achieved[8]. Recently, the OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development) said that *"India's growth should be stable over 2015-19, but the prospects could change depending on the implementation of reforms by the new Modi government"*.[9] Most of the Economists have same views as we are pointing here that the coming decade will be crucial for India. If India grows at 7 to 9% per annum, it is estimated that per capita GDP will increase from the current level of US$1,600 to US$ 5000-8,000 by 2025 where it will transit from being a low income country to a middle income country. Economics sources says, the GDP growth rate of India has been exceeding Japan mainly due to the higher population growth and will become most populous country of the world up to 2030.

Without taking India'a biggest and most ambitious Tax Reform known as GST (Goods & Services Tax), this article can't be justified. As we all are the witnessed of its implementation in Indian Economy. In the mid-night of 30th June, 2017, GST has been imposed in our country and implemented from July 1, 2017. The main idea behind introducing GST is to improve the economy of the nation. A single undivided Indian market would strengthen the economy and make a nation, powerful as well. It is a single national uniform tax levied across the country on all goods and services. All goods and services have been placed under four slab rates – 5, 12, 18 and 28 percent – along with a cess on luxury and demerit goods such as tobacco, pan masala and aerated drinks. Most services, except those in the negative list of essential services such as healthcare and education, comes under GST. Journey of GST implantation has been taken almost 11 years, three governments and three Finance Ministers. Take a look back at how GST, independent India's biggest reform initiative, has reached the final shape [10]:

2006 – Finance Minister Mr. P. Chidambaram moots GST in their Budget Speech for 2006-07.

2008 - Empowered Committee of State Finance Ministers (EC) engaged.

2009 - EC releases its First Discussion Paper.

2011 – Mr. Pranab Mukherjee, FM of GOI, introduces Constitution Amendment Bill on GST in Lok Sabha.

2013, August- Parliamentary Standing Committee submits report on GST; recommendations incorporated in the proposed GST Bill.

2013, September - Revised Bill sent to EC for consideration.

2014, March - Another revised Bill drafted incorporating recommendations of EC.

2014, Dec – FM Mr. Arun Jaitley introduces Constitution Amendment Bill for GST in Lok Sabha.

2015, May – Lok Sabha Passes Constitution Amendment Bill for GST.

2015, Aug - Congress insists on capping GST rate at 18 percent; opposes 1 percent "entry" tax to protect manufacturing states as it distorts the system.

2016, July - Centre and states agree against capping GST rate in the Constitution amendment Bill.

2016, Aug - Parliament passes 122nd Constitution Amendment Bill for GST; clause on entry tax dropped; states assured of full compensation for potential revenue loss upto five years.

2016, October 18 - GST Council decides on a compensation formula for states for revenue loss.

2016, November 03 - GST Council agrees on a four-slab structure –5, 12, 18 and 28 percent—along with a cess on luxury and `sin' goods such as tobacco.

2016, November 04 - GST Council meeting inconclusive as Centre, states fail to agree on GST administrative issue on "dual control".

2016, November 12 - GST Council fails to agree on CGST and SGST laws.

2016, Dec 23 - Agreement on two laws in GST Council meeting, but "dual control" remains a thorny issue.

2017, Jan 03 - States want compensation corpus raised from Rs 55,000 crore to Rs 90,000 crore to soothe demonetisation pain; new roadblocks surface on taxation rights of goods transported through territorial waters.

2017, Jan 04 - No breakthrough in GST Council meeting, hopes hinge on Jan 16 meeting to break impasse; roll-out date pushed till July 1.
2017, Jan 16 - Centre and states agree on two thorny issues of "dual control" and taxing rights of goods moved through high seas.
2017, Feb 18 - GST Council finalizes draft Compensation Bill.
2017, Mar 4 - GST Council approves CGST and IGST) Bills.
2017, Mar 16 - GST Council State GST Bill and the UT GST Bills.
2017, Mar 20 - Union Cabinet approves CGST, IGST, UT GST and Compensation Bills.
2017, March 27 - FM Arun Jaitley introduces CGST, IGST, UT GST
2017, March 29 - Lok Sabha passes five GST bills.
2017, March 31 - GST Council approves five sets of rules involving registration, payment, refund, invoices and returns.
2017, May 18 - GST Council meets in Srinagar; approves tax rates for 1211 items; approves another four sets of rules relating to composition, valuation, ITC (input tax credit) and the transition process.
2017, May 19 - GST Council places services under four slabs— 5, 12, 18, 28 percent.
2017, June 03 - GST rate of gold fixed at 3 percent; footwear placed in two tax slabs—5 percent for footwear less than Rs 500 and 18 percent for more.
2017, June 11 - GST Council reduces tax rates on 66 items including ketchups, instant food mixes, pickles, tractor components, computer printers and insulin among others; announces a two-part entertainment tax for cinema. Movie tickets costing Rs 100 or below will attract a GST rate of 18 percent, while those priced at above Rs 100 will be taxed at 28 percent.
2017, June 18 - GST Council extends deadline for the first set of returns; lotteries to be taxed at 28 and 12 percent; relief for hotels as 28 percent rate will apply for room tariffs above Rs 7,500 a night.
2017, June 20 - FM Arun Jaitley announces plans for a midnight event in Parliament's central hall on June 30 to roll out goods and services tax (GST).
2017, June 30 - A midnight event in Parliament's central hall will mark the switchover to GST.

In addition to this, I would like to share that there are approx. 140 countries in World where GST has already been implemented. Some of the popular countries being Australia, Canada, Germany, Japan, and Pakistan to name a few[11]. Implementation of GST impacts a nation both ways, positively and negatively. Ignoring negative aspects, positive aspects can be taken into consideration, in order to improve the economy of the country. Thus, GST is a single taxation system that will reduce the number of indirect taxes. While earlier, indirect taxes were charged as central excise, VAT, service tax, etc. but now from 1st July of 2017, a single taxation term would cover all of those indirect taxes. The Prices of products and services would reduce so this system would prove to be beneficial for the people who are fed up of paying huge prices. This would reduce the burden from the state and the central government. Presently separate taxes are levied on goods and services. With the introduction of GST, all of these indirect taxes came under a single roof. GST would not be charged at every point of sale like other indirect taxes so this way, market would be developed. It will enhance market and on the other side, GST would introduce Corruption-free taxation system. In the present scenario, the tax is levied at the time of product release from the manufacturing site, and after that retailers also pay it. It will improve quality of Indian Exports, more opportunities for employment, enhanced economy growth, and will reduced burden on central and state government. According to the latest reports, the introduction of GST would help India to gain $15 billion every year. Niti Aayog vice chairman Arvind Panagariya recently said that the Indian economy will see an over three-fold expansion at $7.25 trillion by 2030 and clock an average growth rate of 8 per cent over the next 15 years.

Finally, to achieve sustainable growth and future goal, we have to overcome the low growth phase as quickly as possible. To ensure that, Government has launched a number of

schemes aimed at broadening the base of growth which has made a substantial demand on public expenditure. India joined the club of trillion-dollar economies six years ago and it will undoubtedly double its size to 2 trillion dollars because of economic reforms and globalization in early 1990s, but some numbers still remain disappointing which are more than 40% live on little just near to $1.00 per day and more than 25% live below the national poverty line. There are so many facts behind disappointment which already discussed earlier, but some of them still alarming need to be resolved are: rapid and uncontrolled growth of unproductive population, huge population of marginal farmers-unskilled labours, traditional education system, lack of employment opportunities, lack of motivation, low per capita land holding, low agricultural productivity, shrinking area of sowing-cultivation, declining of village, cottage and small industries, excessive or deficient rain, frequent flood & Famine, natural disasters, and so on.

REFERENCES:

1. Maddison, Angus (2006). *The World Economy - Volume 1: A Millennial Perspective and Volume 2: Historical Statistics*. OECD Publishing by Organisation for Economic Co-operation & Development. p. 656.
2. CIA World Fact Book.
3. http://www.sabhlokcity.com/tag/indian-economics/
4. Maddison, A (2005), Growth and interaction in the world economy: the roots of Modernity, AEI Press, Washington DC.
5. Dani Rodrik, Arvind Subramanian (2004), *"Hindu Growth to Productivity Surge: The Mystery of the Indian Growth Transition"*, NBER Working Paper No. 10376, National Bureau of Economic Research, Inc. Issued in March 2004
6. www.unc.edu/depts/diplomat/item/2006/0406/.../williamson_india.html
7. Novotný, J., Ramachandran, N. (2010): Alternative to Jobless Growth? All-India Context and a Case of Participatory Development Scheme from Rural Tamil Nadu. Geografie, 115, 3, 330–346. Http://Web.Natur.Cuni.Cz/~Pepino/Novotny_Ramachandran_2010
8. C. Rangrajan, *eac.gov.in/aboutus/chspe/spe_indian.doc*
9. http://africanfinancialnews.com/india/news/indias-economic-prospects-depend-on-reforms-OECD
10. http://www.moneycontrol.com/news/business/economy/goods-and-services-tax-all-that-you-wanted-to-know-2315465.html
11. www.essayonquotes.com

BIBLIOGRAPHY:

1. India Country Overview 2008. World Bank.
2. Ranjit K. Sau (1972): Indian Economic Growth, EPW, Vol. 7, No. 5-6-7, Feb., 1972.
3. "CIA — The World Factbook — India". CIA. 20 September 2007.
4. "Economic Structure". *The Economist*. 6 October 2003.
5. "Indian Manufacturers Learn To Compete". *The Economist*. 12 February 2004.
6. Gordon, Jim and Gupta, Poonam (2003). "Understanding India's Services Revolution" (PDF). 12 Nov., 2003.
7. What's Next For The Startup Nation Http://Www.Startup-Nation.Com/The-Book/
8. Centre For Media Studies (2005). "India Corruption Study 2005: To Improve Governance Volume – I: Key Highlights". Transparency International India.
9. Sengupta, A., Kannan, K. P., Raveendran, G. (2008): India's Common People: Who Are They, How Many Are They and How Do They Live? EPW, 43, No. 11, Pp. 49–63.
10. "Child Labour and India". Embassy of India, Washington, DC. Retrieved 28 November 2007.
11. Gleick Ph. 1993. Water in Crisis. New York: Oxford University Press.

12. Russell Hopfenberg And David Pimentel Human Population Numbers As A Function Of Food Supply Oilcrash.Com National Geographic Society. 1995. Water: A Story of Hope. Washington (DC): National Geographic Society
13. Christiani DC. 1993. Urban and Trans-Boundary Air Pollution: Human Health Consequences. Pages 13–30 In Chivian E, Mccally M, Hu H, Haines A, Eds. Critical Condition: Human Health And The Environment. Cambridge (Ma): Mit Press.
14. Burns Jf. 1996. Denial and Taboo Blind India To The Horror Of Its Aids Scourge. New York Times, 22 September: A1.
15. wikipedia.org/wiki/Economy_of_India.
16. "A Special Report on India: Ruled By Lakshmi". *The Economist*. 11 December 2008. Retrieved 12 July 2009.
17. Chatterjee, P. (2007): Child Malnutrition Rises in India Despite Economic Boom. The Lancet, 369, No. 9571, Pp. 1417–1418.

साहित्य में विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध

प्रिया पाण्डेय
शोध छात्रा (हिन्दी) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

विश्व साहित्य में संबंध का बहुंत महत्व दिया गया हैं,क्योंकि संबंध ही वह कड़ी हैं, जिसमें समग्र समाज बँधा हुआ है । भारतीय संस्कृति से लेकर विश्व में साहित्य का संबंध लाखों हजारों वर्ष पुराना है, और हम भारतीयों की नागरिकता भी संबंधों से टिकी हुई है, संबंध की यदि एक कड़ी भी टूटती है तो उसमें न केवल परिवार वरन्च समग्र समाज प्रभवित हेाता है, संबंधों में जो सर्वप्रमुख संबंध है वह पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित करतें हैं, माता–पिता, पितामह, चाचा–चाची, पुत्र भाई–बहन, जेठ–जिठानी,पति–पत्नी,सास–ससुर, साला–सालो, वुआ–फूफा, मौसा–मौसी,ऐसे कितने ही पारिवारिक संबंध है। इन पारिवारिक संबंधों के अतिरिक्त समाज में और भी संबंध विकसित हुए हैं, जिनका अत्यधिक महत्व हैं ,जैसे–गुरू–शिष्य संबंध गुरू को तो विश्व साहित्य में अन्यतम् स्थान दिया गया हैं–

गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णुः गुरूर्देवों महेश्वरः ।
गुर्रूसाक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्री गुरूवे नमः।।

इस सन्दर्भ में कबीर, तुलसी और आधुनिक कवियों में गुप्त, निराला ,प्रसाद आदि सभी ने लिखा है, जिसमें कवीर की प्रस्तुत पंक्तियां सभी को प्रभावित करती है–

गुरू गोविंद दोउ खड़ें काके लागू पाय ।
वलिहारि गुरू आपकी जिन गोविंद दियों बताय ।।

कवीर गुरू को गोविंद के समान मानतें हैं ,तुलसी ने भी गरू की महत्वता स्वीकारते हुए लिखा है कि –

श्रीगुरू पद नख मणि गन ज्योति ।
सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ।।

तुलसी ने संबंध की व्याख्या में भगवान तथा भक्त का भी अटूट संबंध को लिखा है कि –

तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज ।
भूमि फेंके उगेंगे उलटे सीधे बीज ।।

मित्र सम्प्राप्ति और संबंधों का भी साहित्य में अनूठा चित्रण मिलता हैं अतः कृष्ण सुदामा की मित्रता का भावमय चित्रण समग्र भारतीय साहित्य में मिलता है अतः नंददास के सुदामा चरित्र में यह वर्णन देखने को मिलता हैं –

परात को हाथ छुअत नहि नैनन के जल से पग धोये ।।

किन्तु एक संबंध ऐसा भी है जिसे अच्छा तो नहीं माना जा सकता परन्तु यदि उसमें भी सद्भाव हो तो वह उल्लेखनीय हो जाता हैं । उसका शत्रता का संबंध ऐसा ही होता है ,राम–रावण का संबंध कृष्ण और कंश का संबध आज भी उल्लेखनीय है। ये जो संबंध नैसर्गिक है जो कि मनुष्यों में ही नही वल्कि पशु–पक्षीयों में भी परिलक्षित होते हैं। पारिवारिक संबंधा की प्रगाणता और सम्मान महत्वपूर्ण हैं। आचार्य मनु ने पारिवारिक संबंधों में परिवार के बृद्धों को सर्वोपरि स्थान दिया है, उन्होंनें कहा है कि –

अभिवादन शीलस्य नित्यं बृद्धोपसोविनः ।
चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ।।

उसी पकारमाता–पिता–पुत्र के संबंध में पद्मपुराण भूमि खण्ड में लिखा गया है कि–

माता पित्रोस्तु यःपादौ नित्यं प्रक्षालयेत् सुतः।
तस्य भागीरथीस्नानं अहन्यहनि जायते ।।

इन संबंधों को लेकर तुलसी ने रामचरितमानस् में समीचीन व्याख्या की हैं उन्होनें लिखा है कि –

मात–पिता प्रिय गुरू की वानी, विनहि विचार करि सुभ जानी ।

तुलसी के आदर्श नायक मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम अपनी दिनचर्या का शुभारम्भ माता–पिता के सम्मान से ही करते है ।

प्रातःकाल उठके रघुनाथा मात पिता गुरू नावहि माथा ।

रामचरितमानस तो संबधों को समझने की गीता है यदि संबंध है तो विश्व समाज है, विश्व की वर्तमान असंवेदनशीलता और आतंकवाद का निराकरण भी इन संबंधो को समझकर किया जा सकता है।

इसी प्रकार भवभूति के उत्तररामचरितम् में संबंधों में की ऐसा अनूठा चित्रण देखने को मिलता जो हम मानुष ह्रदय को भाव–विहोर कर देता है, और हमें उत्तररामचरितम् एक आदर्श के रूप में प्राप्त है।

संदर्भ सूची :

1 श्रीमद्भागवतगीता
2 कठोपनिषद
3 मनुस्मृति – मनु
4 वाल्मीकि – रामायण
5 रामचरितमानस– तुलसीदास
6 रघुवंशम महाकाव्य – कालिदास
7 अभिज्ञानशाकुन्तलम् – कालिदास
8 उत्तररामचरितम् – भवभूति
9 साकेत – मैथलीशरण गुप्त
10 नारायणभट्टियम – श्री हनुमन नाटक
11 सुदामाचरित – नंददासकृत

Comparative Study of Nutritional Level Awareness amongst NSS volunteers of state level camp 2014

Khushboo Sahu* Dr. Rajlakshmi Tripathi **
*MSc. DFSM IGNOU ** Assistant Professor Govt. M.H. College of Home Science and Science for Women Jabalpur M.P.

Abstract : The purpose of this study was to determine the nutrition awareness level of NSS camp residents before and after display of nutrition models. the sample study included NSS state level camp Rani Durgavati Samadhi Sthal Narai Nala Jabalpur 2014. In this camp 7 university college students participated. The total number of student was 500, of the age group 18-24 years. Here exhibition used like a tool and representing different type of nutritional modals among responding group. Questionnaire method was designed for assess pre and post nutrition awareness level. The collected data was analyzed by paired t-test and null hypotheses were started and tasted at 0.01 level of significance. Results show that nutrition awareness mean scores of post awareness score significantly highest then per awareness nutrition score. There were significant positive correlations between nutrition models and residents nutrition awareness level.

Introduction : Student health is a strong predictor of academic performance. Healthy, happy, active and well-nourished youth are more likely to attend college, be engaged and be ready to learn. Yet many students suffer from one or more health problems that compromise their ability to learn. The aim of education is not restricted to imparting academic qualifications but an overall development of the students. Fortunately, policymakers and the present system have made provision for so that the extracurricular activities can help in growth of students in an informal manner. These activities definitely can participate in effective interventions to help promote student health also. By doing so, an improvement in academic outcomes also can be expected.

National Service Scheme is a such type of scheme, which is an Indian Government-sponsored public service program that is run by the Department of Youth Affairs and Sports of the Government of India. The activities are classified in two types-Regular Activities and special seven Day leadership Camp in an adopted village. In NSS camp students and their programme officers both take the part in training the volunteers for community service and give their contribution in learning nation building tasks.

Madhya Pradesh is the only state in which, through Department of Higher Education MP organizes a State Level camp every year. In 2014 this camp was hosted by Rani Durgawati University at Jabalpur from 7-13 February at Rani Durgavati Samadhi Sthal at Narrai nala, approximately 24 Kilometers from Jabalpur.
The camp schedule is designed in such a manner that the students not only are rigorously involved in physical but equally in mental and emotional exercises. This increases the pressure and the requirement of good health through proper nutritional intake steps in.

RDA for Adult Age Group according to C. Gopalan *et al.* (2007).
Table no. -1

S.No.	Nutrients	Boys	Girls
1	Energy (kcal)	2425 (kcal)	1875 (kcal)
2	Protein (gm./day)	60 (gm./day)	50 (gm./day)
3	Fat (gm/day)	20 (gm./day)	20 (gm./day)
4	Calcium (mg/day)	400 (mg/day)	400 (mg/day)
5	Iron (mg/day)	28 (mg/day)	30 (mg/day)
6	Vitamin A- Retinol(mcg/day)	600 (mcg/day)	600 (mcg/day)
7	Beta-carotene (mcg/day)	2400 (mcg/day)	2400 (mcg/day)
8	Thiamine (mcg/day)	1.2 (mcg/day)	0.9 (mcg/day)
9	Riboflavin (mg/day)	1.4 (mg/day)	1.1 (mg/day)
10	Niacin (mg/day)	16 (mg/day)	12 (mg/day)
11	Pyridoxine (mg/day)	2.0 (mg/day)	2.0 (mg/day)
12	Ascorbic acid (mg/day)	40 (mg/day)	40 (mg/day)
13	Folic acid (mcg/day)	100 (mcg/day)	100 (mcg/day)
14	Cynocobalamin (mcg/day)	1(mcg/day)	1(mcg/day)

The purpose of this study was to compare mean scores of level of awareness for nutrition of NSS Camp residents before and after display of nutrition models.

Material & Method : The objective of the study is to assess changes in responses of student's awareness level after showing nutritional models and other educational material in nutrition exhibition.

Nutrition knowledge was assessed by a questionnaire specifically designed for the study. Study was conducted during NSS state level camp 2014 with 500 residents of age group 18-24 years. Every student was a respondent for the survey. Food items commonly consumed were exhibited as models with following information on them viz. common and botanical name, health benefits, composition and number indicating its place as a source of nutrition. The other audio visual aids include poster and charts with food guide pyramid.

1. List of Exhibits

S. No.	**Food group**	**Exhibit**
1	Cereal grains & product	Bajra ,Wheat, Rice,Maize,Oates,Barley,Jowar Buckwheat/kuttu, Kodo, Barnyard millet/odalu, Forctail millet/kangni, Little millet/semai, Ragi/ finger millet
2	Pulses & legumes	Masur dal, Mung dal/green gram, Urad dal/Black gram,Green gram whole, Bengal gram/channna,Red gram/tuar/arahar dal, Bangal

		gram whole, Black gram whole, Moog dal whole, Cow pea/labia, Masoor whole, Horse gram dal, Horse gram whole
3	Milk & milk product and also meat and meat product	Milk, Curd, Paneer. Egg, Fish
4	Fruits and vegetable	Spinach, Fenugreek leaves,Carrot Radish, Brinjal, Apple, Orange Grapes, Pomegranate, Lemon, Mango,Pine apple.
5	Fat & oil seeds ,nuts and sugar and sugar products	Olive oil, Niger seeds, Mustered / rai seeds, Ground nut/pea nut, Linseed nut/flox nut, Gingelly seeds, Soyabeen, Walnut/akhroat, Chilgoja, Pista, Makkhana, Ceshaw nut, Piyal seeds, Almonds,Coconut dry, Apricot, Sugar, Honey.
6	Flavoring agents, Condiments and spices,	Black sees/kalongi, Poppy seeds, Aniseeds/souf, Vanilla, Trochyspermum/ajwain, Cloves/loung, Saffron/crocus sativus/keser, Javitri/myristica fragans, Hing/asafactida, Black cardamom/badi elaichi Cinnamon/dalchini, Cardimum/elaichi, Black stone flower/pathar fool, Fenugreek seeds/methi dana, Papper/piper nigrum, Chillies/mirchi, Bird pepper/cayenne pepper, Turmeric, Coriander/dhaniya, Cumin seed/cuminium cyminum/zeera, Tejpatta
7	Miscellaneous	Chestnut/castenea, Amaranth/ rajgira, Sago/saboodana/tapioca, Garden cross seed.
8	Empty energy and fast food groups	Sprite, Mirinda, Lehar, Cococola, Frooti Fast foods- Noodals, Pasta, Toffies,
9	Beverages	Coffee, Tea

Source of Nutrients :

- **Cereal grains & product-** Source of carbohydrate, some amount of protein, Invisible fat, Fiber, Vitamin $B_{1.}$
- **Pulses & legumes-** Plant protein source, Invisible fat, Fiber, Vitamin $B_{1,}$ $B_{2,}$ $B_{3,}$ Micro minerals like potassium, calcium.
- **Milk & milk product and also meat and meat product-** Rich in animal source of animal protein, Vitamin B Complex, vitamin A,D, Micro minerals,
- **Fruits and vegetable-** Rich in fiber, Carotenoids, vitamin $B_{2,}$ Vitamin c, folic acid, and Micro minerals (Na, K, Ca, Mg).
- **Fat & oil seeds, nuts and sugar and sugar products-** Fat and oil are rich source of fat, Nuts are rich in fat and protein, Sugar and their product good source of energy.
- **Flavoring agents**, **Condiments and spices-** They are use for specific flavors, tests and aroma in a particular food items.
- **Miscellaneous**- Rich source of carbohydrates.
- **Empty energy and fast food groups** – Source of Energy.

- **Beverages-** Source of Antioxidants.

2. Poster and chart used as second type of education material chart were related to anemia, obesity, BMI (body mass index) and 6 posters were related to food.

3. Food guide pyramid was a educational tool that show dietary guidelines in an easy graphical format and helpful for concept of variety, moderation and inclusive of food types in the total diet for an individual. We need to consume a variety of foods in order to remain healthy.

Methodology : Questionnaire method was use as a tool for assessing nutrition awareness level. Question paper prepare for pre and post evaluation of nutrition awareness level of NSS residents students, that question paper related to balance diet, food group importance and their ideal requirement in our body, fast food and empty calories food items effects, etc . Paired t test was applied for finding the significance between pairs groups of students.

The Significance of Difference between statistics

$t= M_D \div SE_{MD}$

"t" is the ratio between Means difference and standard error difference.

MD = Mean of pair difference

$SD_{MD} = SD_D \div \sqrt{N}$ Standard error of Mean difference

Result and discussion

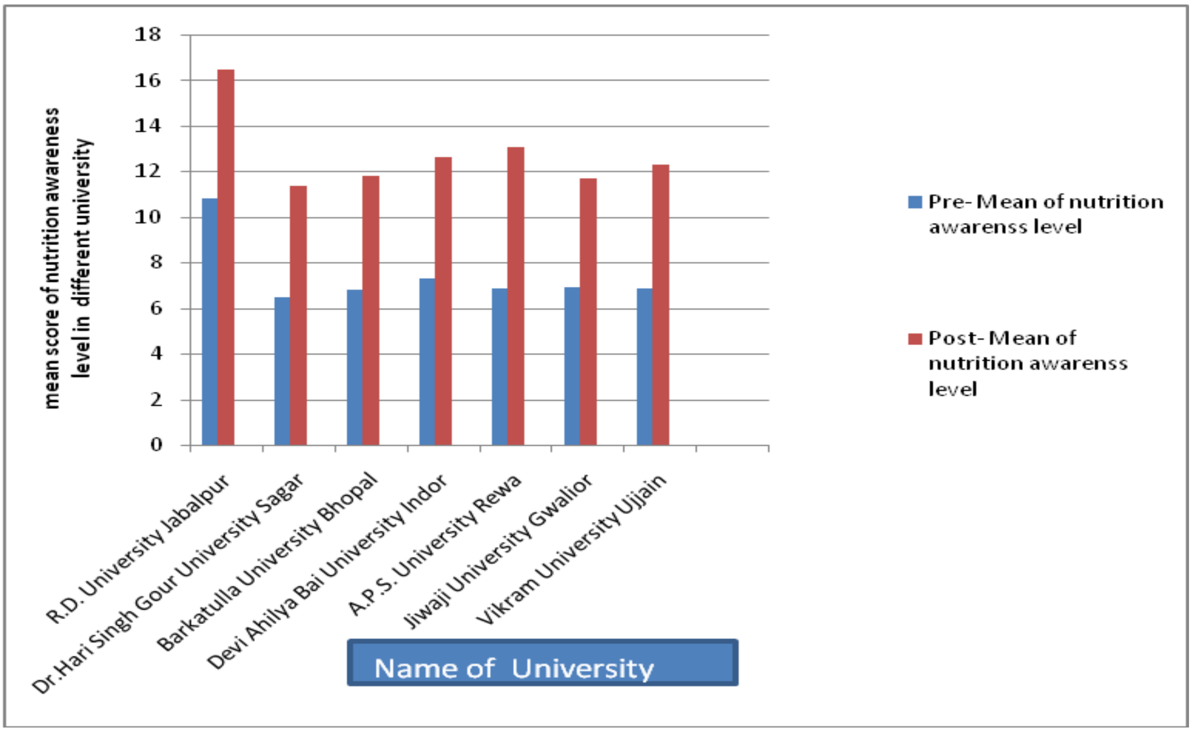

Figure-1 Mean score of Pre and Post Nutrition awareness level of different Universities at 0.01 level of significance

In this figure displayed pre and post nutrition awareness level of different universities mean score difference at 0.01level of significance. In this current research there is a positive and significant correlation between nutrition Education models and residents awareness level of NSS State level camp 2014. Previous research has found face to face

counseling to be influential in improving dietary intake (Stevens et al. 2002). A study indicate that receiving nutrition education from peers may be a preferred method of providing this additional exposure to nutrition information, internet may be more accessible then other approaches to influence dietary choices (Driskell et al. 2006). Bidan and his colleagues (2008) showed that the education leads to, increase in the average scores of knowledge and attitude and there is a significant difference between knowledge and attitude scores in pretest and post test.

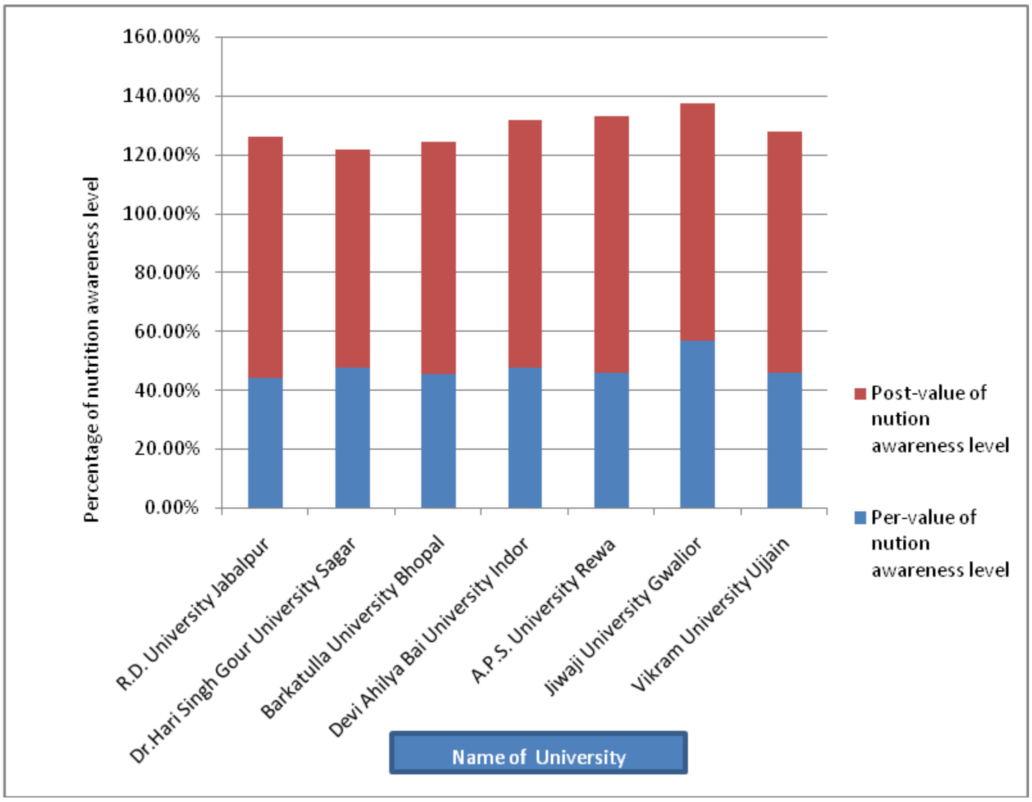

Figure-2 Nutrition awareness level of different universities (%)

The value displayed of seven Universities awareness level on two different conditions in this figure revealed that the numerically lowest nutritional awareness level was observed (R.D.V.V.-44.23%, D.A.V.V.-47.45%, Sagar university- 47.58%, Barkatulla university-45.49%, A.P.S. university-45.71%, Jiwaji university-56.77% and 45.78% of Vikram university) in pre awareness level compare to after display nutrition education model that score was increased (R.D.V.V.-81.78%, D.A.V.V.-84.14%, Sagar university- 74.05%, Barkatulla university-78.82%, A.P.S. university-87.15%, Jiwaji university-80.64% and 80.10% of Vikram university).the lowest percentage of nutritional awareness in pre test can be because of the lack of information, carelessness to nutrition, lack of time, lack of nutrition courses, and main cause of increasing the nutrition knowledge of NSS Camp residence after showing nutrition models, students attracted to nutrition education models, poster and charts are help to understand importance of nutrient

Conclusion: There was significant improvement in the nutritional awareness level of the subjects after seeing nutrition models, posters, charts and food guide pyramid. The present investigation also proved that the nutritional models and audio visual aids proved to be an important tool for informal education. Nutritional awareness amongst students can prove to resulting changing food habits thus contributing to build a healthier nation. Low level of awareness and ignorance about nutrition are the main reason for poor nutritional status and irregular dietary habits.

References :

Beydoun, M.A. and Y.Wang (2008). Do Nutrition Knowledge and Beliefs Modify the Association of Socio-Economic Factors And Diet Quality Among US Adults. Prev Med. 46(2), 145-153.

Driskell, JA, B.R. Meckna and N.E. Seales (2006). Defferences exist in the eating habits of university men and women at fast food restaurants. *Nutrition Research* 26, 524-530.

Gopalan, C., B.V. RamaSastri and S.C. Balasubamanian (2007). Nutritive value of Indian foods. Hyderadad, National institute of nutrition Indian council of medical research. Page no-98.

Stevens, VJ, RE Glasgow, DJ Toobrt, N Karanja and KS Smith (2002). Randdomized trial of a brief dietary intervention to decrease consumption of fat and increase consumption of fruits and vegetables. *American Journal of Health Promotion* 16,129-134.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न व अन्य आपूर्तियों का विश्लेषण

श्रीमती नीना बजाज
सहायक प्राध्यापक श्री निवास सरावगी महाविद्यालय कटनी (म.प्र.)

परिवहन व्यवस्था : सावजनिक वितरण प्रणाली की मूल भावना व उद्देश्यों की प्राप्ति तथा लक्ष्य इस विस्तृत प्रदेश के दूर दराज इलाको मे ऐसे लोगो तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये निगम की कार्य प्रणाली मे अनेक सुधार किये गये है। जिससे उपभोक्ताओं को आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक से अधिक मात्रा मे की जा सके। तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को श्शहरी व ग्रामीण प्रणाली के रुप मे बांटा गया है। जबलपुर जिले मे नगर निगम के अलावा सिहोरा, शहपुरा, पाटन, बरेला, पनागर, मंझोली और कटंगी क्षेत्र है।
कतिपय सुधार व उनसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों कि पूर्ति मे सहायता व जनता को प्राप्त लाभ का ब्योरा संक्षेप मे इस प्रकार है :

1. वितरण व्यवस्था

अन्नदूत योजना :

यह योजना वर्तमान मे जबलपुर जिले मे लागू है। यह योजना भोपाल नगर मे 1 नवंबर 1992 तथा इन्दोर मे 2 दिसंबर 1992 सें प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निगम के द्वारा वाहनो से बेस डिपो वितरण केन्द्र से खाद्यान्न तथा शक्कर उचित मूल्य के दुकानो के द्वार तक पहुंचा कर दी जाती है। इससे उचित मूल्य दुकानो को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है तथा उचित मूल्य दुकानो को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है तथा उचित मूल्य दुकानो के व्यवस्थापकों को भारतीय खाद्य निगम अथवा भंडार गृह निगम के गोदामो तक नही आना पड़ता है। इसके अलावा अन्य बड़े शहरो मे भी श्यह योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। क्योंकि इस योजना से जनता सीधे लाभान्वित हुई व व्यापक जनसमर्थन मिलने से यह योजना दिनोदिन लोकप्रिय हो रही हे। शहरी क्षेत्र मे जबलपुर जिले मे 440 दुकाने व ग्रामीण क्षेत्र मे 538 उचित मूल्य दुकाने संचालित हो रही है।

चलित उचित मूल्य दुकान :

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र मे 99 वाहन चलित उचित मूल्य दुकानो के रुप मे कार्यरत है यह दुकाने जिला प्रशासन द्वारा निधारित हाट बाजारो मे लगाई गई है।
जबलपुर जिले की सावजनिक वितरण प्रणाली को तालिका 1.1 मे दर्शाया गया है। तालिका मे शक्कर गेहूं चावल नमक एवं केरोसिन की क्रय एवं विक्रय दरे स्पष्ट हैं।

तालिका 1.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली
उपभोक्ता वस्तुओ की कय एवं विकय दरे

क.	जिन्स	नागरिक आपूर्ति को उनके डिपो पर देय दर प्रति क्विंटल	लीड का कमीशन	परिवहन व्यय	प्रशासकीय शुल्क	लिंक का कमीशन	लिंक द्वार उपभोक्ता को विकय दर प्रति कि. ग्रा.
1	शक्कर	1113.27	1.23	21.50	–	4.00	11.40
2	गेहूं बीपीएल	274.00	6.00	15.00	1.00	4.00	3.00
3	गेहू एपीएल	489.00	6.00	15.00	4.00	4.00	5.15
4	चावल	44.00	4.00	15.00	1.00	6.00	7.70

	बीपीएल						
5	चावल एपीएल	376.00	4.00	15.00	1.00	4.00	4.00
6	आयोडीन नमक	180.00	20.00	20.00	–	30.00	2.50
7	मध्यान्ह भोजन गेहूं	निशुल्क	–	15.00	–	7.00	निशुल्क
8	कैरोसिन	पृथक से संलग्न	3.25 प्रति ली.	शहर	एवं	ग्रामीण	दोनों

स्त्रोत : सार्वजनिक वितरण प्रणाली – एक नजर में।

उपभोक्ता सें संबंधित समस्यायें

सरकार सैद्धान्तिक रुप से जब कोई नियम सिद्धान्त बनाती है तब उस सिद्धान्त की प्रतिकिया स्वरूप उसे व्यवहारिक रूप देना आवश्यक होता है तभी उसके परिणाम दृष्टिगोचर होते है किन्तु सिद्धान्त बनाना और उसे व्यवहार मे लाना क्या दोनो सहज है? नही चूकि सिद्धान्त तो कागज पर अंकित होते है उनका क्षेत्र भी सीमित होता है व्यवहारिक रुप मे आते–आते उनका क्षेत्र विस्तृत हो जाता हैं एवं वह कई व्यक्तियों के हाथों मे आ जाते है इस तरह कागज पर उनका सुन्दर रुप व्यवहार मे आते विकराल रूप भी ले सकता है ओर वह स्वतः ही समस्याओ के चकव्यूह मे फस जाता है। कुछ यही स्वरुप है हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सरकार ने जहां इसे जनहित के स्वरुप मे बांध डाली वही इसकी बागडोर जिनके हाथों आई उन्होने इसे समस्याओं के कटघरे मे लाकर खड़ा कर दिया व स्वयं विपरीत दिशा मे खड़े हो गये।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली आखिर क्यों लड़खड़ा रही है? इसके संबंध मे किये गये अन्वेषणों से पता चलता है कि अफसरो कर्मचारियों व जनता के नुगाइन्दा के बीच एक सुलह है जिसके कारण आम जनता इसके लाभों से वंचित है।

सरकारी समितियों से संबंधित समस्यायें

1. उपभोक्ताओं की वास्तविक सहकारी समिति का न होना :–
   वर्तमाना मे जैसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भार सहकारी समितियों को सोंपा गया। व्यापारीगणों ने जल्दी जल्दी सहकारी समितियां गठित कर वितरण व्यवस्था पर पुनः अपना कब्जा कर लिया। जबकि वास्तविक सहकारी समिति मे व्यापारियों का प्रवेश वर्जित होता हे। व्यापारीगणों व स्वार्थी तत्वों के द्वारा अपनी गतिविधियों से सहकारी समितियो को बदनाम कर रहे है।
अतः अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की अनियमितताओं की जांच कर उपभोक्ताओं की वास्तविक सहकारी समितियां बनाकर सहकारिता पर लग रहे दाग को मिटाना चाहिये।

2. सदस्यता का प्रतिबंधित न होना :–
समितियों की सदस्यता प्रतिबंधित नही है अर्थात यह कि कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य हो सकता है जिसकी वजह से सदस्यगण अपने स्वार्थी की पूर्ति के लिये जनता का अहित करने से भी नही चुकते है।

सरकार द्वारा प्रदत सहायता से संबंधित समस्यायें

1. अच्छे गोदामों का अभाव :–
सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजना के अतंर्गत करोड़ो रुपये व्यय करने के बाद भी अन्न भंडारण हेतु अच्छे गोदामो का अभाव है। राशन की दुकानों मे राशन की वितरित की जाने किस्म को देखकर अदांजा लगाया जा सकता हे कि उसका रख रखाओ ठीक ढंग से नही किया जाता । अतः सरकार द्वारा अच्छे गोदामो की व्यवस्था कर अनाज एवं राशन की किस्म को बर्बाद होने से रोके।

2. प्रति यूनिट वितरित माल का निश्चित होना :–
प्रायः यह देखा जाता है कि उपभोक्ताओं का प्राप्त होने वाली राशन की मात्रा मे हर महीने

उच्चावन आता रहता है जिससे उपभोक्ताओं के समक्ष एक कठिनाई उत्पन्न हो जाता है। अतः सरकार को प्रत्येक महीने वितरित किये जाने वाले राशन की मात्रा निश्चित करनी चाहिये जो उपभोक्ताओं के लिये पर्याप्त हो।

3. राशन का आवंटन देरी से होना :–
प्रत्यैक सरकारी समिति पर आरोप लगाया जाता है इनके द्वारा राशन का वितरण समय पर नही किया जाता है। किन्तु सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया है कि अधिकाशं समितियो को माल समय पर आबंटित नही होता जिसका फल उपभोक्ता का पुष्ट के रुप में उठाना पड़ता है। अतः सरकार द्वारा राशना की आपूर्ति नियमित ढंग से समय पर की जानी चाहिये।

4. विभागीय कार्यवाही मे देरी :–
परमिट बनाने स लेकर

5. घटिया दर्ज की वस्तुओ की बिक्री व बढ़िया ओर अच्छी किस्मों को चोर बाजार मे बेचे जाने की भी खबरे आती रहती है।

उपभोक्ताओं का सहकारी समितियों के प्रति अनुभव

उपभोक्ताओं का सहकारी समितियों के प्रति :–
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या अर्थ है? सहकारी समितियों द्वारा वितरण व्यवस्था की जिम्मेदारी का निर्वाह करना तथा निजी व्यापारियों से इस व्यवस्था की बागडोर छीन लेना ये सारी बातें एसी है जिससे भारत की उस निर्धन एवं गरीब परिवार का कोई सरोकार नही जिसकी अपनी जिन्दगी मे ज्ञान एवं सरसता नाम की चीज ही नही है। यदि उसे थोड़ा बहुत ज्ञान एवं जानकारी है तो उसकी गरीबी ने उसे इतना वक्त नही दिया कि उसका दिमाग इस तरह की बातो को सोचने के लिए विवश हो जब मे अपनी प्रश्नावली लेकी एक रिक्शेवाले के पास गया जिसकी मासिक आय 400.00 रुपये लगभग है।

आश्चर्य तो मुझे उस समय हुआ जब मे जबलपुर शहर के हवाबाग वार्ड के उपभोक्ताओं के पास उनके विचार जानने हेतु पंहुचा। उस वार्ड के अधिकाशं निवास 400–500 रुपये मासिक आय प्राप्त करने वाले है। जिन्हे उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर केवल यह कहा जा सकता है कि व दो जून की रोटी खा लेते हैं। वहां एक वृद्ध महिला ने सहकारी समिति की एक दुकान से मिलने वाले चावंल का वितरण कुछ इस तरह प्रकट किया कि जब वह चावल पकाती है तो उसे चावल पकाते समय एक एक चावल के दाने छूकर देखना पड़ता हे कि वे पके है कि नही। जबकि सामान्य स्थिति मे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चावल पका है या नही इस प्रकार अनेक लोगो द्वारा बताया गया कि चांवल गेहूं इतनी घटिया होती है जिसका ब्यान नही किया जा सकता।

सहकारी समितियों द्वारा अपेक्षाओं का निर्वाह :–

उपभोक्ताओं ने सहकारी समितियों से कई अपेक्षायें को पूरा करने मे सहकारी समितियां कहां तक सहायक सिद्ध हुई है। इस संबंध मे एक सर्वेक्षण किया गया जिससे प्राप्त परिणामा के आधार पर जाना जा सकता है कि सहकारी समितियों कहा तक सफल हो सकी है। सर्वेक्षण हैतु वैसे तो तीन वर्गो को चुना गया हैं। उच्च मध्यम ओर निम्न वर्ग लेकिन जो निष्कर्ष निकाले गये है। वो विशेष रुप से मध्यम एवं निम्न वर्ग द्वारा दिये गये विचारों के आधार पर है। क्योंकि उच्च वर्ग का तो इस वितरण व्यवस्था से कोई सरोकार नही होता। जबलपुर शहर मे लगभग अधिक उपभोक्ता चाहै तो उच्च वर्ग मध्यम या निम्न वर्ग का हो उनका विचार है कि जिस उद्देश्य को लेकर सहकारो समितियों को जिम्मेदारी सोंपी गई उसका निर्वाह सही ढंग से नही किया जा रहा है। वर्तमान वितरण व्यवस्था जो समितियों द्वारा चलायी जा रही है। इससे निम्न वर्ग के 50 प्रतिशत लोग ही खुश है तथा 40 प्रतिशत पुनः पूर्व के वितरण माध्यम को जो निजी व्यापारीगणों को होता था चाहते है तथा श्शेष 10 प्रतिशत व्यक्तियों की राय मे दोनो वितरण माध्य बराबर है जबकि मध्यम एवं शिक्षित वर्ग का 80 प्रतिशत भाग इस व्यवस्था को उपयुक्त मानता है। साथ ही इस श्शर्तो के साथ कि यदि इनके द्वारा वितरण न्यायपूर्णा हो तो इस वितरण व्यवस्था मे काफी सुधार हो सकता है 10 प्रतिशत व्यक्ति इसे अनुपर्युक्त मानते है।

Bancassurance: An Indian Life Insurance Industry Scenario

Dr. Dilip Singh Hazari Principal,
Maharashtra Institution of Higher Education (College of Commerce and Management),
Jabalpur (M.P.)

Surender Kumar vats Research Scholar,
Department of Applied Economics and Business Administration, Faculty of Commerce,
Rani Durgavati University, Jabalpur , (M.P.)

Abstract : In this research paper, we discuss the bancassurance in Indian financial system, its feasibility, and its contribution in Indian life insurance industry. The bancassurance is very popular in European countries, USA and Canada and now it entered into Asia. In bancassurance, bank sells insurance product and earn commission or fee based income, on the other hand insurance companies avail banking network as new distribution or sale channel to sell their products. In this paper we study significance of bancassurance in Indian life insurance industry.

Introduction : When Insurance products sold by banks for earning of commission or fee based non-interest income is known as bancassurance, this term first used in France in mid-1980's after changes in the French banking law which allow sale of insurance product in bank branches. In French bancassurance - connotes distribution of insurance products through banking channel. Bancassurance encompasses terms such as 'Allfinanz' in German means 'Integrated Financial Services' and 'Assure Banking'. Banks, with their geographical spread and penetration in terms of customer reach of all segments, have emerged as viable sources for the distribution of insurance products.

The word Bancassurance was introduced in India in the year of 2000. Tie-ups between banks and insurance companies started in India in the year 2000 when the Government of India issued notification under Banking Act 1949, which allowed Indian banks to do insurance distribution. It started picking up after Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) passed a notification in October 2002 on 'Corporate Agency' regulations. As per the concept of Corporate Agency, banks can act as an agent of insurance companies; According to corporate agency regulation 2002 of IRDAI a bank can act as an agent of one life insurance and one non-life insurance company. But insurance companies whether life insurance or non-life insurance can have tie-up with more than one bank. LIC of India has tie-ups with many mid size nationalized banks like, corporation bank, Uco bank, Allahabad bank, Bank of Maharastra, central bank of India etc, PNB has tie-up with MetLife, SBI Life Insurance is joint venture of SBI and Cardif S A (the insurance arms of BNP Paribas bank) and is the biggest player in bancassurance in India. Companies like Birla Sun Life, Aviva, SBI Life and SBI General Insurance, ICICI-Prudential Life and ICICI Lombard General Insurance, HDFC-Standard Life, HDFC Ergo General Insurance etc had developed bancassurance as an important channel of distribution. To improve the bancassurance channel of insurance distribution, IRDAI brings the IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulation 2015, on 20, August; 2015which shall be come into force with effect from 1 April, 2016. According to IRDAI (registration of Corporate Agents) Regulation 2015, a corporate agent (bank or other corporate) can have tie-up with three insurers, instead of one insurer. Now a bank can have tie-up with maximum three each insurers of life insurance, health insurance and general insurance. This regulation will bring more competition in bancassurance, consequently customers will get better

insurance product due to competitive environment.

Literature review :

Bhattacharya Anabil (2000), "Indian Banks Entry into Insurance Sector", in this research study author discussed the Indian banks entry into the insurance business through various types of tie-ups arrangement which will be beneficial for all the parties that is banks, insurance companies and customers as well. This type of tie-up arrangement is known as bancassurance. Banks networks in remote and rural areas will help the penetration of insurance companies in these areas.

Thomas J T Balibo and Angle Ubide (2000), "The New World of Banking", in this research the author stated that "Four trends are fundamentally altering the financial world: Consolidation of Institution, globalization of operations, development of new technologies and universalizing of banks".

Aggarwal Abhichek (2003), "Bancassurance in Europe, the UK and Latin America", in this article, the author said about Europe, especially France and Spain where bancassurance has success story, while the inception and response of customer in UK has been lukewarm for historical and cultural reasons. The trends of the domination of individual financial advisors in the UK are continuing. The Latin America experience has been comparatively good due to liberalized regulatory environment of overall growth of the insurance sector, favorable socio-economic-political condition. The models and experience of Spain in bancassurance have influenced this sector.

A Karunagaran (2006), "Bancassurance : A feasible strategy for banks in India?" in this research paper, the author attempts to explore the scope and feasibility of bancassurance models in Indian context, due to largest banking network and lower insurance penetration as well as insurance density on the other hand. While analyzing the banks handling distribution of insurance product, it high light some issues in general as well as in specific form to the point of regulator and supervisor. The author concluded that, bancassurance would be norm rather than an exception in futurte in India, and it will be a win win situation for bank, insurer as well as for customer.

Tripti M. Gujral, 2014, in her research thesis " An Impact of Bancassurance Product on Banking Business in India-An Indepth Study" mentioned that, The concept of bancassurance in India is still in its emerging stage. But an incredible potential reveals that bancassurance in India has a very bright future. Recently various innovation have taken place in the insurance sector to suit and satisfy the growing needs of various customers. So, there is every reason to be optimistic that bacassurance in India will play a long inning.

Research Methodology :

In this research paper we used secondary data collected from various research paper, journals, magazines and IRDA Annual reports of various years

Objective :

1. Feasibility of bancassurance in Indian financial system
2. Contribution of bancassurance in life insurance business in India.

Hypothesis :

Bancassurance play a significant role as a distribution channel in Indian life Insurance industry.

I. Feasibility of bancassurance in Indian financial System

Bancassurance concept is known to all over the world; it was originating in France, and has tremendous performance in European countries as well as in USA and Canada. It entered into Asia continental, especially in India. In this paper we analysis the feasibility of bancassurance in Indian financial system as follows

1. Banks are basic financial point in any economy, same as in India, if the insurance is sells in the banks it will be win –win situation for all that is for bank, insurance company and customer.
2. Bankers can provides an expert advice to its customer and other as per need of the customer, and suggest better insurance plan.
3. Insurance companies can avail the networking of banks and reach out the customers in remote and rural areas. It is cost saving for the insurance companies. It will increase insurance penetration rate in Indian insurance industry.
4. Banks has huge customer base, through insurance selling bank can earn risk free commission or fee based non-interest income.
5. Bancassurance is a new distribution channel for the insurance companies and it is additional source of income for the banks, which can increase the profitability of banks.

II. Contribution of bancassurance in life insurance business in India.

Bancassurance was started after Govt. of India Notification dated August 3, 2000, specifying "Insurance" as a permissible form of business that could be undertaken by banks under section 6 (1) (0) of the Banking Regulation Act, 1949. In December 2000, State Bank of India (SBI) announced a joint venture with Cardif SA (the insurance arm of BNP Paribas Bank). This parternship won several others (with Fortis and with GE Capital). Cardif is the third largest insurance company in France. More than 60% of life insurance policies in France are sold through the banks. In India many expert in the industry have awaited the entry of State Bank of India. In 2001 India's largest public sector life insurance company LIC of India also has tie-ups with many banks. In the year 2015-16 LIC of India have tie-ups with 12 PSU Banks, 3 Private Banks, 10 Regional Rural Banks, 34 Cooperative Banks and 1 foreign Bank. Bancassurance scenario changed in India after IRDAI introduce a "Corporate Agency Regulation" in October 2002, Now-a-days there are 24 life insurance companies (1 public sector insurer LIC of India and 23 private life insurer) working in India, all of them have bancassurance as a distribution channel. The contribution of banks as a distribution channel in life insurance industry in terms of percentage of FPI (First Premium Income) of Indian life insurance industry during the period of 2011-12 to 2015-16 is shown below.

New Business of Life Insures through banking Channel in terms of Premium Income

(FPI) First Premium Income in % of Life insurance Industry

Life Insurer	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Private life Insurer (Total 23)	39.01	43.08	43.62	47.37	51.70
LIC #	2.57	3.16	2.77	2.60	2.18
Industry Total	14.96	16.18	15.62	20.84	23.82

Source- IRDAI Annual Reports from 2011-12 to 2015-16

Does not Include its overseas new business Premium.

Note- 1. New business Premium includes first year premium & single premium

2. The Leads obtained through referral arrangement have been included

The FPI (First Premium Income) of new business through banking channel is 23.82 % of life insurance industry's new business in 2015-16 of all 24 life insurers including LIC of India, but private insurance companies collected 51.70 % of FPI in new business from their bancassurance channel. If we look at previous years the performance of this channel is satisfactory even though banking distribution channel is in infant stage in India. From the above figures depicted in table, it revels that private life insurers are collecting most of there first year premium from bancassurance. On the other hand LIC of India only collects less than 3% of new business from bancassurance in year 2012-13 it was 3.16% that is more than 3%. If we look at bancassurance contribution in Indian life insurance industry it was increasing year by year, it was 14.96% in 2011-12, 16.18% in 2012-13, 15.62% in 2013-14, 20.84% in 2014-15 and 23.82 % in 2015-16. Last but not least bancassurance is playing a important role in life insurance distribution in India.

IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulation 2015 will boost the bancassurance as a distribution channel in Indian life insurance industry. It will be increase the bancassurance business up to 1.5 times of present contribution of bancassurance in next decade.

Hypothesis tested :

Hypothesis proves positive as the bancassurance contributes 23.82% of First Premium Income (FPI) in year of 2015-16 is collected through banks and private insurers collected 51.70% of their new business from banking channel, Hence bancassurance play a important role as a distribution channel in Indian life Insurance industry and has significant contribution.

Conclusion : It is concluded that Indian financial system is feasible for bancassurance and its contribution in Indian life insurance industry is significant. Indian life insurance sector has huge potential; bancassurance is one of the distribution channels which is helpful to provides insurance to all.

References:

- Anabil Bhattacharya (2000), "Indian Banks Entry into Insurance Sector", The Insurance Times, Vol. XX (20), November 2000
- Abhishek Aggarwal, "Bancassurance in Europe, the UK and Latin America", ICFAI Press, 2003
- Thomas J T Balibo and Angle Ubide, "The New World of Banking", published in Finance and Development, a quarterly magazine of International Monetary Fund, June 2000
- Tripti M Gujral, Phd Thesis " An impact of bancassurance product on banking business in India:An indepth study" The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Gujarat, India 2014.
- Serpa O Gonual, Nick Gonual and Rodney, "Bancassurance-A valuable tool for developing insurance in emerging markets".
- A. Karunagaran, "Bancassurance: A Feasible Strategy fort banks in India?", Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol. 27. No. 3. Winter 2006.
- Tapen Sinha, "Bancassurance in India: Who is tying the Knot and Why".
- S Sarvana Kumar and et al, "Flourishing Bancassurance Business : An Indian Perspective", ZENITH, International Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 2. Issue 2, February 2012, ISSN 2231-5780.
- Annual Reports of IRDAI of 2011-12 to 2015-16

WORK PLACE & ENVIRONMENT PREFERENCES OF TEACHERS OF TEACHER TRAINING COLLEGES OF JABALPUR

Dr. Nidhi Darbari, Jabalpur M.P.

Introduction : Work is a major activity directed towards making or doing something for human beings. *"I know a great India but not a great Indian"*.[1] Pt. Nehru. The statement sends a signal about the erosion of values among individual. The feeling that existed before independence does not exist now. Rao defined, "work values as the degree of worth ascribed to a particular type of work activity or aspect of work. It was his contention that identifying the dimensions of work help in understanding works."[2] Work values are principles that guide one's behaviour, they define how one works and how one relate to coworkers, employers and students.

METHOD *:* The present study was an educational survey relating to the work values of teachers of teacher training colleges.

SAMPLE : For the purpose of the present research study all the teacher educators of the colleges affiliated to only Rani Durgavati University, Jabalpur was taken. Teachers of departments of education (multi faculty institutions) and teacher training colleges (single faculty institutions) were treated alike. **TOOLS:** For the present research work the researcher herself constructed the Teachers Work Value Questionnaire.

OBJECTIVES : To study the work value preferences of the teachers in teacher training colleges the Researcher has constituted the following objectives:

1. To study which is the most opted work value by the teacher educators regarding the workplace location amongst the indoor workplace, home based workplace and rural workplace.
2. To study which is the most preferred work value by the teacher educators regarding the workplace setting i.e. attractive surroundings, safety at workplace, stability in job.
3. To study which is the most desired work value by the teacher educators regarding the work environment convenience i.e. good work schedule, leisure at work and affiliated institution.
4. To study the choice of work value by the teacher educators regarding the work environment conditions i.e. fair and considerate supervisors, supportive coworkers, reasonable employers.

HYPOTHESIS: To study The Work Value Preferences of the Teachers in the Teacher TrainingColleges the Researcher has constituted the following hypothesis:

Ho(1). Home based workplace location will be the most preferred value compared to indoor workplace and rural workplace by maximum teacher educators.

Ho(2). Stability at work place setting will be the most preferred value compared to attractive surroundings and security at workplace by most of the teachers in the teacher training colleges.

Ho(3). Affiliation of the institution will be the most preferred value compared to good work schedule and leisure as work environment convenience by most of the teacher educators.

*Ho(4). R*easonable employers institution will be the most preferred value compared to fair and considerate supervisors and supportive coworkers by the majority of the teacher educators regarding work environment conditions

Analysis of Data:

A. **Work Place**: (i) Work Location (ii) Work Setting

B. **Work Environment**: (i) Work Convenience. (ii)Work Conditions.

WORK PLACE LOCATION VALUE PREFERENCES OF TEACHERS.

TABLE NO.I- PREFERENCES - WORK PLACE:WORK LOCATION					
Indoor Workplace		**Home Based Workplace**		**Rural Workplace**	
Total No. of Teachers.					
Ist Preference	34.50%	Ist Preference	60.52%	Ist Preference	4.67%
IInd Preference	53.50%	IInd Preference	35.30%	IInd Preference	11.40%
IIIrd Preference	11.90%	IIIrd Preference	4.09%	IIIrd Preference	83.90%
No. of Female Teachers.					
Ist Preference	35.15%	Ist Preference	60.10%	Ist Preference	4.68%
IInd Preference	52.30%	IInd Preference	37.50%	IInd Preference	10.50%
IIIrd Preference	12.50%	IIIrd Preference	2.73%	IIIrd Preference	84.30%
No. of Male Teachers.					
Ist Preference	32.55%	Ist Preference	61.60%	Ist Preference	4.65%
IInd Preference	56.90%	IInd Preference	29.06%	IInd Preference	13.90%
IIIrd Preference	10.46%	IIIrd Preference	8.13%	IIIrd Preference	82.50%

Work place location Preferences of Teachers: The Computed Table No. I reveals that *indoor workplace location* was desired as the Ist preference by 34.50% teachers in the teacher training colleges. Approximately half i.e.53.50% teachers had given their IInd preference to indoor workplace location. Only 11.90 % teachers gave the IIIrd preference to indoor workplace location. Regarding the choice of workplace location by female teachers in the teacher training colleges 35.15% had given the Ist preference to indoor workplace location. Nearly half i.e.52.30% female teachers gave indoor workplace location their IInd choice. Only 12.50% female teachers had given the IIIrd preference to indoor workplace location. As regards the choice of male teachers in the teacher training colleges the Ist preference was given by 32.55% to indoor workplace location. More than half i.e.56.90% male teachers had given their IInd priority to indoor workplace location. The IIIrd preference was given by only 10.46% male teachers in the teacher training colleges to indoor workplace location.

Table No. I reveals that the *home based workplace location* was given Ist preference by 60.52% teachers in the teacher training colleges.35.30% teachers had given their IInd preference to home based workplace location. While only 4.09% teachers had given their IIIrd preference to home based workplace location. Regarding the choice of the female teacher in the teacher training colleges more than half i.e.60.10% had given their Ist preference to the home based workplace location. 37.50% female teachers had given IInd preference to home based workplace location. Home based workplace location received the IIIrd preference by only 2.73% female teachers. As far as the male teachers in the teacher training colleges were concerned more than half i.e.61.60% had given Ist preference to home based workplace location. 29.06% male teachers had given their IInd priority to home based workplace location. The IIIrd preference was given by 8.13% male teacher to home based worklocation.

The Ist preference to the *rural workplace location* was desired by only 4.67% teachers.11.40% teachers in the teacher training colleges had given their IInd preference to rural workplace location. Nearly the majority i.e. 83.90% of teachers had given the IIIrd preference to rural workplace location. As regards the priority of female teachers in the teacher training colleges only 4.68% had given their Ist preference to rural workplace location.10.50% female teachers in the teacher training colleges had given their IInd preference to the rural workplace location. Nearly the majority i.e. 84.30% female teachers had given their IIIrd choice to rural workplace location. Only 4.65% male teachers had given the Ist

preference to rural workplace location.13.90% male teachers in the teacher training colleges had given the IInd priority to rural workplace location. The rural work place location was given IIIrd preference by the majority i.e. 82.50% male teachers in the teacher training colleges.

The home based workplace location was the most preferred value (Ist preference) amongst the workplace location by 60.52% teachers in the teacher training colleges. Indoor work place location received the IInd priority i.e.53.50% by the teachers in the teacher training colleges. Rural workplace location received the least preference IIIrd preference by 84.30% teachers in the teacher training colleges. Thus it can be concluded that the teachers desire to work at a place located near their home and they do not desire a rural workplace location.

WORK VALUE PREFERENCES OF TEACHERS.

TABLE NO.II WORK PLACE: WORK SETTINGS.					
Attractive Surroundings		Safety		Stability	
Total No. of Teachers.					
Ist Preference	13.15%	Ist Preference	28.65%	Ist Preference	59.35%
IInd Preference	23.39%	IInd Preference	50.87%	IInd Preference	24.85%
IIIrd Preference	63.45%	IIIrd Preference	20.46%	IIIrd Preference	15.78%
No. of Female Teachers.					
Ist Preference	10.54%	Ist Preference	33.20%	Ist Preference	57.42%
IInd Preference	17.18%	IInd Preference	53.51%	IInd Preference	28.12%
IIIrd Preference	72.65%	IIIrd Preference	13.28%	IIIrd Preference	14.06%
No. of Male Teachers.					
Ist Preference	20.93%	Ist Preference	15.11%	Ist Preference	63.95%
IInd Preference	41.86%	IInd Preference	43.02%	IInd Preference	15.11%
IIIrd Preference	36.04%	IIIrd Preference	41.86%	IIIrd Preference	20.93%

Work Place Setting Preferences of Teachers: From observing the Table No. VIII we can say that *attractive surroundings workplace setting* was desired as the Ist preference by only 13.15% teachers in the teacher training colleges. Attractive surroundings workplace settings received the IInd preference by 23.39% teachers. More than half i.e. 63.45% of teachers in the teacher training colleges had given the IIIrd preference to attractive surroundings workplace settings. Regarding the choice of attractive surroundings workplace setting by female teachers in the teacher training colleges only 10.54% had given the Ist preference to this value.17.18% female teachers had given attractive surroundings workplace setting as their IInd choice. The IIIrd preference was given by nearly the majority i.e.72.65% female teachers in the teacher training colleges to attractive surroundings workplace setting. As regards the attractive surroundings workplace setting the Ist preference was given by only 20.93% male teachers in the teacher training colleges.41.86% male teachers had given their IInd priority to attractive surroundings workplace setting. The IIIrd preference was given by 36.04% male teachers in the teacher training colleges to attractive surroundings workplace setting.

Table No. VIII also reveals that the Ist preference was desired by 28.65% teachers in the teacher training colleges to *safety workplace setting*. Nearly half i.e.50.87% teachers in the teacher training colleges had given their IInd preference to the safety workplace setting. 20.46% teachers gave their IIIrd preference to safety workplace setting. The female teachers in the teacher training colleges 33.20% had given

their Ist preference to safety workplace setting. More than half i.e.53.51% female teachers in the teacher training colleges had given their IInd choice to safety workplace setting. Only 13.28% female teachers had given the IIIrd preference to safety workplace setting. Safety workplace settings received the Ist preference by 15.11% male teachers in the teacher training colleges.43.02% male teachers gave the IInd priority to safety workplace setting. The IIIrd preference was given by 41.86% male teachers in the teacher training colleges to safety workplace setting.

Table No. VIII also reveals that the *stability workplace setting* was desired as the Ist preference by more than half i.e.59.35% teachers in the teacher training colleges.24.85% teachers in the teacher training colleges had given their IInd preference to stability workplace setting. Only 15.78% teachers in the teacher training colleges had given the IIIrd preference stability workplace setting. As regards the choice of female teachers in the teacher training colleges more than half i.e.57.42% had given their Ist preference to stability workplace setting. 28.12% female teachers prefer stability workplace setting as their IInd priority. Only 14.06% female teachers in the teacher training colleges had given their IIIrd choice to stability workplace setting. As far as the choice of male teachers in the teacher training colleges was concerned more than half i.e.63.95% had given the Ist preference to stability workplace setting.15.11% male teachers had given the IInd priority to stability workplace setting. The IIIrd preference was given by 20.93% male teachers in the teacher training colleges to stability workplace setting.

Thus the most preferred value Ist preference amongst the workplace setting by 59.35% teachers in the teacher training colleges was stability. Safety workplace setting received the IInd priority by the 50.87% teachers in the teacher training colleges. Attractive surroundings workplace setting received the least preference IIIrd preference in the workplace setting by 63.45% teachers in the teacher training colleges. Thus it is clear that the teachers in the teacher training colleges desire to work where they have stability workplace setting and they do not prefer attractive surroundings workplace setting.

WORK VALUE PREFERENCES OF TEACHERS.

TABLE NO.III -WORK ENVIRONMENT: WORK CONVENIENCE.					
Work Schedule		**Leisure**		**Affiliation**	
Total No. of Teachers.					
Ist Preference	38.59%	Ist Preference	3.80%	Ist Preference	56.43%
IInd Preference	55.84%	IInd Preference	17.25%	IInd Preference	28.07%
IIIrd Preference	5.50%	IIIrd Preference	78.94%	IIIrd Preference	15.49%
No. of Female Teachers.					
Ist Preference	36.32%	Ist Preference	4.20%	Ist Preference	58.20%
IInd Preference	57.81%	IInd Preference	14.84%	IInd Preference	28.90%
IIIrd Preference	5.80%	IIIrd Preference	80.85%	IIIrd Preference	12.89%
No. of Male Teachers.					
Ist Preference	45.34%	Ist Preference	2.30%	Ist Preference	51.16%
IInd Preference	50.00%	IInd Preference	24.41%	IInd Preference	25.58%
IIIrd Preference	4.60%	IIIrd Preference	73.25%	IIIrd Preference	23.25%

Work Value Preferences of Teachers: Under work environment convenience three work values were taken i.e. good work schedule, leisure and affiliation and preference was asked from the teachers. Table No. III shows that *good work schedule work environment convenience* was desired as the Ist preference by 38.59% teachers in the teacher training colleges. More than half i.e.55.84% teachers in the teacher training colleges had given their IInd preference

to good work schedule work environment convenience. Only 5.50 % teachers in the teacher training colleges had given the IIIrd preference to good work schedule work environment. As far as the preference of female teachers was concerned good work schedule work environment convenience received Ist preference by 36.32% the teachers. Good work schedule work environment convenience received the IInd preference by more than half i.e.57.81% female teachers in the teacher training colleges. Only 5.80% female teachers in the teacher training colleges had given the IIIrd preference to good work schedule work environment convenience. The good work schedule work environment convenience received the Ist preference by 43.34% male teachers in the teacher training colleges.50% male teachers had given their IInd priority to good work schedule work environment convenience. The IIIrd preference was given by only 4.60% male teachers to good work schedule work environment convenience.

Table No. III also reveals that only 3.80% teachers in the teacher training colleges desire *leisure work environment convenience* and had given it the Ist preference.17.25% teachers had given their IInd preference to the value of leisure work environment convenience. More than two third i.e.78.94% teachers in the teacher training colleges had given their IIIrd preference to leisure work environment convenience. Regarding the choice of female teachers in the teacher training colleges only 4.20% had given the Ist preference to leisure work environment convenience.14.84% female teachers in the teacher training colleges preferred IInd choice to leisure work environment convenience. Maximum female teacher i.e.80.85% had given the IIIrd preference to leisure work environment convenience. Only 2.30% male teachers in the teacher training colleges had given the Ist preference to leisure work environment convenience. The IInd priority to leisure work environment convenience was given by 24.41% male teachers in the teacher training colleges. The IIIrd preference was given by majority i.e.73.25% male teachers in the teacher training colleges to leisure work environment convenience.

Table No. III reveals that more than half i.e. 56.43% teachers in the teacher training colleges had given the Ist preference to *affiliation work environment convenience*. 28.07% teachers had given their IInd preference to affiliation work environment convenience. Only 15.49% teachers had given the IIIrd preference to the affiliation work environment convenience. As regards the choice of female teachers in the teacher training colleges more than half i.e. 58.20% had given their Ist preference to affiliation work environment convenience. 28.90% female teachers gave their IInd choice to affiliation work environment convenience. Only 12.89% female teachers had given their IIIrd choice to affiliation work environment convenience. As far as male teachers were concerned nearly half i.e. 51.16% had given the Ist preference to affiliation work environment convenience.25.58% male teachers had given the IInd priority to affiliation work environment convenience. The IIIrd preference was given by 23.25% male teachers to affiliation work environment convenience.

Thus we can say that 56.43% the teachers in the teacher training colleges gave their Ist preference to affiliation work environment convenience. Good work schedule work environment convenience was given the IInd preference by 55.84% by teachers in the teacher training colleges. Leisure as work environment convenience received the least preference IIIrd preference by 78.94% teachers. Therefore it can be said that the teacher educators desire to work at an affiliated institution work environment convenience and they do not desire to take leisure work environment convenience.

WORK VALUE PREFERENCES OF TEACHERS.

TABLE NO.IV - WORK ENVIRONMENT- WORK CONDITIONS.					
Fair Supervisor		**Supportive Coworker**		**Reasonable Employers**	
Total No. of Teachers.					
Ist Preference	33.33%	Ist Preference	19.00%	Ist Preference	47.66%
IInd Preference	37.13%	IInd Preference	35.67%	IInd Preference	26.31%
IIIrd Preference	29.53%	IIIrd Preference	45.32%	IIIrd Preference	26.02%
No. of Female Teachers.					
Ist Preference	33.98%	Ist Preference	18.35%	Ist Preference	48.04%
IInd Preference	38.28%	IInd Preference	35.93%	IInd Preference	24.60%
IIIrd Preference	27.73%	IIIrd Preference	45.70%	IIIrd Preference	27.34%
No. of Male Teachers.					
Ist Preference	31.39%	Ist Preference	20.93%	Ist Preference	46.51%
IInd Preference	33.72%	IInd Preference	34.88%	IInd Preference	31.39%
IIIrd Preference	34.88%	IIIrd Preference	44.18%	IIIrd Preference	22.09%

Work Value Preferences of Teachers: By observing the Table No. IV it can be clearly seen that *fair and considerate supervisors work environment conditions* was desired as the Ist priority by 33.33% teachers in the teacher training colleges. 37.13% teachers had given their IInd preference to fair and considerate supervisors work environment conditions. 29.53% teachers in teacher training colleges gave the IIIrd preference to fair and considerate supervisors work environment conditions. The work environment conditions of fair and considerate supervisors received the Ist preference by 33.98% female teachers in the teacher training colleges.38.20% female teachers had given their IInd choice to fair and considerate supervisors.27.73% female teachers had given the IIIrd preference to fair and considerate supervisors work environment conditions. The Ist preference to the work environment conditions of fair and considerate supervisors was given by 31.39% male teachers in the teacher training colleges.33.72% male teachers had given their IInd priority to fair and considerate supervisors. The IIIrd preference was given by 34.88% male teachers in the teacher training colleges to the work conditions of fair and considerate supervisors.

Table No. IV also reveals that the Ist preference was given by 19.00% teachers to the *supportive coworkers* work environment conditions. 35.67% teachers in the teacher training colleges had given their IInd preference to the supportive coworkers work environment conditions. 45.32% teachers had given their IIIrd preference to supportive coworkers work environment conditions. Regarding the choice of female teachers in the teacher training colleges only 18.35% have given their Ist preference to supportive coworkers. 35.93% female teachers in the teacher training colleges IInd choice was supportive coworkers work environment conditions.45.70% female teachers had given the IIIrd preference to supportive coworker work environment conditions. 20.93% male teachers have given the Ist preference to the supportive coworkers work environment conditions. 34.88% male teachers gave their IInd priority to the supportive coworkers work environment conditions. The IIIrd preference was given by 44.18% male teachers to supportive coworker work environment conditions.

Table No. IV also reveals that the Ist preference was given by 47.66% teachers to the *reasonable employers work environment conditions*. 26.31% teachers in the teacher training colleges had given their IInd preference to the reasonable employers work environment conditions. 26.02% teachers in the teacher training colleges had given the IIIrd preference to the reasonable employers. As regards the choice of female teachers in the teacher training colleges 48.04% had given their Ist preference to

reasonable employers work environment conditions. 24.60% female teachers had given their IInd choice to the reasonable employer work environment conditions. 27.34% female teachers had given their IIIrd choice to reasonable employers work environment conditions. 46.51% male teachers had given the Ist preference to reasonable employers work environment conditions.31.39% male teachers in the teacher training colleges had given the IInd priority to reasonable employers work environment conditions. The IIIrd preference was given by 22.09% male teachers to reasonable employers work environment conditions.

The most preferred value Ist preference amongst the work environment condition was reasonable employers preferred by 47.66% teachers in the teacher training colleges. Fair and considerate supervisor work environment condition was given the IInd preference by 37.13% teachers. Supportive coworkers work environment condition received the IIIrd preference by 45.32% teachers in the teacher training colleges. Thus it can be concluded that the teachers in the teacher training colleges desire reasonable employers work environment condition and they have given the least preference to supportive coworkers work environment condition.

CONCLUSIONS: The teachers in teacher training colleges desire to work at a home based workplace location and this value received Ist preference. Rural workplace location received the IIIrd preference so we can conclude that teachers in the teacher training colleges do not desire to serve in a rural workplace location. The teachers in the teacher training colleges desire to work where they have stability at workplace setting and it was most preferred value receiving amongst the workplace setting. Attractive surroundings workplace setting received the IIIrd preference by the teachers in the teacher training colleges. The teachers in the teacher training colleges gave their Ist preference to the value of affiliation work environment convenience. The teachers do not desire to take leisure as work environment convenience and it received the IIIrd preference by the teacher educators. The teachers in teacher training colleges desire reasonable employers as work environment condition and it was the most preferred value by teacher educators. The teachers in the teacher training colleges have given the IIIrd preference to work environment condition with supportive coworkers.

REFERENCES

1. File://C:\mY Docu.... *Value Orientation in Teacher Education*- Synopsis of the Guest Speakers, (2006), Pg 2

2. Rao.T.V.(1991)*Managerial Work Value Scale*, Developing Human Resources, Pg 163-177

बैंकों में मानव संसाधन जोखिम प्रबंध

अंकिता चंद्रवंशी, शोधार्थी
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

प्रस्तावना – आधुनिक समय में मानव संसाधन के योगदान को अत्याधिक महत्व दिया जा रहा है बैंक कार्यरत लोग ही इसके लक्ष्य की प्राप्ति में बैंक की मदद करते है और नई ऊँचाईयों पर पहुंचाते है पर इसके दूसरे पक्ष की उपेक्षा की जाती है कि बैंका की असफलता के पीछे भी इसकी जनशक्ति एक कारण हो सकती है। आम धारण यह है की बैंक जिस कारोबार में है जोखिम उसी में मौजूद कारणों से होता है जब जोखिम की बात आती है तो बैंक ढांचागत व प्रक्रियात्मक कार्यो पर ज्यादा ध्यान देते है बैंकों में मानव संसाधन जोखिम से तात्पर्य उस अप्रत्याशित कीमत से हैं जो बैंको को अपने कर्मचारियों के कृत्यो अथवा निष्क्रीयता के कारण चुकानी पड़ती हैं। जब कर्मचारी अपनी भूमिका अथवा दयित्वों के मुताबिक वाछित क्षमताओं से परिपूर्ण नहीं होते या संगठन द्वारा निर्धारित नियमो एवं प्रक्रियाओ का पालन नहीं करते या कोई गलत कदम उठाते हैं तो इससे होने वाले जोखिम को मानव संसाधन जोखिम के रूप में देखा जाता हैं। यदि बैंक को इससे होने वाली हानियो का अंदाजा नहीं हैं तो यह भी जोखिम में शामिल किया जाएगा। बैंक यदि अपनी जरूरतों एवं लाभ प्राप्ति के अनुसार प्रतिभाओं को आकर्षित नहीं करता हैं तो यह भी मानव संसाधन जोखिम का एक रूप माना जायेगा आंतरिक मानव संसाधन जोखिम बैंक की आंतरिक मानव संसाधन नीतियों एवं प्रणालियों से तय होते है यह संबंधित विभाग की इन जोखिम को कम करने या रोकने में कभी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बैंकों में मानव संसाधन जोखिम के कुछ शुरूआती तत्व इस प्रकार के हो सकते है :–

1. इस जोखिम के सम्भावित स्त्रोत कौन–कौन से हैं, या हो सकते हैं।
2. परिचालन के विभिन्न स्तरो पर यह जोखिम किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता हैं।
3. ऐसे कौन से उपाय किये जाए, जिससे कि इन जोखिमों को न्यूनतम रखा जा सकें।

मूल्यांकन एवं विश्लेषण :–

वर्तमान में मानव संसाधन जोखिम प्रबंधन, बैंको की प्राथमिकता बना हुआ हैं। सभी बैंकों में इस हेतु ढांचा मौजूद हैं। बैंको के मुख्य एवं प्रधान कार्यालयो में जोखिम प्रबंध हेतु स्वतंत्र विभाग लागू किये गये हैं जो वरिष्ठ एवं अनुभवी कार्यपालका क अधीन कार्य कर रहे हैं। इसके साथ–साथ नियंत्रक कार्यालयों एवं शाखाओं को भी जोखिम प्रबंध के दायित्व दिये गये है। बैंक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जोखिम प्रबंधन की उपेक्षा करना उनकी आय एवं छवि (शाख) पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। संगठन में हाने वाली हानियां, चाहे वह वित्तीय हानियां हो या छवि (शाख) की हानियां हो इनके पीछे प्रायः बैंक में कार्यरत कर्मचारी ही इसके प्रमुख कारण हैं। आगे चलकर कौन क्या करेगा यह भविष्यवाणी करना अत्याधिक कठिन कार्य हैं। कर्मचारी अनुभवो परिस्थितियों एवं बाहरी प्रभावो की वजह से अपना नजरिया कई बार बदल रहे हैं। अतः कर्मचारी के विषय में इतनी आसानी से फैसला नही लिया जा सकता है इस तरीके से मानव संसाधन जोखिम का प्रबंधन एक जटिल कार्य हैं। यहां आवश्यकता यह हैं कि बैंक में हो रहे कायकलाप एवं कर्मचारियों को करीब से पहचाना जा रहा है और पूर्व के कार्यकालापां एवं पक्षपातों से दूर रहकर निष्पक्ष निर्णय लेने और नियंत्रक प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम उढाने से बचना नहीं हैं, अपितु जोखिम की स्थिति को समझने से एवं जोखिम के प्रभाव को न्यूनतम रखने और जोखिम सामने आने पर परिचालनों की निरन्तरता बनाये रखने से होता है।

मानव संसाधन जोखिम प्रबंधन के तत्व (कारक)

1. बैंक द्वारा कार्य करने हेतु अनुकुल वातावरण का न होना भी मानव संसाधन जोखिम का एक कारण हो सकता हैं।
2. बैंकों में कार्य करने हतु विविध भूमिकाओ के लिए सही व्यक्तियों का चयन न हो पाना।

3. सेवा निवृत्ति के कारण अत्यधिक मात्रा में रिक्तियों का भरा जाना एवं नई पीढ़ी के अनुभवहीन कर्मचारियों को नियोजित करना।
4. नियुक्ति से चुने हुए कर्मचारियों में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठता का न होना।
5. कर्मचारियों में बैंकिग कारोबार के लिए रूझान न होना अर्थात् नौकरी छोडकर चले जाना वह भी बिना जानकारी या अल्प सूचना देकर।
6. कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण एवं व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न कराना।
7. अनुभवी कर्मचारियों का बैंक छोड़ने एवं असमय सेवा निवृत्ति लेना भी मानव संसाधन जोखिम का कारण हैं।
8. बैंको के पास योग्य प्रशिक्षित एवं सक्षम पेशेवर कर्मचारियों की कमी का होना भी कारण है।
9. बैंको द्वारा कर्मचारी के विकास एवं क्षमता निर्माण पर पूरा ध्यान न दिया जाना भी जोखिम का कारण हैं।
10. बैंक में कमचारियो का पदोउन्नत होना एवं स्थानान्तरण हो जाना भी एक कारण है।
11. बैंक को उन्नत करने में कर्मचारियों के पास उनके पद एवं दायित्वो के अनुरूप क्षमताए एवं कुशलताओं का कम पाया जाना भी जोखिम का कारण है।

सुझाव –

बैंक को अपने कर्मचारियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं यह अपेक्षा उचित भी हैं किंतु बैंक का दायित्व हैं कि ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करें, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने योगदान को समझ सकें और प्रेरित होकर अपना सर्वोत्तम योगदान दें। कुछ चीजे जो बैंक कर सकते हैं वे है गुणात्मक समानता एवं निष्पक्षता को आधार मानकर बैंक के प्रति कर्मचारियों का विश्वास बढाना। बातचीत को खुला एवं दो तरफा रखना तथा वेतन एवं सुविधाओं का स्तर उचित रखना। बैंको के शीर्ष प्रबंधन को ऐसी संस्कृति व मार्ग प्रशस्थ करना जिस पर कर्मचारी गर्व कर सकें। लक्ष्यो तथा ऋण नीतियों का इस प्रकार परिभाषित करना कि वे स्पष्ट समझ आ सके। शीर्ष प्रबंध की स्पष्ट नीतियों के माध्यम से निष्पक्षता एवं प्रतिबद्धता कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजक बनायेगी व उन्हे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी।

बैंक संगठन के ढांचे में लिखित एवं अलिखित दोनो नियम होते हैं, दोनों नियमों को कर्मचारी जाने एवं समझे साथ ही साथ शीर्ष प्रबंधन को इन नियमो के पालन पर आदर्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अंत मे यह कहना होगा की बैंको की सामरिक मानव संसाधन योजना तैयार करते समय मानव संसाधन जोखिम के तत्वो का पूरी तरह ध्यान में रखना जरूरी हैं। बैंकिंग कारोबार की प्रकृति ऐसी हैं कि बैंकों के लिए मानव संसाधन जोखिम प्रबधन महत्वपूर्ण हैं। अतः इसका निष्पादन सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए। बैंको में कर्मचारियों को कुशलताओं एवं क्षमताओ से मुक्त करने की आवश्यकताओ पर बल देना ताकी उनका विकास हो और वे प्रतियोगी बने रहें।

लाभ एवं हानि

1. बैंको को मानव संसाधन जोखिम नीतियों से अपनी आय और छवि (शाख) को बढावा मिला है।
2. जोखिम प्रबंध से कर्मचारियों के पलायन पर काबू किया जा रहा है।
3. कुछ मानव संसाधन जोखिम अभी भी बैंक प्रबंधन के नियंत्रण में नहीं आ सके हैं। इससे बैंक की सम्भावयता व लाभप्रदता एवं शाख को निखारने का मौका सामने आया हैं।
4. कर्मचारियों की उदासीनता, धोखाधड़ी पर नियंत्रण किया जा सका हैं।
5. कुशल एवं योग्य कर्मचारियों को बैंक सेवा का मौका प्रदान किया गया हैं।
6. मानव संसाधन जोखिम के अंतर्गत नोतियो को सख्त कर दिया गया हैं जिसके फलस्वरूप गलत पाये गये कर्मचारियो पर लगाम कसी जा सकी है।
7. प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों को योग्य, कुशल निष्ठावान, नैतिक और ईमानदार बनाया जा रहा हैं।

निष्कर्ष :–

बैंकिंग एक सेवा उद्योग हैं जहां कर्मचारी अच्छी सेवा तब देंगे जब उनका पेश से जुडाव हो अगर जुडाव नहीं होगा तो कर्मचारी असंतुष्ट भाव से कार्य करेगा और बैंक वांक्षित लक्ष्य को प्राप्त

नहीं कर पायेगा जब कर्मचारी का आचरण अपेक्षा से भिन्न है तो यह भी मानव संसाधन जोखिम के अंतर्गत आता है आचरण में ऐसा विचलन जानबुझ कर हो सकता है और अज्ञानतावश भी हो सकता है जब लोग कार्य करते है तो गलतिया होने की संभावना बनी रहती है सावधानी बरतने से गलतियों पर काबू किया जा सकता है लेकिन व्यक्ति द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी उसके द्वारा की गई गलतियों से बिल्कुल भिन्न होती है बैंकों को इस प्रकार के व्यक्तियों से बचाना अधिक कठिन एवं जटिल है बैंकिग कारोबार में दाव पर कभी कुछ लगा होता है और प्रलोभन भी बहुत होते है। गलत इरादों वाले लोग और वे लोग जिनकी ईमानदारी शक के दायरे में है बैंक की सम्पत्ति से खिलवाड़ कर सकते है ऐसा देखने को मिलता है बैंकों ने कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हेतु पुलिस सत्यापन एवं जांच का तरीका अपनाया है यह तरीका सही है इसकी गारंटी नहीं मिलती है। कर्मचारी बैंक में कार्य के लिए उपयुक्त हैं या नहीं यह उनके ज्ञान, कौशल, एवं अभिरूचि से परखा जा सकता हैं। किन्तु पूरा आंकलन करने हेतु उसके चरित्र एवं उसकी अभिप्रेरणा का स्तर भी ज्ञात किया जाना चाहिए। बैंकिंग कारोबार में मजबूत चरित्र वाले लोगो को कर्मचारी के रूप में चुनना चाहिए।

इसके साथ नतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा क्या सही हैं व क्या गलत इसकी समझ को संस्थागत मूल्यों के रूप में लोगो के मन में बिठाना अनिवार्य हैं जिससे लोग धोकाधड़ी एवं धांधली से दूर रहेंगे। बैंक जैसे संगठन में नैतिकता एवं ईमानदारी को सिर्फ कर्मचारियों तथा उनके मूल्यो तक सीमित रखकर नही देखा जा सकता मानव संसाधन जोखिम एक प्रबंधन है जरूरत इस बात की है कि यह मानव संसाधन जोखिम प्रबंधन और मजबूत बने एवं नियंत्रण प्रणालियों का कड़ाई से पालन हा। साथ ही विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट संदेश हो, की जानबूझ कर की गई चूकों एवं धोखा धड़ीयों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन अक्टूबर दिसम्बर 2015 अंक–1
शोध पत्रिका 2014–15 मनसौर
हितैशी पी.एन.बी. छःमासिक पत्रिका अक्टूबर 2014 मार्च 2015 इन्टरनेट

माध्यमिक स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक रूचि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन

मोहन सिंह पंवार, शोधार्थी
शिक्षा विभाग, श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
डॉ. सीमा पाण्डे, प्राध्यापक
शिक्षा विभाग, श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

प्रस्तुत शोध पत्र में माध्यमिक स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक रूचि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। न्यादर्श के रूप में 100 छात्राओं का चयन कर उन पर 'व्यावसायिक रूचि प्रपत्र' तथा 'पारिवारिक वातावरण मापनी' का प्रशासन किया गया तथा पारिवारिक वातावरण मापनी के प्राप्तांकों के आधार पर छात्राओं को उच्च तथा निम्न वर्गों में विभाजित करके छात्राओं की विभिन्न व्यावसायिक रूचि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया गया। प्राप्त परिणामों के अनुसार छात्राओं की व्यावसायिक रुचि के साहित्यिक, वाणिज्यिक, निर्माण संबंधी, कला, कृषि, सामाजिक क्षेत्रों पर पारिवारिक वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया जबकि वैज्ञानिक, प्रशासनिक, प्रभुत्वशाली, गृह संबंधी क्षेत्रों पर पारिवारिक वातावरण का सार्थक प्रभाव पाया गया।

वर्तमान समय में उदीयमान भारतीय समाज के बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के सार्वभौमीकरण की आवश्यकता को और आधिक बलवती बना दिया है। जन–जन तक शिक्षा पहुंचाने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक और व्यावसायिक प्रगति में सहायता देने के उद्देश्य से शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहु–उद्देश्यीय विद्यालयो का और शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का सुझाव देकर इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है। छात्रों को अपनी सार्मथ्य व रूचि के अनुसार उचित व्यवसाय का चुनाव करने के लिए उनको निर्देशन दिया जाना अनिवार्य है, क्योंकि निर्देशन छात्रों को वास्तविक शक्षिक और व्यावसायिक विषयों का चुनाव करने और योजनाओं को बनाने में सहायता देता है।

आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के दौर में शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या को उनके कौशल व रूचिनुसार प्रशिक्षण देना व रोजगार व्यवसाय के अवसर प्रदान करना एक चुनौतिपूर्ण कदम हो गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि + 2 स्तर सभी दृष्टियों से एक ऐसा उचित स्तर है, जहां व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत उद्योगों में कार्य करने की वास्तविक परिस्थितियों से भली भांति परिचित हो सकें। ऐसी स्थिति में शिक्षकों, माता–पिता, परामर्शदाताओं, शिक्षाविदों आदि का यह कर्त्तव्य बन जाता है, कि वह बालकों को उचित समय पर उचित मार्गदर्शन दें, जिससे उनका जीवन संवर सके और भावी जीवन में निष्कंटक मार्ग पर सफलता पूर्वक अग्रसर होते रहें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधार्थी ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की व्यावसायिक क्षेत्रों से सम्बन्धित रूचियों पर परिवार के वातावरण का प्रभाव ज्ञात करने का प्रयास, इस अध्ययन द्वारा किया है।

प्रस्तुत शोध से संबंधित पूर्व में भी कुछ शोध कार्य किये गये हैं जैसे – भारद्वाज, आर. एल. (1978) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर के किशोरों में व्यावसायिक रूचि भी उच्च स्तर की पाई गई। मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर पर मध्यम व्यावसायिक रूचि का विकास हुआ बुद्धि, उच्च सृजनातमकता स्तर पर व्यावसायिक रूप का विकास करतो है, मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर पर बुद्धि व्यावसायिक रूचि का विकास करती है।

साहेब, एस. जे. (1980) ने अपने अध्ययन में पाया कि छात्रों की शैक्षिक क्षेत्र में शैक्षिक योग्यता बेहतर थी, उनमें नेतृत्व, लेखन, विज्ञान योग्यता, एवं शारीरिक कार्य क्षमता भी प्रदर्शित हुई। छात्रों की व्यावसायिक रूचि एवं व्यावसायिक पसंद पर सामाजिक–आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं था।

मैरी, जॉन (1981) के अध्ययन के निष्कर्षतः ज्ञात हुआ कि मध्यम एवं उच्च आय समूह के किशोरों की तुलना में निम्न आय समूह एवं संस्थागत

किशोर भविष्य की दृष्टि से कम सोचते है। किशोरों की व्यावसायिक रूचि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उनके सामाजिक–आर्थिक स्तर के साथ पाया गया।

तोमर, (1985) के अध्ययन के निष्कषर्तः ज्ञात हुआ कि किशोरों की व्यावसायिक रूचि में उनकी समाजिक–आर्थिक स्थिति के आधर पर अंतर देखा गया। किशोरों की व्यावसायिक पसंद एव व्यावसायिक सम्मान में समानता पाई गई।

आफशान (1991) के अध्ययन के निष्कर्षतः ज्ञात हुआ कि शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के चारित्रिक विशेषताओं में उनके माता–पिता की शिक्षा या व्यवसाय के आधार पर कोई भिन्नता नहीं पाई गई। प्रतिभाशाली शहरी एवं ग्रमीण छात्राओं की व्यावसायिक रूचियां लगभग समान पाई गई है।

मोहपात्रा, मंजरी मंजुला (2004) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान तथा गणना के क्षेत्र में छात्राओं की रूचि छात्रों से सार्थक रूप से उच्च पाई गई, व्यापार के क्षेत्र में छात्र व छात्राओं की रूचि में सार्थक अंतर नहीं पाया गया जबकि कला के क्षेत्र में छात्रों की रूचि छात्राओं से सार्थक रूप से उच्च पाई गई।

त्रिवेदी, दिव्या (2009) ने अपने अध्ययन में पाया कि लड़के एवं लड़कियों की व्यावसायिक रूचियों में भिन्नता पाई जाती है। शिक्षित परिवार के लड़के–लड़कियों की व्यवसायिक रूचियां लगभग समान पाई गई। परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का व्यावसायिक रूचि पर कोई प्रभाव नहीं पाया गया।

व्यावसायिक रूचि पर किये गए विभिन्न शोध कार्यो के परिणाम यह प्रदर्शित कर रहे हैं, कि व्यावसायिक रुचि के निर्धारण में सामाजिक–आर्थिक स्तर, बच्चों की अपनी पसंद, माता–पिता की आकांक्षायें, बुद्धि, पारिवारिक वातावरण, व्यावसायिक आकांक्षा आदि चरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परन्तु व्यावसायिक रुचि के निर्धारण में पारिवारिक वातावरण की किस हद तक भूमिका होती है, इस विषय पर बहुत अधिक अनुसंधान कार्य नहीं हुए हैं, अतः शोधकर्ता ने इस विषय पर शोध करने का निश्चय किया और अपने शोधकार्य के लिए शोध समस्या के लिए निम्न विषय का चयन किया है – ''माध्यमिक स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक रुचि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन।''

उद्‌दश्य :–

माध्यमिक स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक रुचि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना :–

माध्यमिक स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक रुचि पर पारिवारिक वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

उपकरण :–

1. व्यावसायिक रूचि प्रपत्र – डॉ. एस. पी. कुलश्रेष्ठ
2. पारिवारिक वातावरण मापनी – डॉ. (श्रीमती) मीनू अग्रवाल

विधि :–

पस्तुत शोध कार्य हेतु भोपाल शहर के माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा दसवीं में अध्ययनरत् 100 छात्राओं का चयन यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा कर उन पर 'व्यावसायिक रूचि प्रपत्र' तथा 'पारिवारिक वातावरण मापनी' का प्रशासन किया गया तथा पारिवारिक वातावरण मापनी के प्राप्तांकों के आधार पर छात्राओं को उच्च तथा निम्न वर्गों में विभाजित करके छात्राओं की विभिन्न व्यावसायिक रूचि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु मास्टर शीट तैयार की गई। मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात परीक्षण के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

परिणामों का विश्लेषण :–

परिकल्पना : माध्यमिक स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक रुचि पर पारिवारिक वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

तालिका
माध्यमिक स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक रुचि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव संबंधी तुलनात्मक परिणाम

व्यावसायिक रुचि के क्षेत्र	पारिवारिक वातावरण	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	'पी' मान
साहित्यिक	उच्च	61	7.93	3.85	0.43	> 0.05
	निम्न	39	8.26	3.67		
वैज्ञानिक	उच्च	61	11.25	3.89	2.19	< 0.05
	निम्न	39	9.54	3.73		
प्रशासनिक	उच्च	61	12.38	4.09	2.65	< 0.01
	निम्न	39	10.21	3.95		
वाणिज्यिक	उच्च	61	8.05	3.69	0.25	> 0.05
	निम्न	39	7.87	3.54		
निर्माण संबंधी	उच्च	61	6.57	3.93	0.71	> 0.05
	निम्न	39	7.15	4.07		
कला	उच्च	61	10.08	4.02	0.54	> 0.05
	निम्न	39	9.64	3.97		
कृषि	उच्च	61	8.71	3.87	1.05	> 0.05
	निम्न	39	7.85	4.03		
प्रभुत्वशाली	उच्च	61	11.54	3.76	2.88	< 0.01
	निम्न	39	9.21	4.09		
सामाजिक	उच्च	61	9.69	3.81	1.11	> 0.05
	निम्न	39	8.77	4.13		
गृह संबंधी	उच्च	61	6.21	3.77	2.30	< 0.05
	निम्न	39	8.03	3.95		

स्वतंत्रता के अंश – 98

0.05 स्तर के लिये निधार्रित न्यूनतम मान – 1.98
0.01 स्तर के लिये निधार्रित न्यूनतम मान – 2.63

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर की उच्च एवं निम्न पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं के मध्य व्यावसायिक रुचि के साहित्यिक, वाणिज्यिक, निर्माण संबंधी, कला, कृषि, सामाजिक क्षेत्रों में सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अंतर नहीं है, क्यांकि इनके लिए प्राप्त क्रांतिक अनुपात के मान क्रमशः 0.43, 0.25, 0.71, 0.54, 1.05, 1.11 स्वतंत्रता के अंश 98 पर सार्थकता के 0.05 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 1.98 से कम हैं जबकि वैज्ञानिक, प्रशासनिक, प्रभुत्वशाली, गृह संबंधी क्षेत्रों में सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अंतर है, क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए प्राप्त क्रांतिक अनुपात के मान क्रमशः 2.19, 2.65, 2.88, 2.30 स्वतंत्रता के अंश 98 पर सार्थकता के 0.05, 0.01 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 1.98, 2.63 से अधिक हैं।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है माध्यमिक स्तर की उच्च एवं निम्न पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं के मध्य व्यावसायिक रुचि के साहित्यिक, वाणिज्यिक, निर्माण संबंधी, कला, कृषि, सामाजिक क्षेत्रों में सार्थक अंतर नहीं पाया गया जबकि वैज्ञानिक, प्रशासनिक, प्रभुत्वशाली, गृह संबंधी क्षेत्रों में सार्थक अंतर पाया गया तथा उच्च पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं में वैज्ञानिक, प्रशासनिक, प्रभुत्वशाली क्षेत्रों में रुचि निम्न पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं की तुलना में बेहतर पाई गई परंतु निम्न पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं में गृह संबंधी क्षेत्र में रुचि उच्च पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं की

तुलना में बेहतर पाई गई, अर्थात् व्यावसायिक रुचि के साहित्यिक, वाणिज्यिक, निर्माण संबंधी, कला, कृषि, सामाजिक क्षेत्रों पर पारिवारिक वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया जबकि वैज्ञानिक, प्रशासनिक, प्रभुत्वशाली, गृह संबंधी क्षेत्रों पर पारिवारिक वातावरण का सार्थक प्रभाव पाया गया।

निष्कर्ष :–

माध्यमिक स्तर की उच्च एवं निम्न पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं के मध्य व्यावसायिक रुचि के साहित्यिक, वाणिज्यिक, निर्माण संबंधी, कला, कृषि, सामाजिक क्षेत्रों में सार्थक अंतर नहीं पाया गया जबकि वैज्ञानिक, प्रशासनिक, प्रभुत्वशाली, गृह संबंधी क्षेत्रों में सार्थक अंतर पाया गया तथा उच्च पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं में वैज्ञानिक, प्रशासनिक, प्रभुत्वशाली क्षेत्रों में रुचि निम्न पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं की तुलना में बेहतर पाई गई परंतु निम्न पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं में गृह संबंधी क्षेत्र में रुचि उच्च पारिवारिक वातावरण वाली छात्राओं की तुलना में बेहतर पाई गई, अर्थात् व्यावसायिक रुचि के साहित्यिक, वाणिज्यिक, निर्माण संबंधी, कला, कृषि, सामाजिक क्षेत्रों पर पारिवारिक वातावरण का सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया जबकि वैज्ञानिक, प्रशासनिक, प्रभुत्वशाली, गृह संबंधी क्षेत्रों पर पारिवारिक वातावरण का सार्थक प्रभाव पाया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भटनागर, आशा एवं गुप्ता, निर्मला (1999) : गाइडेंस एण्ड काउंसलिंग – ए थ्योरिटिकल प्रसपैक्टिव, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
2. भटनागर, सुरेश (2007) : शिक्षा मनोविज्ञान, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ
3. भटनागर, आर.पी. (2001) : गाइडेन्स एण्ड काउंसलिंग इन एजुकेशन एण्ड साइकोलॉजी, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ
4. गुप्ता, एस. पी. (2005) : सांख्यिकीय विधियां, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
5. गनावा, निवेदिता (2006) ''पारिवारिक वातावरण का किशोरों की शैक्षणिक योग्यता एवं व्यवसाय रूचि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन'', अप्रकाशित शोध प्रबंध, गृह विज्ञान संकाय, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
6. **Aggarwal, Dr. Meenu (2003)** : Manual of Home Environment Scale, Lal Bahadur Shastri Teacher Training Colleage, Jaipur
7. **Afshan (1991)** "Gifted rural and urban girls : Their vocational interest and creativity", M.Phil ., Edu. Univ. of Kashmir , Vth Survey of research in education, 1988-1992 , Vol -2, pg. 1339.
8. **Bhardwaj, R.L. (1978)** "Vocational interests as functions of creativity components, intelliguce and socio-economic status among college going students", Ph. D., Psy. Agra Univ., IV the survey of research in edu. Vol. –I ,1983-88 Pg.-342-344,S.No. 355
9. **Kulshrestha, S. P. (1965)** : Manual of Vocational Intrest Record, National Psychological Corporation, Agra
10. **Mary, John (1981)** "Futuro pesspeetive, self concept, and vocational interest of adolescent" Ph.D. Psy, Madras U. , IV th survey of research in Edu. , Vol – 2 , 1983 - 88 ,Pg No. 535 , S.No. 597 .
11. **Mohapatra, Manjula Manjari (2004)** **"**Prediction of vacational interests of +2 students in relation to their values, Occupational Aspiration level and academic achievements", Asian journal of psychology and education, vol. 37, No.1-2, Pg. No. 22-24
12. **Saheb, S.J. (1980)** "A study of academic & non academic abilities in relation to the vocational interest of the entrants to the + 2 stage of schools in family nadu", Ph.D. Edu. , MKU.IV survey of research in education, vol-II 1983-88, Pg No. 1292-1293.
13. **Tomar, J.P.S. (1985)** "A study of occupational interest trends of adolescents and their relation with prevaleut job trends of employment in eastern uttar Pradesh", Ph.D. Edu. Avadh Univ. IV th Survey of research in education, Vol.I, 1983.

आधुनिक औद्योगिक वैश्वीकरण

पंकज नेमा, शोधार्थी
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

प्रस्तावना : आधुनिक औद्योगिक कान्ति के पूर्व राष्टीय अर्थव्यवस्था मे लघु एवं कुटीर उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, किन्तु राजनैतिक परिवर्तन के फलस्वरुप भारत के शासन की बागडोर विदेशियों के हाथ मे आ गई जिससे विदेशियों के शासनकाल से भारतीय उद्योगों का पतन प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास के लिये विभिन्न नीतियां बनाई गई परंतु औद्योगिक पटल पर केन्द्रीकरण विकास के लिये विभिन्न नीतियां बनाई गई परंतु औद्योगिक पटल पर केन्द्रीकरण विकास की धीमी गति औद्योगिक रुग्णता आदि अनेक विषमताएं बनी रही जिसकर स्पष्ट प्रभाव प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास पर भी पड़ा है। अतः उक्त विषमताओं के समाधान के लिये राज्य मे एक ऐसे अभिकरण की आवश्यकता महसूस की गई जो विकेन्द्रीकरण औद्योगिक विकास के साथ औद्योगीकरण को भी गति प्रदान करते हुये सामाजिक विकास मे अपना योगदान प्रदान कर सके।

समीक्षा एवं अनुसरण

योजना के कियान्वयन की सतत समीक्षा तथा हितग्राहियों के सफल स्थापित होने की प्रकिया मे अनुसरण का दायित्व निम्न पर होगा :–

1. अभिभावक
2. प्रशिक्षण देने वाली संस्था
3. जिला स्तरीय चयन समिति
4. राज्य स्तरीय समीक्षा समिति – या समिति प्रत्येक तीन माह मे कियान्वय की समीक्षा करेगी।

प्राथमिकता :

1. आईटीआई / डिप्लोमा / इंजीनियरिंग अथवा अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं से प्रशिक्षित आवेदक।
2. उद्यमिता विकास कार्यकम मे कार्यकम मे प्रशिंक्षण प्राप्त आवेदक
3. महिला आवेदनकर्ता
4. आवेदक द्वारा औद्योगिक गतिविधियों की स्थापना
5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो की सूचि मे अंकित हितग्राही

पात्र गतिविधियां :

उद्योग सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित समस्त उद्यम गतिविि़धयों। उद्योग एवं सेवा के अंर्तगत वे गतिविधियां मान्य होगी जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पंजीकृत मान्य की गई हो।

आवेदन प्रक्रिया :

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र मे जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र निःशुल्क होगा।

तकनीकी अथवा व्यवहारिक प्रशिक्षण : यदि हितग्राही किसी राष्टीय अथवा राज्य स्तरीय संस्था से उद्योग अथवा सेवा संबंधी गतिविधियो के संबंध मे व्यवहारिक अथवा तकनीक प्रशिक्षण लेना चाहता हो तो उसे संबंधित प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जा सकेगा। इस स्थिति मे योजनांतर्गत 10.–15 दिवस के उक्त प्रशिक्षण संस्था का अनुमोदन उद्योग आयुक्त से कराना होगा।

तकनीकी प्रशिक्षण कुशलता के लिये स्थानीय रुप से जिले मे स्थित औद्योगिक इकाइयों मे भी व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। संबंधित इकाइ संस्था का अनुमोदन जिला स्तरीय बैंकर्स समिति से होना आवश्यक नही होगा।

बजट प्रावधान :

योजनान्तर्गत प्रावधान मे से न्यूनतम 90 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी हैतु उपयोग की जावेगी शेष राशि अधिकतम 10 प्रतिशत मे से योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरुकता शिविर संगोष्टि एवं आकस्मिक व्यय आदि मे उपयोग की जा सकेगी।

विभिन्न शासकीय योजनाओ क कियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन :

जबलपुर संभाग के सभी जिलो में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रो द्वारा कियान्वित योजनाओं का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण निम्न तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है –

तालिका

जबलपुर संभाग मे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम का जिलेवार तुलनात्मक अध्ययन

जिले का नाम	भौतिक लक्ष्य	वास्तविक पूर्ति	प्रतिशत	मार्जिन मनी के आवंटन का लक्ष्य	वास्तविक आवंटन	प्रतिशत
जबलपुर	302	172	57	399.95	444.32	111
कटनी	175	168	96	210.85	185.62	88
सिवनी	119	83	70	298.80	251.11	84
नरसिंहपुर	187	149	80	271.70	219.39	81
मण्डला	115	60	52	168.45	121.99	73
छिन्दवाड़ा	138	138	100	175.87	837.91	476
बालाघाट	105	83	79	179.60	149.99	84
डिण्डोरी	148	76	52	185.93	111.49	60
योग	1289	929	72	1891.15	2321.82	122.77

स्त्रोत : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संभाग जबलपुर

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008 2009 मे शुरु की गई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम के अनतर्गत वर्ष 2008 से 2012 तक की अवधि मे सबसे कम भोकि लक्ष्य बालाघाट जिले के लिये केवल 105 इकाइयां निर्धारित किये गये। जबलपुर जिले मे इस योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी के आवंटन का सवाधिक लक्ष्य 399.95 लाख रुपये निर्धारित किया गयाा। जबकि सबसे कम लक्ष्य मण्डला जिले मे 168.45 लाख रु. था। इसके अतिरिक्त सिवनी 298.80 लाख नरसिंहपुर 271.70 लाख कटनी 210.85 लाख डिण्डोरी 185.93 लाख बालाघाट 179.60 लाख छिन्दवाड़ा 175.87 लाख रुपये मार्जिन मनी के आवंटन के रुप मे लक्ष्य निर्धारित किया गया। जबकि वास्तविक रुप से मार्जिन मनी का सर्वाधिक रुप मे आवंटन हुआ छिंदवाड़ा जिले मे 837.91 लाख रुपये किया गया जो निर्धारित लक्ष्य का 476 प्रतिशत था। मार्जिन मनी का सबसे कम कम आवंटन 111.79 लाख रुपये किया गया जो निर्धारित लक्ष्य का 60 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त जबलपुर जिले मे 444.32 लाख रुपये निधारित लक्ष्य का 111 प्रतिशत सिवनी 251.11 लाख रुपये निधारित लक्ष्य का 84 प्रतिशत नरसिंहपुर 219.39 लाख रुपये निधारित लक्ष्य का 81 प्रतिशत कटनी 185.62 लाख रुपये निधारित लक्ष्य का 88 प्रतिशत बालाघाट 149.99 लाख रुपये निधारित लक्ष्य का 84 प्रतिशत तथा मण्डला 121.99 लाख रुपये निधारित लक्ष्य का 73 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2001 से 2012 तक की अवधि मे जबलपुर संभाग हैतु कुल 1289 इकाइयां का भोतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया हे। जबकि वास्तविक लक्ष्य पूर्ति 929 इकाइयां को हुई जो निर्धारित लक्ष्यों की 72 प्रतिशत थी। इसी प्रकार मार्जिन मनी के आवंटन का लक्ष्य 1892.15 लाख रुपये था जबकि वास्तविक मार्जिन का आंवटन 2321.82 लाख रुपये हुआ जो निर्धारित लक्ष्य का 122.77 प्रतिशत था। जो इस बात का सूचक है कि इस योजना के अंतर्गत जबलपुर संभाग मे उद्योगो की पर्याप्त स्थापना हुई है।

जबलपुर जिला मे 328.59 लाख रुपये था। इसके अतिरिक्त छिन्दवाड़ा जिले मे 320.12 लाख सिवनी 204.22 लाख रु. नरसिंहपुर 202.19 लाख रु. डिण्डोरी 187.91 लाख रु. मंडला 91.26 लाख रु. एवं सबसे कम मार्जिन मनी आवंटन के लक्ष्य बालाघाट जिले मे 84.72 लाख रु. निर्धारित किया गया था। मार्जिन मनी के आवंटन का लक्ष्य 204.22 लाख रु. था। ओर वास्तविक पूर्ति 203.37 लाख रु. था। जो कुल लक्ष्य का 99 प्रतिशत था। इनके अतिरिक्त छिन्दवाड़ा जिले मे 313.60 लाख

रु. लक्ष्य का 98 प्रतिशत जबलपुर जिले मे 291.74 लाख रु. लक्ष्य का 89 प्रतिशत नरसिंहपुर 194.64 लाख रु. लक्ष्य का 96 प्रतिशत डिण्डोरी मे 182. 07 लाख रु. लक्ष्य का 97 प्रतिशत बालाघाट 60. 65 लाख रु. लक्ष्य का 72 प्रतिशत तथा सबसे कम आवंटन मण्डला जिले को 50.45 लाख रु. लक्ष्य का 55 प्रतिशत वास्तविक आवंटन हुआ।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2001 से 2012 की अवधि मे जबलपुर संभाग मे कुल 5077 इकाईयों का भोतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक रुप लक्ष्य पूर्ति 3229 इकाइयों की हुई जो कुल निर्धारित लक्ष्यों की 64 प्रतिशत थी। इसी प्रकार मार्जिन मनी के आवंटन का कुल लक्ष्य 1749.82 लाख रु. निधारित किया गया जबकि वास्तविक रुप से 1620.44 लाख रु. का मार्जिन मनी का आवंटन हुआ जो निर्धारित लक्ष्य का 93 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट है कि यह योजना संभाग मे उद्यमिता विकास मे अन्य योजनाओं की तुलना मे अधिक सफल नही हो पाई जो केवल योजना के कियान्वयन की ओपचारिकता को प्रदर्शित करता है।

ग्रामोद्योग विभाग के साथ समन्वय

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा ग्रामोद्योग विभाग दोनो ही लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास का कार्य करते है दोनो विभागों को पृथक रखकर अलग अलग अधिकार दिये गये है। इसके कारण वांछित परिणाम प्राप्त नही होते है। इन दोनो विभागों को संयुक्त रुप से कार्य करने की की स्वीकृति एवं अनुमति दी जानी चाहिये।

अनुदानों का दुरुपयोग रोकना जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के द्वारा कियान्वयन योजनाओं मे हितग्राहियों को वित्तीय अनुदान ब्याज अनुदान आदि प्राप्त होता है परंतु अधिकांश उद्योग कुद समय के पश्चात बंद हो जाते है या उत्पादन कार्य शिथिल कर देते है। अतः अनुदानो का दुरुपयोग रोकने हुतु केन्द्र के अधिकारियों को प्रेरित करना चाहिये। क्षेत्रीय अधिकारी को अनुशासन कार्यवाही करने के अधिकार दिये जाना चाहिये।

व्यवसायिक शिक्षा का पाठयकम :

वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली म और अधिक सुधार करना चाहिये। उद्योगो की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरुप तकनीक व प्रबंधकीय मानव संसाधन तैयार करने हैतु व्यसायिक शिक्षा को पाठयकम मे शामिल किया जाना चाहिये। ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय ही यवाओं को उद्यमिता की ओर अग्रसर किया जा सके।

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन के प्रभाव का अध्ययन

संगीता गलफट शोधार्थी
शिक्षा संकाय, आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल
डॉ. आशीष बाजपेयी प्राध्यापक
वेदिका कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रस्तुत शोध पत्र में माध्यमिक स्तर के कक्षा 10 वीं के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन के प्रभाव अध्ययन किया गया है। न्यादर्श के रूप में 200 विद्यार्थियों (100 छात्र एवं 100 छात्राएं) का चयन कर उन पर समायोजन मापनी का प्रशासन किया गया तथा शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का उपयोग किया गया। प्राप्त परिणामों के अनुसार छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन का सार्थक प्रभाव पाया गया।

मानवजाती के समग्र विकास में शिक्षा की सर्वप्रमुख भूमिका है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे मानव का सृजन करना है जो बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण हो। आज सम्पूर्ण विश्व यह स्वीकार करता है कि हमारे भविष्य को आकार देने में शिक्षा की सर्वप्रमुख भूमिका है, शिक्षा शिशु के जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त चलती रहती है। प्रत्येक बालक सीखने का जन्मजात गुण रखता है, साथ ही उसमें वातावरण के साथ समायोजन की भी नैसार्गिक प्रकृति भी पाई जाती है, वातावरण में उपस्थित विभिन्न कारकों के प्रभाव से बालक के व्यक्तित्व का निमाण व उसके भावी जीवन की दिशा निर्धारित होती है। व्यक्ति तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति नए व्यवहार सीखता है। अनुभव के आधार पर इन व्यवहारों में स्थाई परिवर्तक होते हैं, यही स्थाई परिवर्तक सीखना या अधिगम कहलाता है।

किसी विद्यार्थी ने एक पूरे सत्र में किसी विषय विशेष में कितना ज्ञान प्राप्त किया यही उसकी शैक्षिक उपलब्धी कहलाती है। शैक्षिक उपलब्धि, वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसे उपलब्धी अंक कहते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में शैक्षणिक उपलब्धि सबसे अधिक महत्व रखती है। अतः परिवार में माता–पिता एवं अन्य सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने पाल्यों के बेहतर समायोजन में मदद् करें क्योंकि यदि उसका समायोजन परिवार में बेहतर होगा साथ ही विद्यालय, समाज, स्वास्थ्य, मित्र समूह आदि में उसका समायोजन बेहतर होगा तो निश्चित ही उसकी शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होगी। यही कारण है कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के निर्धारण में समायोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन के प्रभाव का अध्ययन बहुत ही सामयिक प्रतीत हो रहा है।

प्रस्तुत शोध से संबंधित पूर्व में भी कुछ शोध कार्य किये गये हैं जैसे – रेड्डी, रमन्ना (1974) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि शैक्षणिक समायोजन तथा शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सार्थक सहसंबंध पाया गया। रामचन्द्रन, आर. (1990) ने अपने अध्ययन में पाया कि शैक्षणिक उपलब्धि तथा समायोजन के मध्य निम्न धनात्मक सह संबंध पाया गया। मुखोपाध्याय, स्वप्न (1991) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि विद्यालय के प्रति अभिवृत्ति तथा रूचि, आत्मप्रत्यय, समायोजन, शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सार्थक संबंध पाया गया। पाण्डेय, श्रीनिवास एवं पाण्डेय, राजेश कुमार (2009) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि किशोरों, किशोरियों एवं विद्यार्थियों के समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य परिमित धनात्मक सहसंबंध पाया गया। साठे, वी.यू. एवं अंसारी, एफ. (2012) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि शहरी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि एवं समायोजन के विभिन्न घटकों गृह तथा परिवार, सामाजिक, व्यकितगत तथा संवेगात्मक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य के मध्य सार्थक सह संबंध पाया गया। ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धी एवं समायोजन के गृह तथा परिवार, व्यक्तिगत तथा संवेगात्मक, शैक्षिक, के मध्य सार्थक सहसंबंध पाया गया। बाजपेयी, आशीष; शर्मा, प्रज्ञा एवं पाठक, स्वाति (2013) ने अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि माध्यमिक

स्तर के उच्च एवं निम्न समायोजन वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया गया तथा उच्च समायोजन वाले छात्र छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, निम्न समायोजन वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की तुलना में उच्च पाई गयी, अर्थात शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन का सार्थक प्रभाव पाया गया।

उद्देश्य :–

1. माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन स्तर के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के उच्च/निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र व छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि में अंतर का अध्ययन करना।

परिकल्पना :–

1. माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन स्तर का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।
2. माध्यमिक स्तर के उच्च/निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र व छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

उपकरण :–

1. हाईस्कूल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री : ए.के.सिंह व अल्पनासेन गुप्ता
2. शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए सत्र 2015–16 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का उपयोग किया गया।

विधि :–

सर्वप्रथम बैतूल जिले में स्थित समस्त माध्यमिक विद्यालयों में से चार विद्यालयों का चयन किया गया तथा इन विद्यालयों की कक्षा दसवीं में अध्ययनरत् 200 विद्यार्थियों (100 छात्र एवं 100 छात्राऐं) का चयन साधारण यादृच्छिक विधि द्वारा कर उन पर 'समायोजन मापनी' का प्रशासन किया गया एवं सत्र 2015–16 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का उपयोग शैक्षणिक उपलब्धि के मापन के लिए किया गया। समायोजन मापनी के आधार पर विद्यार्थियों को उच्च एवं निम्न समायोजन स्तर समूह में विभाजित किया गया। प्राप्तांकों के आधार पर मास्टर शीट तैयार कर क्रांतिक अनुपात परीक्षण के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये।

परिणामों का विश्लेषण :–

परिकल्पना – 1 : माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन स्तर का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक – 01

माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन स्तर के प्रभाव संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समूह	समायोजन स्तर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	'पी' मान
छात्र	उच्च	59	370.15	61.78	3.98	ढ 0.01
	निम्न	41	322.83	56.17		
छात्रा	उच्च	63	381.67	68.29	3.82	ढ 0.01
	निम्न	37	330.05	63.45		
विद्यार्थी	उच्च	122	375.91	65.34	5.48	ढ 0.01
	निम्न	78	326.44	60.21		

स्वतंत्रता के अंश – 98, 198 0.01 स्तर के लिये निधार्रित न्यूनतम मान – 2.63, 2.60

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के उच्च एवं निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अंतर है, क्योंकि तीनों समूहों के लिए प्राप्त क्रांतिक अनुपात के मान क्रमशः 3.98, 3. 82, 5.48 स्वतंत्रता के अंश 98, 198 पर सार्थकता के 0.01 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 2.63, 2..60 की अपेक्षाकृत अधिक हैं।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के उच्च एवं निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया गया तथा उच्च समायोजन स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों में, निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि पाई गयी, अर्थात् माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन स्तर का सार्थक प्रभाव पाया गया।

अतः उपरोक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ली गई परिकल्पना ''माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन स्तर का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा'' अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना – 2 : माध्यमिक स्तर के उच्च/निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र व छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

सारणी क्रमांक – 02

माध्यमिक स्तर के उच्च/निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र व छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समायोजन स्तर	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	'पी' मान
उच्च	छात्र	59	370.15	61.78	0.98	झ 0.05
	छात्राएं	63	381.67	68.29		
निम्न	छात्र	41	322.83	56.17	0.53	झ 0.05
	छात्राएं	37	330.05	63.45		

स्वतंत्रता के अंश – 120, 76 0.05 स्तर के लिये निधार्रित न्यूनतम मान – 1.98, 1.99

उपरोक्त सारणी मं प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के उच्च/निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र व छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि में सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों समूहों के लिए प्राप्त क्रांतिक अनुपात के मान क्रमशः 0.98, 0.53 स्वतंत्रता के अंश 120, 76 पर सार्थकता के 0.05 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 1.98, 1.99 की अपेक्षाकृत कम हैं।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के उच्च/निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र व छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ली गई परिकल्पना ''माध्यमिक स्तर के उच्च/निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र व छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा'' स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष :–

1. माध्यमिक स्तर के उच्च एवं निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया गया तथा उच्च समायोजन स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों में, निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि पाई गयी, अर्थात् माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्रा/विद्यार्थियों

की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन स्तर का सार्थक प्रभाव पाया गया।

2. माध्यमिक स्तर के उच्च/निम्न समायोजन स्तर वाले छात्र व छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. वालिया, जे.एस. (2005) : शिक्षा मनोविज्ञान की बुनियादें, पाल पब्लिशर्स, जालंधर
2. Hurlock, Elizabeth B. (1983) : **Personality Development,** Tata McGraw Hill Publishing Company Ltd., New Delhi, Latest Edition, Pg. No. 225
3. Mangal, S.K. (2006) : **Advanced Educational Psychology,** Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi, Second Edition.
4. Sharma, Dr. R. A. (1993) : **Fundamentals of Educational Research,** Loyal Book Depot, Merrut, New Revised Edition
5. **बाजपेयी, आशीष; शर्मा, प्रज्ञा एवं पाठक, स्वाति (2013)** ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर समायोजन के प्रभाव का अध्ययन'', JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH (JMER), (प्रतिध्वनि), Vol. I, Issue-I, Jan. 2015, Pg. No. 48-51.
6. **पाण्डेय, श्रीनिवास एवं पाण्डेय, राजेश कुमार (2009)** ''जवाहर नवोदय विद्यालय में किशोरावस्था के समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन'', इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन अन्वेशिका अंक 6, नबम्बर – दिसम्बर 2009, पेज नं. 133–141
7. **Mukhopadhaya, Swapan (1991)** **''**A study of attitude towards school in relation to interest patter, self-concept, adjustment and scholastic achievement**''**, *Ph.D., Edu. Univ. of kalyani. In Fifth Survey of Research in Education, Vol. II, Pg. No. 1889*
8. **Ramachandran, R. (1990)** **''**A study on the relationship between performance and other psychological variables – reasoning, anxiety and adjustment**'',** *M.Phil., Edu. Annamalai Univ. In Fifth Survey of Research in Education, Vol. II, Pg. No. 1902-03*
9. **Reddy, Ramana I.V. (1992)** **''**Academic adjustment in relation to scholastic achievement ofsecondary school pupils: A longitudinal study**'',** *Ph.D., Psy. Sri Venkateswara Univ. In Fifth Survey of Research in Education, Vol. II, Pg. No. 1907-08*
10. **Sathe, V.U. and Anjsari, F. (2012)** "Study of academic achievement and selected adjustment factors of rural adolescent students in pune district", *Asian journal of psychology and education, vol45, No. 7-8 , year 2012, Page no. 23-32.*

पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण

डॉ. पूर्णिमा शर्मा (निर्देशिका)

नंदकिशोर निकोसे (शोधार्थी)

राजनीति विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

पंचायत राज व्यवस्था :– लोकतंत्र का सही मतलब है लोगों का लोगों के लिये किया जाने वाला शासन। सही मायने में ग्रामसभा में बैठा व्यक्ति जब अपने एवं क्षेत्र के विकास की बात को सर्वसम्मति से लागू करता है तभी लोकतंत्र की अवधारणा लागू होती है।

''राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच यही थो कि देश की सबसे छोटी से छोटी इकाई ग्राम और उसके द्वारा शासन करने के लिये पंचायती राज आवश्यक है ताकि देश में स्वराज के साथ–साथ सउराज आ सके। इसी को ध्यान में रख देश की संसद ने संविधान में 73 वां संशोधन कर ग्रामों में स्थानीय स्तर पर स्वशासन की लोकतांत्रिक इकाईयों का गठन पंचायती राज व्यवस्था के रूप में किया। ''[1]

अब आवश्यकता इस बात की है कि पंचायती राज व्यवस्था को संचालित करने वाले प्रतिनिधियों को इतना मजबूत कर दिया जावें कि ये व्यवस्थित होकर ग्रामों का विकास कर सकें यानी उनकी क्षमताओं में वृद्धि आवश्यक है ताकि ग्राम विकास की योजनाएं तथा बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी ग्राम निर्माण विकास योजनाएं या सामाजिक विकास की योजनाओं को वें पूर्ण सक्षमता से लागू कर सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना कर सकं।

पंचायत व्यवस्था से पहले :

जिले से नीचे तहसील और राजस्व ग्राम जैसी इकाइयां तो बनी, लेकिन गांवों को प्रशासन की अंतिम इकाई नहीं माना गया। अतः तहसील से नीचे प्रशासन की अंतिम इकाई तय न होने से काफी दिक्कतें आई अतः विकास के प्रकाशन को पुनःपरिभाषित करने के लिये 1950 के दशक में एक समिति गठित हुई और उसके सुझाव पर विकासखण्डों की स्थापना हुई तथा देश में तीन स्तरों पर पंचायतों की स्थापना हुई। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिला और नीचे के स्तर पर शासन व्यवस्था में लोग कभी शामिल नहीं रहे। जिससे :–

1. अधिकांश गांवो तक स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा नहीं पहुंची।
2. पीने का पानी गांवों में समस्या बनी हुई है।
3. बेरोजगारी, गरीबी अभी भी सबसे बड़ी समस्या बनी है।

इसके अनुरूप वर्ष 1993 में देश की संसद ने संविधान के 73 वां संशोधन करके गांवो में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों की स्थापना का रास्ता साफ किया।'' मध्यप्रदेश ने भी उसी के अनुसार पंचायत राज अधिनियम 1993 बनाकर, पंचायत राज की स्थापना सबसे पहले की। इसके चुनाव निष्पक्ष रूप से कराये जाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना भी राज्य में की गई है।''[2]

कानून का राज और संविधान :

हमारे देश में कानून सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। इसीलिये हम कहते है कि हमारे यहां कानून का शासन है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिस पर कानून की मनाही हो। या संविधान में लिखित बातों का उल्लंघन हो। देश में स्वतंत्रता पश्चात् समाज के हर एक व्यक्ति को इसका पालन करना जरूरी है। संविधान के अनुसार विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों का निर्माण किया गया।

कानून क्या है :

कानून का मतलब है नियम की व्यवस्था। हमें हर काम करने के लिये किसी न किसी नियम की जरूरत होती है। अपने घर में भी हमारे लिये कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है जिससे परिवार का हर सदस्य सुखी रहे जैसे खाना खाने के लिये समय और स्थान तय रहते है, चीजें एक खास तरीके से रखी जाती है। यदि हर आदमी नियमों को मानता है तो घर का काम सुचारू रूप

से चलता है। जब हम खेलते है तब भी कुछ नियमों का पालन करते है। ताकि हर खेलने वाले को मालूम हो कि उसे क्या करना चाहिये। नियमो की व्यवस्था जो संविधान द्वारा जनता के लिये उनके हित में, सुरक्षा में, विकास में लागू की जाती है,यह आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों पर क्रियाशील होती है। संविधान द्वारा देशहित में विभिन्न राजनैतिक नियम बनाए जाते है जैसे राजनैतिक पार्टियों का निर्माण एवं संचालन, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एवं उनका गठन। उसी प्रकार सामाजिक नियम में न्याय, अधिकार, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर और आर्थिक गतिविधियों में फौजदारी, संपत्ति, कर, राजस्व आदि।

संविधान क्या है :

संविधान देश का बुनियादी कानून है। जो 26 जनवरी 1950 से लागू है। यह एक किताब के रूप में लिखित है। इसमें उन सभी मूलभूत सिंद्धातों, संस्थागत ढ़ांचे का निर्माण, प्रक्रिया, अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार व नागरिक नियमों का जिक्र है जिनके अनुसार ही देश का काम–काज चलाया जाता है। संविधान में कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत भी लिखे गये है जिनका पालन हर सरकार को कानून बनाते वक्त करना पड़ता है।

73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन और मनरेगा के चलते आज पंचायतें भारतीय लोकतंत्र के एक नए चेहरे का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिनमें साधारण पुरूष एवं महिला प्रतिनिधि असाधारण कार्यो को अंजाम दे रहे है। कई कठिनाईयों के बावजूद वे भारत की जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के समावेशन और सशक्तिकरण की एक आशाजनक तस्वीर पेश कर रहा है। करोड़ो आकांक्षाओं वाले इस देश में ये स्थानोय महिला–पुरूष प्रतिनिधि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में सकारात्मक तब्दीली ला रहे हैं। आजादी के वक्त भी महात्मा गांधी ने यही बात कही थी। उन्होंने ग्राम स्वराज की चर्चा करते हुये कहा था कि असली स्वराज तो ग्राम स्वराज है। ग्राम स्वराज्य के जरिए राजशक्ति और शासनतंत्र को जोड़ा जाना चाहिए। गांधी जी ने यह बात वर्षो पहले कही थी, लेकिन उसे नीति निर्धारकों ने देर से ही सही पर महसूस किया और आज विकास के हर कदम में पंचायत अपनी भूमिका निभा रही है। माना जाता है कि जब धरती पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई और समूह बने होंगे तो इन समूहों का मुखिया भी किसी न किसी को चुना गया होगा। लोगों के बीच प्रेम के साथ ही असहयोग एवं बेईमानी ने भी स्थान बनाया होगा। फिर संघर्ष की नौबत आई होगी और इस संघर्ष से निपटने एवं ऐसी समस्या के समाधान के लिये ही मुखिया का अस्तित्व बढ़ा होगा। चूंकि प्रथम दृष्टया पंचायत का मतलब था कि पांच लोगों की ऐसी कमेटी जो दोनों पक्षों की समस्याओं का बिना किसी पक्षपात के निस्तारण कर सके। समय के साथ उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो पंचायत का जिक ऋग्वेद में भी मिलता है। माना जाता है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ शब्द ग्रामणी ही पंच है। रामायण में गणराज्य एवं संघों का जिक मिलता है। रामायणकाल की राज्यसभा में जो अंग सर्वाधिक शक्तिशाली होता था, उसे पैर कहते थे। इस काल में पंचायतें ग्रामीण जीवन के संरक्षण क साथ ही राज्यसभा तक हस्तक्षेप करती थी। इसी तरह महाभारत काल में भी सभा पर्व का जिक्र मिलता है। एक जगह देवर्षि नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या आपके गांव के पंच लोग कर वसूलने में राजा का सहयोग कर रहे है।

''महात्मा गांधी इस बात से वाकिफ थे कि आजादी को लड़ाई के लिए लोगों को स्थानीय स्तर पर संगठित करना होगा। उनके बीच से ही लोगों को नेतृत्व प्रदान करना होगा। इसलिए गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य और पंचायती राज की बात की थी। आजादी के बाद भी जयप्रकाश नारायण ने तीन बातों पर जोर दिया। वह थीं – पंचायतो राज को संवैधानिक मान्यता एवं चुनाव सुनिश्चित कराए जाएं। पंचायतों को वित्तीय अधिकार मिले। पंचायतें विकास का एजेंट न बनकर स्थानीय स्वशासन की इकाई बनें।''[3]

हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ख) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार कुछ प्रदेश सरकारों ने अपने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पंचायतो का गठन किया। वर्ष 2002 के आंकड़े के मुताबिक भारत में दो लाख 65 हजार ग्राम पंचायतें है। यही पचायतें पंचायतीराज व्यवस्था की नींव है। चूंकि ग्रामसभा को पंचायती राज व्यवस्था की आधार शिला माना जाता है इसलिये सबसे अधिक जोर ग्राम पंचायत पर दिया गया।

''भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लक्ष्य से ग्रामीण विकास की अवधारणा का उदय, कृषि विकास के संदर्भ में

अस्तित्व में आया और एक लंबे समय तक भारत में कृषि विकास को ही ग्रामीण विकास का पर्याय समझा गया।''[4] 1970 के बाद ग्रामीण विकास की अवधारणा में मूलभूत परिवर्तन हुआ और इसका क्षेत्र समवर्ती योजनाओं में अधिक विस्तृत कर दिया गया। विश्व बैंक के अनुसार – ग्रामीण विकास क्षेत्र एक ऐसी संगठित पद्धति को व्यक्त करता हैं जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जाता है। ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय विकास के लाभों को ग्रामीण अंचलों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों तक पहुँचाने की प्रक्रिया सम्मिलित हैं। ग्रामीण विकास की अवधारणा में जो प्रमुख बिंदु समायोजित हैं वे हैं, ग्रामीणजनों के जीवन स्तर में सुधार, अंतः व्यक्तित्व एवं अंतर्क्षेत्रीय विषमताओं में कमी, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानिक परिवर्तन, ग्रामीण विकास के प्रति लोक चेतना का प्रसार एवं संपोषीय विकास। ग्रामीण विकास की यह अवधारणात्मक संरचना ग्रामीण अर्थव्यावस्था में उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा एक समग्र ग्रामीण विकास की विचारधारा को रेखांकित करती हैं।

महिला सशक्तिकरण :

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 8 मार्च 2010 से राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का सुभारंभ किया गया। इसके तहत गठित राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री थे। इस प्रधिकरण में आंध्र प्रदेश और बिहार के मंख्यमत्री के अलावा पांच सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को राजनीतिक एवं शैक्षिक रूप से भी सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह प्रयोग काफी सफल रहा है और अब इसका असर भी दिखाने लगा है। हालांकि भारत ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझोंतो और संधिपत्रों को भी अनुमोदित किया है। उनमें 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी संधिपत्र का अनुमोदन सबसे प्रमुख है। महिलाओ की राष्ट्रीय नीति बनाई गयी जिसका मुख्य उदेदश्य उन्नति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। उसके उद्देश्यों में महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है जिससे महिलाएं अपनी क्षमता को साकार कर सकें। भारत दृष्टिकोण 2020 दस्तावेज ने श्रमबल में महिलाओं की चर्चा करते हुए इसका उल्लेख भी किया गया है कि कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित बाल दखभाल सेवाएं बहुत जरूरी है। योजना आयोग के ग्यारहवी पंचपर्षीय योजना दस्तावेज में महिला एवं बाल विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यकम शामिल किए गए है। इसमें कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए असंगठित क्षेत्र में पालन की स्थापना करने तथा मौजूदा राजीव गॉधी पालना योजना का एक नया रूप दिया गया है।

समाज व राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को लेकर चिन्तन में एक विश्वव्यापी बदलाव आया है और महिला विकास व उसके सशक्तिकरण को लेकर एक अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। शहरी क्षेत्र में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है ,इसका बहुत बड़ा कारण महिलाओं का घर से निकलना, शिक्षा एवं उन पर पारिवारिक एवं साामाजिक जिम्मेदारी है। महिलायें भी इस चिंतन की सार्थकता सिद्ध करने के लिये जीवन के हर क्षेत्र में पुरूषों से कंधा से कंधा मिलाकर अपनी अंर्तनिहित क्षमता का प्रमाण दे रही है। फिर चाहे वह खलिहानों में हाथ बंटाने का कार्य हो या लड़ाखू विमानों की पायलट बन सीमा रक्षा करने का दायित्व बने या पत्नि बन ग्रहस्थी को संवारने का क्षेत्र हो। भारत ही नहीं ईरान जैसे कट्टरपंथी देश में भी महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार देने की बात करने लगे है। आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में योगदान के बावजूद जबतक राजनीति मे महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक महिलाओं का सर्वागीण विकास संभव नही हैं।

भारतीय सामाजिक संरचना में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो एक ओर सामाजिक व्यवस्था एवं अनुशासन स्थापित करने में सहायक हैं। हमारे समाज की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना भी इस प्रकार की है किस विधान द्वारा महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करने का अवसर ही उपलब्ध नहीं हो पाता। परिवार के मामलों में सम्पत्ति के विषय में सम्पूर्ण अधिकार पुरूषों का होना यह स्पष्ट करता है कि ऐसे परिवेश में पुरूषों एवं महिलाओं की स्थिति में

अंतर होना स्वाभाविक ही है। कालांतर में सामंती एवं मध्ययुगीन यह धारणा विकसित होती चली गई और धीरे–धीरे यह पत्येक वर्ग में प्रविष्ट होती चली गई। हमारी यह विकृत सामाजिक व्यवस्था है, जिसके मूल में पुरूष सत्ताविद्यमान है। राजनैतिक क्षेत्र में प्रतियोगिता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है एवं उपरोक्त विभिन्न कारणों से महिला सहभागिता उत्पीड़न का शिकार हुई है।

महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति के प्रयास में सरकार ने एक सामेकित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति वर्ष 2011 में बनाई, नीति में विवाह सम्पत्ति का अधिकार तथा उत्तराधि कार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनो में भी बदलाव को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

आथिक विकास के संदर्भ में उच्चस्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों को महिलाओं के हित के परिप्रेक्ष्य में जाना जायेगा तथा आर्थिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका उत्पादक तथा कार्यकर्ता के रूप में उभारा जायेगा।साथ ही उनके रोजगार तथा कारखानों की विषम परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाने हेतु आवश्यक नीतियों का निर्धारण किया जायेगा।

संवैधानिक व्यवस्थाएँ, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला की स्थापना, महिला अधिकारिता वर्ग महिलाओं में शिक्षा प्रसार, आर्थिक जीवन में प्रगति, पारिवारिक अधिकारो में वृद्धि, राजनीतिक जागृति, महिलाओं के सुरक्षात्मक प्रावधान, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिनके फलस्वरूप उनकी स्थिति मे महत्वपूर्ण सुधार आया है।

आज विश्व के प्रत्यैक देश में सभी जगह महिलाओं के समुचित विकास एवं सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। अब महिलाएं हर क्षेत्र मेंपुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी अंतर्निहित क्षमता के साथ पुरूष समाज में अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने का सफल प्रयास कर रही हैं, इस के साथ ही महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये आज कुछ प्रयास हर जगह और हर स्तर पर किये जा रहे हैं।

महिलाओं की शक्ति–संपन्नता के लिए राष्ट्रीय नीति

भारतीय संविधान म निहित सिद्धांतों में महिला व फ9पुरूष को समानता दी गई है। मैक्सिको कार्य योजना (1975), नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजीज (1985), पर उपयुक्त कार्यवाही करने पर भारत द्वारा उनका समर्थन किया गया है। 'समानता की ओर' (1974) में विशद विश्लेषण किया गया है और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988–2000) और श्रम शक्ति रिपोर्ट (1988) में इन पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संविधान (1993) संशोधन में स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिला सदस्य के लिए स्थानों का आरक्षण उपलब्ध कराया गया है, ताकि गांव से जिले तक के स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में महिला व पुरूष में असमानता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। गिरता हुआ महिला–पुरूष अनुपात, घरेलू व बाहरी हिंसा, बालिकाओं, किशोर लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव इसके उदाहरण है। फलस्वरूप महिलाएं अशिक्षित, अस्वस्थ और उत्पादक साधनों से वंचित और निवेशों का लाभ उठाने के लिए सीमित अवसरों के कारण हासिये पर हैं। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए और राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों से विचार–विमर्श के बाद भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह राष्ट्रीय नीति बनाई है।

राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य –

राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और शक्ति संपन्नता है। इस उद्देश्य के लिए सामाजिक रवैये में परिवर्तन करके और महिला पुरूष के बीच सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करके, महिलाओं की स्वैच्छिक समानता को वास्तविक समानता में बदलकर और जहां आवश्यक हो, सकारात्मक कार्यवाही के जरिए कोशिश की जाती है। इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं और पुरूषों को परिवर्तन के 'एजेंट' के रूप में अपने–अपने सामाजिक दायित्वों की जानकारी दी जाएगी।

नीति के मुख्य घटक :

महिलाओं को सभी प्रकार के अत्याचारों व असमानताओं से मुक्त करने के लिए नीति में निम्न तत्व होंगें –

1. मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं
2. महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा का उन्मूलन,
3. महिलाओं के साथ भेदभाव की समाप्ति,
4. बालिकाओं के साथ भेदभाव और उनके अधिकारों के उल्लंघन का उन्मूलन।
5. महिलाओं की शक्ति संपन्नता,
6. महिलाओं की निर्णय क्षमता का विकास,
7. विकास प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी
8. महिलाओं से संबंधित मामलों के प्रति संचेतना,
9. महिलाएं तथा जन–प्रचार
10. निर्धनता–उन्मूलन तथा महिलाओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

इसके अंतर्गत निम्न तत्व रखे गए है :

1. निर्धनता उन्मूलन 2. भोजन सुरक्षा 3. आवास तथा प्रश्रय 4. शिक्षा 5. स्वास्थ्य 6. महिलाएं तथा अर्थव्यवस्था 7. समर्थन सेवाएं 8. पेयजल और 9 स्वच्छता

11. महिलाएं एवं पर्यावरण 10. महिलाएं एवं पर्यावरण

12. विशेष रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं की आवश्यकताएं

13. संसाधन

14. गैर–सरकारी संगठनों की भागीदार

15. जेंडर विकास क्रियाविधि तैयार करना,

16. महिला पुरूष संबंधी पृथक–पृथक आंकड़ें

संवैधानिक व्यवस्था :

संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार अनुच्छेद 14 राज्य द्वारा कोई भेदभाव नही करने अनुच्छेद 32 अवसर की समानता अनुच्छेद 16 समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ. की पक्ष राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है की गारंटी देता है इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रवधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 महिलाओं के गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने अनुच्छेद 51 ए.ई. और काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितिया सुरक्षित करने की अनुमति देता है।

महिलाओं की स्थिति :

लोकसभा में 10.8 और राज्यसभा में 9 फीसदी महिलाओ की मौजूदगी है। इस तरह से राजनीतिक ग्राफ में भारत दुनिया में 99 वें स्थान पर है। भारत पंचायत स्तर पर पहले ही महिलाओ को 50 फीसदी आरक्षण दे चुका है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आज ग्रामीण महिला पंचायत स्तर पर अपनी भागीदारी अपना रही है। और पुरूषो जैसा बराबरी का काम करके दिखा रही है। अतः हमे महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण जैसे विषयो पर और अधिक बल देना होगा, ताकि महिला पंच, सरपंच, या अन्य कोई पद पर क्यो ना हो उसको उसकी शक्ति के बारे मे जानकारीया उपलब्ध करवाना होगा।

महिलाओं के आरक्षण ने महिलाओं की छुपी हुई ऊर्जा को उजागर किया है। आरक्षण के प्रावधान के कारण लगभग 11 लाख महिलाएं पंचायतों में सदस्य व अध्यक्ष पदों पर चुनी गई हैं। कुछ राज्यों में तो ग्राम पंचायतों की सरपंच और सदस्य सभी महिलाएं हैं। इस अध्याय में शहरी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा विभिन्न राज्यों में किए गए विभिन्न कार्यो का उल्लेख करते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है कि भले ही अधिकतर महिलाएं निरक्षर है, समाज की विभिन्न ।कुरीतियों की शिकार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, उन पर पुरूष वर्ग का आधिपत्य है, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद उन्होंने अपनी समझ और साहस से समाज के सामने वे उदाहरण प्रस्तुत किए है, जिनसे लगता है कि महिलाएं पुरूषों से पीछे नहीं रहेंगी और विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सकेंगी।

संदर्भ सूची

1. कुरूक्षेत्र : सितम्बर 2011 :– ग्रामीण महिला सशक्तिकरण
2. प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर 2008
3. एम. एम. लावानिया :– भारतीय महिलाओ का समाजशास्त्र रिसर्च पाब्लिशर्ष कश्यप जयपुर 2004

4. डॉ. शर्मा, प्रभुदत्त, :– पंचायती राज प्रशासन, रिसर्च पब्लिकेशन, आगरा, 1995

5. देवेन्द्र उपाध्याय :– पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक प्रकाश, नई दिल्ली, 2001

6. माधंर, शकुन्तला :– प्रचोन भारत में पंचायती राज, विधि भारती पब्लिकेशन, 1964

7. हसनैन नदीम, 'समकालीन भाारतीय समाज', भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2007.

8. ऐतरेय ब्राह्मण, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, 1998.

9. मैत्रायणी संहिता, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, 1998

10. जातक ग्रंथों में वर्णित है, जातक, एडिकेट बाई.बी. फॉसवॉल II–वॉल्यूम, पृष्ठ 406.

11. वही. पृ. 95 वॉल्यूम 268.

12. वहीं

13. आर्या साधना, 'वीमने, जेंडर इक्विलिटी एण्ड स्टेट', नई दिल्ली, पृ. 30–32.

14. राणाडे महादेव गोविन्द, 'रिलिजियस एण्ड सोशल रिफार्म', मुम्बई 1902, पृ. 50.

15. गुप्ता एम.एल., शर्मा डी.डी. 'समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धान्त', साहित्य भवन, पब्लिकेशन, 2008.

16- प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक वार्षिकी 2012, वॉल्यूम II

17. कुरूक्षेत्र : सितम्बर 2011 – ग्रामीण महिला सशक्तिकरण

18. प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर 2008

संपोषीय विकास की अवधारणा

डॉ. विमल कुमार कौशले
सहायक प्रध्यापक शासकीय महाविद्यालय शहपुरा

भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लक्ष्य से ग्रामीण विकास की अवधारणा का उदय, कृ षि विकास के संदर्भ में अस्तित्व में आया और एक लंबे समय तक भारत में कृषि विकास को ही ग्रामीण विकास का पर्याय समझा गया। 1970 के बाद ग्रामीण विकास की अवधारणा में मूलभूत परिवर्तन हुआ और इसका क्षेत्र समवर्ती योजनाओं में अधिक विस्तृत कर दिया गया। विश्व बैंक के अनुसार –ग्रामीण विकास एक ऐसी संगठित पद्धति को व्यक्त करता है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जाता

आधुनिक युग में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ कृषि का विकास करना है। विकास की धारा में ग्रामीणों को भी जोड़ा जाये। ग्रामीण समुदाय आरम्भ से ही अविकसित एवं पिछड़ा हुआ है। भारतवर्ष में गांवो को भारत की आत्मा कहा जाता है, जो ग्रामीण समुदाय की इकाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की व्यापकता को देखा जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने और कृषि मानसून पर आधारित होने के कारण एक दूसरे को प्रभावित करती है। कृषकों के पास भूमि के छोटे– छोटे टुकड़े है, जो आर्थिक जोत में सम्मिलित नहीं होते, उन पर लागत अधिक आती है और उत्पादन कम मिलता है। परिवार में सदस्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है जिससे भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। रोजगार के साधन सीमित होते जा रहे हैं। गांवों में भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा अन्य मजदूरों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि कृषि में पैतृक रोजगार वालों की संख्या अधिक है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान्य जीवन–स्तर का जीवन व्यतीत करते है। ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति में निरंतर कमी आ रही है। कृषकों के उत्पादन का बहुत ही कम मूल्य मिलता है। आजादी के छः दशक बाद भी गांव का कृषक ऋण के जाल में जकड़ा हुआ है। बैंकिग एवं वित्तीय सस्थाओं की स्थापना के बावजूद गांव के लोग 60 प्रतिशत से ज्यादा की वित्त पूर्ति महाजन या साहूकार से ही करते हैं। उन्हें आज भी आर्थिक मामलों में खुद को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। बैंको की ऋण प्रक्रिया जटिल है तथा पर्याप्त मात्रा में ऋण व्यवस्था नहीं होने की वजह से बैंको का लाभ केवल उच्चवर्ग तक ही सीमित है, सामान्य कृषकों को बैकिंग सुविधाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिला है। आज गरीबी मिटाने की कई योजनायें संचालित हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सीमांत कृषकों और मजदूरों को कम मिलता है। सरकार ने बहुमुखी विकास के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक कार्यक्रम चलाये।

विकास की अवधारणा

सर्वप्रथम 'विकास' शब्द का तात्पर्य स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में विकास के अंतर्गत कौन–कौन से घटकों का समावेश होता है, विकास से कौन सी 'प्राप्ति' होती है, आदि समस्त पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है, अर्थात् भारतीय संदर्भ में विकास का अभिप्राय समझने के साथ–साथ विकास का पश्चिमी मॉडल एवं भारतीय मॉडल को समझना आवश्यक है।

प्रथम पश्चिमी मॉडल :– विकास की पश्चिमी अवधारणा में मुख्यतः भौतिक विकास को ही महत्व दिया गया है। वे भौतिक विकास के साथ संस्कृति का भी कुछ विचार करते हैं। परंतु संस्कृति के संबंध में उनकी अवधारणा भौतिकता के ऊपर आधारित है और स्वयं के साथ में दूसरे का अच्छा व्यवहार अपेक्षित रखता है, अथवा बाह्य व्यवहार के ऊपर ही ज्यादा जोर रहता है भौतिकता के ऊपर ज्यादा जोर देने से वह उतरोत्तर उपभोगवादी बनता जाता है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को सुशिक्षित, स्वास्थ्य रोगों की चिकित्सा हेतु अच्छे सुविधा संपन्न चिकित्सालय, आर्थिक रूप में संपन्नता, उपभोग के साधनों की प्रचुरता, वैज्ञानिक रूप से उन्नत इत्यादि

होने के संपूर्ण अवसर प्राप्त हो। अब तो ऊर्जा की उपलब्धि को भी आवश्यक माना है। व्यक्ति अधिकाधिक आत्मकेन्द्रित होता जाता रहा है। विकसित होने के लिए यह सब आवश्यक माना गया है। भविष्य में ऐसी स्थिति आती है कि विकसित अवस्था रखने तथा और अधिक विकसित होने के लिए शोषण आवश्यक माना जाता है। अतः एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण करने लगता है। यह शोषण व्यक्ति, पशुओं व वनस्पति का और अंत में पंच महाभूतों का मानव द्वारा होने लगता है। हम यह स्थिति आज देख सकते हैं। इस शोषण के कारण परिस्थितियां बिगड़ने लगती हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र, से मानव का पर्यावरण से संबंध बिगड़ने लगते हैं। इसके कारण व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में अशांति और संघर्ष की स्थति बन जाती है। पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित होने लगता है। मात्र भौतिकता के ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाने के कारण यह स्थिति बनती जाती है। आज सारा विश्व मानों अशांत, असंतुष्ट होता जा रहा है। पर्यावरण की विषाक्तता इतनी बढ़ती गई है कि तापमान इस प्रकार बढ़ता जा रहा है कि हिमनदों व ध्रुवीय प्रदेशों का बर्फ पूर्वाप्रेक्षों में बदलाव आया है और वे तेजी से गलने लगे हैं और मौसम में परिवर्तन आने लगा है। इसके कारण खेतों आदि सभी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वातावरण की विषाक्तता के कारण ओजोन वायु की पृथ्वी को परिवेष्टिव करने वाली परत फटने लगी है। जिसमें से जीव मात्र के लिए हानिकारक ब्रम्हांडीय किरणें पृथ्वी पर पहुँचने लगती है। अम्ल युक्त हानिकारक वर्षा भी कभी–कभी हो जाती है ऐसे सारे लक्षणों को देखकर वैज्ञानिक चिंतित हो गए कि यह सब विकास के नाम पर चलने वाले क्रियाकलाप, कारखाने आदि के कारण हो रहा है स्पष्ट है कि पश्चिम में विकास का जो मॉडल है उसका परिणाम है मानव के विकास के लिए जो किया जा रहा है, मनुष्य के अस्तित्व पर भी, संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे जिस विकास के पथ का चयन कर आगे बढ़ रहे थे और जिसको वे अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, वह गलत राह थी। विकास के स्थान पर विनाश की राह पर बढ़ाने वाली वह दिशा थी। वैसे तो पाश्चात्य चिंतक यह कहते ही रहे हैं कि पुराने समय के ग्रीस और रोम ने जो सांस्कृतिक रचना और चिंतनधारा की दिशा दी उसी का अनुसरण पाश्चात्य राष्ट्रों में हो रहा है। हम जानते ही हैं कि ये दोनों संस्कृतिया कुछ शताब्दियों तक पृथ्वी तल पर रह कर नष्ट हो गई। अब शायद पाश्चात्य संस्कृति की बारी है। इस विशिष्ट संस्कृति ने पिछली शताब्दि में दो विश्व युद्ध और एक शीत युद्ध विश्व पर लादे। उपाध्याय, दीनदयाल (2015) ''राष्ट्र नवरचना के कार्यो का शुभारंभ ग्रामीण अंचल से ही होना चाहिए जीवन का मूल एवं प्राकृतिक संसधानों का स्त्रोत और विकास का क्रम भी यही है।''[प] मीयर एवं वाल्डविन के अनुसार, ''आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है।विलियमसन एवं बैट्रिक, ''आर्थिक वृद्धि या विकास का आशाय उस प्रक्रिया से जिसके अंतर्गत किसी देश के निवासी प्रतिव्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में स्थाई वृद्धि करने के उद्देश्य से उपलब्ध साधनों का उपयोग करते है।

द्वितीय भारतीय मॉडल

भारत ने विकास के संबंध में अपने धर्म, संस्कृति और जीवन पद्धति के अनुरूप दूसरी दिशा का संकेत किया। इसमें भौतिक विकास पर निश्चित ही ध्यान दिया और हम देख सकते हैं कि दिशा, स्वास्थ्य, आर्थिक व वैज्ञानिक प्रगति से लेकर भौतिक पक्ष में वह अपने आपको श्रेष्ठ सिद्ध कर सका है। परंतु भौतिक के अतिरिक्त पराभौतिक या धर्म, संस्कृति, आध्यात्म के क्षेत्र में विकास हो इस पर भारत में विशेष ध्यान दिया गया। इसके कारण भौतिक विकास के पथ पर आगे बढ़ने से जिन खतरों का सामना करना पड़ता है उससे भारत बच सका। उदाहरणार्थ भारत में रसायन विज्ञान की बहुत प्रगति हुई थी। परंतु रसायन यदि प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं तो वे उतने हानिकारक साबित नहीं होते, जितने प्रयोग–शालाओं में विकसित रसायन हानिकारक होते हैं। सभी जानते हैं कि रसायनों का उपयोग उद्योगों, चिकित्साशास्त्र में और कृषि में होता है। पाश्चात्यों ने अपनी दिशानुरूप रासायनिक खाद्यों का कारखानों में निर्माण किया और साथ में कीटनाशक विषैली दवाईयों का भी। भारत में रसायन शास्त्र प्रगति पर था फिर भी प्राकृतिक रूप में बनने वाले जैविक खादों का विकास हुआ और प्राकृतिक उत्पादों से ही कीटकों को नियंत्रण करने वाले कीटनाशक दवाईयों को विकसित किया।

दवाईयों का निर्माण भी ज्यादातर प्रकृति से प्राप्त वनस्पति आदि से किया। यदि विभिन्न तत्वों पर रसायनिक क्रिया करके भस्म, क्षार आदि औषधियों का निर्माण किया तो इस पर ध्यान दिया कि उन रसायनिक दवाईयों द्वारा शरीर पर दुष्प्रभाव न हो सके। इस प्रकार की निर्माण विधियाँ साथ में विकसित की। पारद, गंधक, आर्सेनिक आदि हानिकारक द्रव्यों से हानिकारक दवाईयां प्राप्त करने में सफल रहे हैं। वैद्यकशास्त्र के निष्कर्ष को यह जानकारी और औषधियों के प्रयोग की विधि भी ज्ञात रहती है। तात्पर्य इतना ही है कि विकास तो आवश्यक है परंतु वह किसी भी प्रकार से मानव को ही नहीं तो सभी जीव और पंचमहाभूतों के लिए भी हानिकारक न होने पाये, इसका ध्यान रखा जाये । कहा जाता है 'भारत के वैज्ञानिकों ने इस उक्ति को मानो ध्यान में रखकर ही विकास को चुना है। मानव को इसीलिए भौतिकतावाद के आकर्षक मार्ग पर आगे न बढ़ाकर हानिरहित भौतिक और पराभौतिक के संतुलित मार्ग पर आगे बढ़ने को प्रेरित किया। शोषण के स्थान पर दोहन को प्रोत्साहित किया, जो सभी के लिए सुखकर होता है। अतः भौतिक विकास के साथ नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया। 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्वनम्' इस आदर्श पर ही जोर दिया क्योंकि 'ईशावास्यमिदम् सर्व यत्किंचजगत्यांजगत' इस तत्व को समझा है। तात्पर्य इस जगत में जो कोई भी है। उस सब में ईश्वर का अस्तित्व है अतः त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। किसी के भी धन–संपत्ति का अपहरण नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने श्री नेहरू जी को कहा कि भले ही गंगा घर के पास से बह रही हो परंतु उसके पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। उपनिषद के उस वाक्य के संदर्भ में महात्मा गाांधी जी की उक्ति को समझना चाहिए। पाश्चात्यों के विकास की अवधारणा ने पृथ्वी पर जंगलों के आवरण को घटा दिया, नदियों को सुखा दिया, पृथ्वी के पानी और वायु ही नहीं भूमि को भी प्रदूषित कर दिया, मौसम के चक्र पर विपरीत असर होने लगा और जीव मात्र का अस्तित्व संकट में है। हमारे पुराणों में मानवों के 'अत्याचार' बढ़ने पर धरतीमाता गाय का रूप धारण करके अपनी रक्षा के लिये देवताओं के पास आती है ऐसा वर्णन पढ़ने को मिलता है। आज इस धरती पर मानों मानव ने अपने विकास के लिए ऐसा ही संकट खड़ा कर दिया है। अब देवों के पास जाने के स्थान पर भारतीय संस्कृति व जीवन पद्धति के अनुरूप विकास के मार्ग पर चलना होगा। संक्षेप में विकास की धाराओं के संबंध में थोड़ा विश्लेषण किया है। इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमें पाश्चात्यों की अवधारणा के अनुरूप मार्ग चुनना उचित होगा। सामान्य रूप से ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिये निम्नांकित आयामों पर विचार करना उचित रहेगा –

- सबको शिक्षा, सबका उत्तम स्वास्थ्य
- सबके लिए चिकित्सा की सुविधा
- आर्थिक रूप से पूर्ण स्वाबलंबी जीवन
- समरसतापूर्ण सामाजिक जीवन
- सुरक्षापूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय जीवन
- पर्यावरण की सुरक्षा
- प्रदूषण विहीन विपुल ऊर्जा स्त्रोत
- न्यायदान की ग्रामीण व्यवस्था
- आवागमन की सुविधा
- स्वदेशी भावना का समाधान

बदलते परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्पर्धा व ग्रामीण–शहरी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में असामानता होने के कारण उपरोक्त आयामों के अतरक्ति यह आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं, उद्योग व जनहित संसाधनों को जुटाने के प्रयास करने होंगे तात्पर्य यह है कि वर्तमान संदर्भ में विकास का प्रारूप या मॉडल संपोषीय हो।

ग्रामीण विकास :– विकास का अभिप्राय ऐसी गतिविधि या विकास की प्रकिया से है, जो उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं में किया जाता है। विकासशील देश में ग्रामीण विकास का आशय उनके आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिये चलाये गये कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर विकास की मुख्यधारा में जोड़ना है। समाज का यह समूह जो सामाजिक आर्थिक एवं सभ्यता में पिछड़ा है उसके उत्थान के लिये किया गया कार्य ग्रामीण विकास है। मनुष्यों की कुछ आधारभूत आवश्यकतायें है जिनको प्राप्त करने के लिए वह सभी प्रयास करता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि। जिसे प्राप्त

कर वह अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाता है इन आाधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही विकास कहलाती है। विश्व बैंक के अनुसार – "वह व्यूह रचना जिससे ग्रामीण जनता का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो, ग्रामीण विकास कहलाता है।" महात्मा गांधी के अनुसार – ''ग्रामीण विकास प्रत्येक गांव का गंणतंत्र समाज बनाने का उद्देश्य है, जिसमें कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न हो तथा प्रत्येक को पर्याप्त पौष्टिक आहार, पहनने का खादी तथा रहने का मकान पर्याप्त स्वास्थ्य तथा स्वच्छता वाला उपलब्ध हो।"[पप] ब्राईस के अनुसार : ''विकास के किसी भी सुदढ़ कार्यक्रम में औद्योगिक विकास कों अनिवार्यताः एवं अन्ततः एक व्यापक भूमिका का निर्वाह करना होता है।"[पपप]

उद्देश्य :

ग्रामीण विकास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

- वितरण की समुचित व्यवस्था।
- समाज में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं सभ्यता का विकास।
- ग्रामीण जनता में आत्मसम्मान विकसित करना।
- रोजगार के साधन उपलब्ध कराना।
- जीवन स्तर ऊँचा उठाना। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।
- बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी को कम करना।
- ग्रामीण जनता की आय बढ़ाना।
- स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं सहायता प्रदान कराना।

संपोषीय विकास की अवधारणा

संपोषीय विकास शब्द से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो निरंतर चलता रहे अर्थात संपोषीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसमें उपलब्ध संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाये कि वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ ही भावी पीढ़ी की जरूरतों में कटौती न होने पाए. संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार किए बिना आर्थिक विकास गंभीर पर्यावरणीय हानि उत्पन्न कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान एवं भावी पीढियों के जीवन की गुणवत्ता की हानि होती है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखे बिना आर्थिक विकास हानिकारक हो सकता है। अतः आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा की अवश्यकताओं के मध्य संतुलन बनाए रखना ही निरतंर विकास का प्रमुख उद्देश्य होता है।

मानव की प्रगति एवं विकास का आधार उसके द्वारा प्रकृति अथवा पर्यावरण का उपयोग है। मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था में सीमित जनसंख्या तथा सीमित आवश्यकताओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के उपरान्त भी उनका पर्यावरण में सामंजस्य बना रहा किंतु बढ़ती जनसंख्या तथा तकनीकी प्रगति के साथ–साथ प्रकृति के शोषण की दर में वृद्धि होती गई। आर्थिक विकास की दौड़ में पर्यावरण पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करके किया गया विकास स्वयं मानव के लिए ही आत्मघाती सिद्ध हुआ। पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों का संकट आदि इसके दुष्परिणाम है। निरंतर विकास मानव की स्वाभाविक प्रकृति है तथा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण विकास को रोका नहीं जा सकता है तो पर्यावरण हास के कारण समस्त जीव जगत पर बढ़ते संकट की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। अतः पर्यावरण को बचाते हुए संपोषीय विकास की अवधारणा विकसित हुई। इसे संतुलित विकास, सतत् विकास, धारणीय विकास, टिकाऊ विकास, समंवित विकास, संपोषणीय विकास, संपोषीत विकास, पतिपालनीय विकास की अवधारणा भी कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आयोग के ब्रंटलैण्ड प्रतिवेदन में दी गई संपोषीय विकास की परिभाषा इस प्रकार है – "संपोषीय विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे।" जेम्स फिशर : संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छओं की पूर्ति करती है।

सन् 1972 में प्रकाशित रिपोर्ट विकास की सीमा में यह तो बताया गया है कि हमें विकास के संबंध में क्या नहीं करना चाहिये परंतु यह नहीं बताया गया है कि विकास की भावी रणनीति क्या होनी चाहिये। इस रिपोर्ट के प्रति उत्तर में संयुक्त

राष्ट्र संघ द्वारा सन् 1980 में जीम ॅवतसक ब्वदेमतअंजपवद ैजतंजमहल एवं इसके सात साल बाद 1987 में व्नत ब्वउउवद थ्नजनतम नाम से प्रकाशित रिपोर्टों द्वारा 'विकास की सीमा' द्वारा उत्पन्न किये गये निराशावादी विचार के स्थान पर संपोषीय विकास' के विचार का प्रतिपादन किया गया। इस विचार ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में भविष्य के लिये एक नये एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। 1960 के दशक के अंत तक यह माना जाता रहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं विकास एक दूसरे के प्रतिलोम है अर्थात् यदि विकास करना है तो पर्यावरण ह्रास के रूप में उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। परंतु अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि ये दोनों तत्व परस्पर प्रतिलोम नहीं वरन् एक दूसरे पर आश्रित हैं अर्थात् बिना पर्यावरण संरक्षण के विकास नहीं हो सकता और बिना विकास के पर्यावरण संरक्षण नहीं हो सकता। इस विचार को संपोषीय ग्रामीण विकास की अवधारणा के द्वारा समझा जा सकता है।

संपोषीय विकास का अर्थ

सामान्यतः आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है और परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर पुनरूत्पादनीय एवं गैर– पुनरूत्पादनीय, दोनों प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती है वहीं विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न विशैली गैसों एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों से पर्यावरण दूषित होता है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में जो विकास की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे न केवल भावी विकास की दर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा वरन् प्रदूषित पर्यावरण से मानव–जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से संपोषीय विकास या पोषित विकास को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रो एफ जे. मान्कहाउस के अनुसार : ''कोई जीव, कोई मनुष्य या कोई वस्तु जिन परिस्थितियों में रहती है, उन बाह्य दशाओं के सम्पूर्ण योग को पर्यावरण कहा जाता है।''[पअ]

संपोषीय विकास की धारणा से संसाधनों के आर्थिक और पारिस्थितिकी या पर्यावरण से सम्बन्धित पहलुओं दोनों को साथ में लेकर चला गया है। इसके साथ ही संपोषीय ग्रामीण विकास में अपशिष्ट पदार्थों के प्रबन्धन, प्राकृतिक संसाधनों के पुर्नजनन, प्रजाति दुर्लभता का नियंत्रण और भावी पीढ़ियों के कल्याण हेतु विनियोग भी सम्मिलित है।

प्रतिष्ठित और नव–प्रतिष्ठित आर्थिक विकास सिद्धांतों में भूमि, पूँजी एवं श्रम को उत्पादन के प्रमुख घटक माना गया है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के द्वारा उत्पादन में वृद्धि को ही विकास का माप समझा गया है। अतः ये सिद्धांत संपोषीय विकास से भिन्न हैं, क्योंकि इनमें विकास के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

प्रतिष्ठित एवं नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकास की प्रमुख विशेषता उत्पादन एवं उपभोग में वृद्धि का होना है। यह वृद्धि मुख्यतः कार्यक्षमता में वृद्धि के कारण होती है। अतः इन अर्थशास्त्रियों ने अपने विकास सिद्धांत में उन बातों को भी सम्मिलित किया है जो अर्थव्यवस्था की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। किन्तु इन विकास सिद्धांतों में प्रकृतिदत्त पुनरूत्पादनीय एवं गैर–पुनरूत्पादनीय संसाधनों को पूँजी–संचय एवं पूँजी–स्टॉक एवं पूँजी–स्टॉक के रूप में नहीं माना गया है। संपोषीय ग्रामीण विकास में इस पहलू को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

संपोषीय विकास की परिभाषा

संपोषीय विकास का मूल मार्गदर्शी सिद्धान्त है प्रकृति से प्राप्त पुनरूत्पादनीय एवं गैर–पुनरूत्पादनीय संसाधनों का आवंटन वर्तमान पीढ़ी एवं भावी पीढ़ियों के मध्य इस प्रकार से हो कि इन साधनों का उपयोग सभी के द्वारा किया जा सके। उदाहरण के लिए नर्मदा नदी भूत, वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए है। अतः इस नदी के जल का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि भावी पीढ़ियाँ इसके उपयोग से वंचित न रह जाएँ। स्पष्ट है कि संपोषीय विकास एक अत्यधिक विस्तृत धारणा है और इसे परिभाषा में बाँधना कठिन कार्य है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा रहा है :–

पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग प्रतिवेदन (1987) में कहा गया है, ''संपोषीय विकास वह विकास है जो वर्तमान आवश्यकताओं को, भावी

पीढ़ी की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने की क्षमता से, समझौता किए बगैर सन्तुष्ट करता है।"
संपोषीय विकास की उपर्युक्त परिभाषा में वर्तमान पीढ़ी के साथ–साथ भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए भी चिन्तन किया गया है।

संपोषीय विकास के सिद्धांत

सामान्यतः आर्थिक विकास से आशय उत्पादन या राष्ट्रीय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि से लिया जाता है। किन्तु यह एक संकीर्ण विचार धारा है कारण यह है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के अति–दोहन, श्रमिकों का शोषण कर, उत्पादन में वृद्धि करके, तानशाही तरीकों से उत्पादन में वृद्धि करके अथवा सरकार या प्रबन्धन में बिना किसी जन–भागीदारी के द्वारा भी की जा सकती है किन्तु यह संपोषीय विकास नहीं है, क्योंकि इससे प्राकृतिक संसाधन कुछ ही समय बाद समाप्त होने लगेंगे विषमताएं इतनी अधिक होगी कि उत्पादन एवं उपभोग पर कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार होगा, मानवीय विकास न्यूनतम स्तर पर होगा और सम्पूर्ण पर्यावरण कृषित हो जाएगा और मानवीय जीवन ही नहीं अन्य जीवों की जीवन भी कठिन एंव कष्टप्रद हो जाएगा। यही कारण है कि अब आर्थिक विकास के स्थान पर संपोषीय विकास को महत्व दिया जा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि संपोषीय विकास के विभिन्न सिद्धांतों एवं तत्वों का विस्तार से अध्ययन किया जाए।
प्रो. जेकोब्स ने ''संपोषीय विकास के चार मूल सिद्धात बताए है यथा – 1. मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, 2. पर्यावरणीय पूर्णता को बनाए रखना, 3. सामाजिक स्वतः निर्धारण का प्रावधान और 4. समानता की उपलब्धता। कुछ अन्य विद्वानों ने भी संपोषीय ग्रामीण विकास के कुछ अन्य तत्व दिए है जैसे– 5. साधनों का उचित मूल्याकंन और 6 उत्पादन एवं उपभोग तंत्र में लचीलापन आदि।'' इन सिद्धांतों एवं तत्वों की विस्तृत व्याख्या निम्न प्रकार है–
1. मानवीय आवश्कताओं की पूर्ति– मानवीय आवश्यकताओं को दो भागों के विभक्त किया जा सकता है, यथा भौतिक और आभौतिक । भौतिक या बुनियादी आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जरूरतों जैसे– भोजन, जल एवं मकान को सम्मिलित किया जाता है। संपोषीय विकास का प्राथामिक उद्देश्य विश्व के गरीबों के गरीबों के जीवन स्तर को उस सीमा तक ऊपर उठाना है, जिस पर कि वे अपनी बुनियादी आवश्कताओं की पूर्ति कर सकें। आ–भौतिक आवश्कताओं से आशय वृहत रूप से जीवन की गुणवत्ता से है और इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, राजनैतिक एवं आत्मिक स्वतंत्रता, मानवीय अधिकार, स्वच्छता, स्वच्छ एवं उपयोग योग्य प्राकृतिक पर्यावरण और अर्थपूर्ण कार्य आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संपोषीय विकास के अन्तर्गत चहुँमुखी प्रगति को लिया गया है जिसमें विकास के लाभ जन–सामान्य तक पहुँच सकें। वर्तमान में जिस आर्थिक विकास की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है उससे विषमताएँ बढ़ रही हैं तथा विकास के लाभ कुछ ही वर्गों को प्राप्त हो रहा है।

2. पर्यावरणीय पूर्णता को बनाए रखना – पर्यावरणीय पूर्णता को भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम् संपोषीय विकास के अन्तर्गत पर्यावरण का सरक्षण सेवक के रूप में उसका उपयोग तथा युक्तियुक्तपूर्ण भू– उपयोग जैसी विषमताओं को कम करना है। इस प्रकार संपोषीय विकास से आशय पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और समाज में उपभोग के क्षेत्र में विद्यमान विषमताओं में कमी लाना है। इसी प्रकार संपोषीय ग्रामीण विकास के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं उनका पुनरूउत्पाद या पुर्नजनन का प्रमुख स्थान है। हवा, जल, वन, भूमि आदि यदि प्रदूषित हो जाते हैं या उसका क्षरण हो जाता है अथवा उन्हें काट कर समाप्त कर दिया जाता है, तो उनके पुनरूउत्पादन (पुर्नजनन) करने के लिए पूँजी का विनियोग आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो भावी पीढ़ियों को ये साधन अच्छी स्थिति में प्राप्त नहीं होंगे। गैर–पुरूउत्पादनीय साधनों के उपयोग में तो और अधिक सावधानी आवश्यक है। कारण यह है कि गैर–पुरूउत्पादनीय साधनों का क्षरण होने पर इसके पुर्नजनन में हजारों वर्ष लगते हैं। अतः इनके उपयोग के बारे में भी पीढ़ी को ध्यान में रखा जाना संपोषीय विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है।
3. सामाजिक स्वतः निर्धारण का प्रावधान – विकसित एवं अल्पविकसित, सभी समुदायों या देशों में सामाजिक आत्मनिर्भरता के लिए शान्ति एवं

समानता आवश्यकता होती है। इसके साथ ही सामाजिक स्वतः निर्धारण के लिए निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी समाज में मानवीय विकास का स्तर, सरकार में भागीदारी, विकेन्द्रित प्रबन्धन निचले स्तर से ही सांस्कृतिक मूल्यों का विकास जैसे तत्व भी आवश्यक हैं। इसके विपरीत यह देखा जाता है कि सैन्य–शासकों एवं धनी वर्गों ने अति उपभोग के द्वारा न केवल प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश किया है अपितु विश्व के अनेक लोगों को सरकार में भागीदारी से दूर रखा है। इससे जन–साधारण में सामाजिक समानता एवं सामाजिक सम्मान जैसी भावनाओं का उदय ही नहीं हुआ है।

समानता की प्राप्ति :– संपोषीय विकास में समानता से आशय संसाधनों के वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ियों के मध्य आवंटन से है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वर्तमान पीढ़ी इस प्रकार से किया जाए कि भावी पीढ़ियों के भी उनकी आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध होते रहे हैं, तो यह संसाधनों का न्यायपूर्ण प्रयोग कहलायेगा। इस प्रकार यदि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है जो इससे पर्यावरणोय मे पूर्णता बनी रहेगी और संपूर्ण भूमण्डल प्रदूषण से मुक्त रहेगा। समानता के सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए ह कि वर्तमान में सभी देशों के मध्य उपभोग मे वृद्धि करने की प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो गया है और इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन हो रहा है तथा यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि उपभोग की यही प्रवृत्ति जारी रहती है तो वह दिन दूर नहीं है जब प्राकृतिक संसाधन समाप्त प्रायः हो जाएंगे और विकास की विद्यमान प्रकिया रूक जाएगी।

संपोषीय विकास के सूचक

संपोषीय ग्रामीण विकास का संबंध जहाँ एक ओर पर्यावरण परिस्थिति से है वही दूसरी और आर्थिक गतिविधियों से भी है। अतः संपोषीय विकास के सूचक का संबंध इन दोनों क्षेत्रों से होना चाहिए।'' किन्तु ऐसे सूचकों का निर्धारण कर उन्हें परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए यदि प्रतिव्यक्ति सकल घरेलु उत्पादन या शुद्ध घरेलू उत्पाद को विकास का सूचक माना जाता है, तो यह सम्पूर्ण औसत दर का तो सही मापक हो सकता है, किन्तु यह सम्पूर्ण समाज के विकास या कल्याण का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। कारण यह है कि इस सूचक से यह जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि गरीबी की रेखा के नीचे कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? साक्षरता का स्तर क्या? अथवा बाल मृत्यु दर कितनी है। अतः विकास अथवा कल्याण को मापने के लिए ऐसे सूचकों की आवश्यकता है जो आर्थिक स्थिति के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा एवं योग्यता का स्तर, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति, सशक्तिकरण आदि को भी प्रतिबिम्बित करे। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए कई वैकल्पिक सूचकों या संकेतकों की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय अध्ययनों में विकास के अनेक संकेतकों को जन्म दिया है। इनमें से कुछ संकेतक ही मापनीय है और इन्हें पर्यावरण की माप हेतु स्वीकार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वायु, प्रदूषण का ब्व्$_2$ए ैव्$_2$ए । छव्$_{ग}$ के उत्सर्जन के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार जल प्रदूषण, मृदा क्षरण, वनीकरण की दर, खजिनों का उत्खनन आदि को भी पर्यावरण से सम्बन्धित सूचकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए तीन प्रकार के संकेतक सुझाएँ हैं, यथा– दबाव संकेतक, प्रभाव संकेतक और संपोषीय संकेतक। इनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

(अ) दवाब संकेतक – दबाव संकेतक प्रवाह चरों को बताते हैं। ये विकास प्रक्रिया में एक समय के उत्सर्जन, निकास, जमा खनन् और आर्थिक गतिविधियों के समुच्चय से उत्पन्न होने वाले व्यवधानो की मात्रा या स्तर के स्वरूप में दर्शाते हैं। इन्हें आर्थिक गतिविधियों या क्षेत्रों के द्वारा या स्थानिक आयाम से अर्थात् पर्यावरण वस्तुओं और संसाधनों के जिला, राज्य या देश के द्वारा उपयोग करने से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरणीय दबाव, आवश्यक रूप से उसी क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, अपितु अन्य अनेकों क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं। उदाहरणार्थ–आर्थिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप

उत्सर्जन हवा के बहाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रभावित कर सकता है। इमारती लकड़ी की कटाई या खनिजों का खनन् क्षेत्र विशेष के अन्तर्गत होता है जबकि लकड़ी एवं खजिन पदार्थों का उपयोग उस क्षेत्र के बाहर होता है। इसलिए दबाव संकेतक ग्राही पर समान्यतः एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र में पर्यावरणीय दबाव के प्रभाव को प्रतिबिम्बित करते हैं।

(ब) प्रभाव संकेतक – दबाव और प्रभाव दोनों संकेतकों के तथाकथित संपोषीय संकेतकों में पूर्व निर्धारित सन्दर्भित मूल्यों सहित सम्बन्धित दबाब या प्रभाव से परिवर्तित किया जा सकता है। इस स्थिति में सन्दर्भ सामान्यतः एक पिछली या वांछित भविष्य की स्थिति वाले परितंत्र या पर्यावरण का रहता है।

(स) संपोषीय संकेतक – संपोषीय संकेतक मुख्यतः तीन सन्दर्भों में मानवीय मूल्याकंन को प्रदर्शित करते हैं प्रथम यह विद्यमान और सन्दर्भित मूल्यों के मध्य दूरी को व्यक्त करते हैं। द्वितीय यद्यपि सन्दर्भित मूल्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, फिर भी ये व्यक्तिगत और सामाजिक जोखिम आंकलन और अधिमानों के अपरिहार्य परिणाम हैं। कारण यह है कि पर्यावरण गुणवत्ता के अधिमान अलग हो सकते हैं। तृतीय, सम्पूर्ण पर्यावरणीय तंत्र के बारे में, जब कुल पोषणीय संकेतक पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं, तो दूसरी मूल्यांकन की समस्या सामने आ जाती है। समग्र रूप में, मूल संकेतकों का सम्बन्धित भार स्थापित किया जाना चाहिए। इन सम्मिलित संकेतकों के निर्माण की प्रणाली इस मूल्यांकन समस्या को व्यक्त करती है।

संपोषीय विकास के पैमाने

संपोषीय विकास को प्राप्त करने के लिये कुछ आवश्यक पैमाने तैयार किये गये हैं। संपोषीय विकास प्राप्ति के पैमाने निम्न प्रकार है :–

- जनसंख्या वृद्धि को रोकना,
- नवीन प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का प्रयोग।
- प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग।
- अपशिष्टों में कमी तथा प्रदूषण नियंत्रण।
- समन्वित पर्यावरण तंत्र प्रबंधन।
- बाजार अर्थव्यवस्था का शुद्धीकरण,
- शिक्षा का विकास।
- आम लोगों की प्रवृत्ति में परिवर्तन।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन।

उपरोक्त बिन्दुओं को लागू करके संपोषीय विकास की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। चित्रकूट प्रकल्प में संपोषीय विकास के लिये दीन दयाल शोध संस्थान द्वारा अनेक कार्य किये जा रहे है। चित्रकूट प्रकल्प में संपोषीय विकास के अंतर्गत किये जा रहे प्रमुख कार्य निम्न हैं :–

- पौधारोपण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम।
- मृदा संरक्षण विकास कार्यक्रम।
- जैविक कृषि विकास कार्यक्रम।
- वाटर शेड प्रबन्धन कार्यक्रम।
- फसल चक्र के नियमन का पालन।
- शुष्क कृषि विकास कार्यक्रम।
- जीव मंडल विकास कार्यक्रम।

निष्कर्ष

"संपोषीय विकास के सिद्धत, सामान्यतः आर्थिक विकास से आशय उत्पादन या राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लिया जाता है। किन्तु यह एक संकीर्ण विचाराधार है कारण यह है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों के अति–दोहन श्रमिकों का शोषण कर उत्पादन में वृद्धि करके तानाशाही तरीकों से उत्पादित में वृद्धि करके अथवा सरकार या प्रबन्धन में बिना किसी जन–भागीदारी के द्वारा भी की जा सकती है किन्तु यह संपोषीय विकास नहीं हैं, क्योंकि इससे प्राकृतिक संसाधन कुछ ही समय बाद समाप्त होने लगेंगे विषमताएं इतनी अधिक हागी कि उत्पादन एवं उपभोग पर कुछ ही व्यक्तियों का का अधिकार होगा, मानवीय विकास न्यूनतम स्तर पर होगा और सम्पूर्ण पर्यावरण कृषित हो जाएगा और मानवीय जीवन ही नहीं अन्य जीवों की जीवन भी कठिन एंव कष्टप्रद हो जाएगा। यही कारण है कि अब आर्थिक विकास के स्थान पर संपोषीय विकास को महत्व दिया जा रहा है। संमपोषणीय विकास खास तौर पर एक समग्र विकास की प्रक्रिया है जो पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी खासकर पानी की कमी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को इस इस

अवधारणा के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि पृथ्वी का आनम वाली पीढियों के लिए के लिए सुरक्षित रखा जा सके। संमपोषणीय विकास, विनिर्माण में खास तरीके के उत्पादन से दूसरे खास तरीके के उत्पादन तक की यात्रा है जो पहले के उपयोग और निष्पादन की अवधारणा से अलग है। इसमें पुनर्चकण (बने हुए उत्पादों से फिर से कोई उत्पाद बनाना या उपयोगी बनाना) और फिर से इस्तमाल और त्यक्त समानों से पुर्ननिर्माण को बढावा दिया जाता है ताकि इसके पर्यावण पर पड़ रहे नकरात्मक प्रभावों को कम किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवा के द्वारा समाज के एक बड़े वर्ग के जीवन स्तर को भी सुधारा जा सके। संमपोषणीय विकास की अवधारणा से भारतीय विनिर्माण क्षे़त्र को बहुत फायदा होने वाला है।

संदर्भ

उपाध्याय, दीनदयाल (2015), विशेषांक, युगानुकूल नवरचना पृष्ठ क्रं. 43

मीयर एवं वाल्डविन (1981) आर्थिक विकास पृष्ठ – 3

विलियमसन एवं बैट्रिक (1978) आर्थिक विकास का संरचना पृष्ठ– 7

भारत में आर्थिक पर्यावरण पृष्ठ क्रं. 42

भारद्वाज, कमल (2007) विकास एवं पर्यावरण का अर्थशास्त्र पृष्ठ क्रं. 381

महेश्वरी, पी.डी. एवं गुप्ता, शीलचंद (2007) भारत में आर्थिक पर्यावरण कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल पृष्ठ क्रं. 41–45

महेश्वरी, पी.डी. एवं गुप्ता, शीलचंद (2007) भारत में आर्थिक पर्यावरण कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल पृष्ठ क्रं. 44–45

भारव्दाज, कमल (2010), विकास एवं पर्यावरण का अर्थशास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ. क्रं. 379–388

"Under developed countries [1] "Under developed countries are those which compared with advanced countries are under equipped with capital in relation to their population and natural resources," Ragner Nurkse; Problems of capital formation in under developed countries,p-1

ग्रामीण सामाजिक संरचना (2010), "ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन" गुरूदेव उपाध्याय बी.एस.एस. पब्लिकेशन हाउस पृष्ठ क्रं. 1 से 5 ग्रामीण विकास एवं समाज

"Industrial development has a necessary and ultimately a large role to play in almost any sound development programme," Murray D, Brice, Industrial Development.

वनवासी ग्रामीणों की राजनैतिक संरचना
संदर्भ : पन्ना राष्ट्रीय उद्यान

शिवानी राय
शोधार्थी समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग डॉ. हरिसिंह विश्वविद्यालय सागर

पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत निवास कर रहे ग्रामीणवासियों में राजनैतिक–सामाजिक जागरूकता व संरचना पिछड़े व गरीब जनजातीय बहुल ग्रामों की भॉति ही है। साथ ही साथ इनकी मनोभावनायें पार्क के नियमों और व्यवसायों से नियन्त्रित भी हो रही है। परिणाम एवं संरचनाओं और जागरूकता का स्तर भी इससे प्रभावित होता है।

स्तरीकृत सामाजिक संरचना के अर्न्तगत इन सभी महत्वपूर्ण पक्षों में पर्याप्त स्तरीकरण पाया जाता है। सामाजिक विभाजन के अनुरूप यहॉ भी सर्वण/उच्च , पिछडें और अविकसित उपजातियो के मध्य पद विभाजन व गुणात्मक अन्तर यहॉ भी देखने की मिला है। जागरूकता का स्तर उत्पन्न किया है। समाज में स्थापित राजनैतिक संरचनाये विकसित नही है साथ ही इनकी विकासशीलता की गति भी उत्पन्न धीमी है। उल्लेखनीय है कि नेतृत्व, राजनैतिक दल एवं ग्राम सभा जैसी सामाजिक संरचनाओं की आधारभूत व्यवस्था में भी कियाशीलता का आभाव है।

चयनित ग्रामों के अन्तर्गत ग्रामीण राजनैतिक संरचना का स्वरूप निश्चित से अन्य जनजातीय बहुल गावों से अपेक्षाकृत भिन्न और जटिलता पूर्ण है। पार्क के अन्दर स्थित ग्रामों में व्यवस्था का एक बड़ा पक्ष पार्क के अधिकारियों से प्रभावित होता है। अधिकारियों की जनकल्याणकारी नीतियॉ और आय का स्तर इन संरचनाओं को अत्ंयत प्रभावित करता है।

ग्राम में राजनैतिक जागरूकता एवं सहभागिता का स्तर भी उत्पन्न किया है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण नेतृत्व भी अपेक्षाकृत कम विकसित हुआ है और जातीय प्रभाव भी समाज के सापेक्ष व आपस में अपेक्षाकृत अत्यन्त कम है।

राजनैतिक दलों के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन व गुटबन्दी का स्तर भी सामान्य से कम है। पार्क के नियन्त्रण में होने के कारण इन गतिविधियों के संचालन में भी पर्याप्त प्रभावशीलता बनी रहती है। राजनैतिक संस्थाये, संस्थागत प्रचार प्रसार व गतिविधियों के लिए भी बहुत कम ध्यान देते है। उनकी भूमिकाये भी यहाँ के लिये वरीयता के चौथे–पाँचवे चरण के लिये होती है।

प्रस्तुत अध्ययन में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत निवास कर रहे ग्रामीण जनों की राजनैतिक संरचना व जागरूकता के स्तर का अध्ययन करने के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं पर तथा संकलन करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय के विश्लेषण हेतु प्रमुख बिन्दु निम्न है –

1. ग्रामीण राजनैतिक संरचना का स्वरूप
2. ग्रामीण जनों में राजनैतिक जागरूकता एवं सहभागिता
3. ग्रामीण नेतृत्व में जातीय प्रभाव एवं गुटबन्दी
4. ग्रामीण राजनैतिक संस्थायें व उनकी भूमिका

1. ग्रामीण राजनैतिक संरचना का स्वरूप –

पन्ना जिले के राष्ट्रीय उद्यान में ग्रामों में निवास करने वाले ग्रामवासियों के मध्य निर्मित राजनैतिक गतिविधियाँ अत्यन्त कम व सिर्फ स्थानीय व्यक्तिगत/सामूहिक हितो की पूर्ति तक ही सीमित है। स्थानीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष व नियम का विभाग के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान द्वारा संचालित है इसलिये नियम व व्यवस्थ जैसा पहलू इन्ही से जुड़ा हुआ है। राजनैतिक दल, राजनतिक जनप्रतिनिधि एवं राजनैतिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण सकीयता नही है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि कुल 13 ग्रामों में इनकी जनसंख्या 3,418 ही है और ये भी मुख्य धारा से अलग है। इसलिये प्रभावशीलता की कमी है। किन्तु यहाँ यह उल्लेखनीस है कि गत वर्षो से जब से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के ग्रामों के

विस्थापन कार्यो की चर्चा से राजनैतिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक सकीयता बढ़ी है और ग्रामवासियों के हितों की पूर्ति के लिये उन्होने सहयोग प्रदान किया है।

अतः हम निर्णायक रूप में यह कह सकते है कि स्थानीय स्तर पर राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप अत्यन्त कम, सरल और स्पष्ट है। संरचनाओं का निर्माण स्थानीय स्वाभाविक विशिष्टतायों के अन्तर्गत हुआ है। ग्राम सभा, पंचायतराज प्रणाली आदि इसका उदाहरण है। राष्ट्रीय राजनैतिक दलो की स्थिति सामान्य से कम है। स्थितियॉ सरल और स्पष्ट हैं। विस्थापन एक प्रमुख आवश्यकता है व्यवस्था वन विभाग द्वारा संचालित है – इसलिये भी इनका क्षेत्र भी व्यापक नही है।

2. ग्रामीण जनों में राजनैतिक जागरूकता एवं सहभागिता –

पन्ना जिले में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के ग्रामीण जनों में राजनैतिक संरचनाओं के स्वरूप की भांति ही जागरूकता व सहभागिता की स्थिति है। राजनैतिक रूपों की कियाशीलता का अभाव संस्थागत संरचनाओं का अभाव व उत्पन्न कम आवश्यकता के स्वरूप ने स्थानीय स्तर पर जागरूकता और सहभागिता को उत्पन्न कम किया है। किसी भी समाज में राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता में वृध्दि वहाँ स्थिति संस्थागत स्वरूप व गतिविधियों पर निर्भर करती है। आवगमन सुविधा का अभाव, अशिक्षा वन नियमों आधारित जीवन पध्दति आदि विशिष्टतायें है जिने परिणाम स्वरूप राजनैतिक जागरूकता, व सहभागिता में स्वाभाविक प्रगति का भी परिलक्षित नही होती है।

शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण जनों के मध्य विभिन्न बिन्दुओं पर राजनैतिक स्तर की जागरूकता व राजनैतिक क्षेत्र में सहभागिता का अध्ययन करने का प्रयास किया। जिन प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा हुई और विश्लेषण के लिये संकलित किये जा सके वे निम्नलिखित है –

1. राजनैतिक जागरूकता के प्रमुख विषयों की स्थिति (पुनर्वास व्यवस्था के नियमों और वित्तीय प्रावधानों की जानकारी का स्तर एवं कार्यो के प्रति लगाव का स्तर, पार्क के नियमों और प्रावधानों की जानकारी एवं ग्राम पंचायत प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर की जानकारी का स्तर)।
2. चुनावों में प्रत्यासी चयन का आधार
3. चुनावों में मताधिकार का प्रयोग
4. स्थानीय ग्राम पंचायत व्यवस्था में सहभागिता, कार्यों के प्रति दृष्टिकोण और संतुष्टि का स्तर।

इस प्रकार ग्रामीण जनों में राजनैतिक जागरूकता एवं सहभागिता के अध्ययन के लिये उपयुक्त चार बिन्दु पाप्त हुये है जिनका कमशः वर्णन निम्नानुसार किया जा रहा है। राजनैतिक जागरूकता के रूप में प्रमुख विषयों की स्थिति अन्तर्गत शोधार्थी को प्रमुख रूप से तीन विषय प्राप्त हुये है –

1. पुनर्वास के प्रकिया की जानकारी विषयक जागरूकता
2. राष्ट्रीय उद्यान के नियमों की जानकारो जागरूक्कता
3. ग्राम पंचायत प्रणाली की जानकारी विषयक जागरूकता अध्ययन के लिये चयनित ग्रामों के अन्तग्रत उपर्युक्त प्राप्त विषयों में जागरूकता संबंधि अध्ययन किया गया एंव प्राप्त तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित सारणी विकसित की गई है –

सारणी क. – 1

राजनैतिक जागरूकता की स्थिति

राजनैतिक मुद्दे	निदर्शित संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या
पुनर्वास की प्रकिया की जानकारी	100	62
पार्क के नियमों की जानकारी	100	56
ग्राम पंचायत की जानकारी	100	87

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित ग्रामों के अन्तर्गत ग्रामीण जनों में 82 प्रतिशत परिवारों की प्रकिया की जानकारी शेष 8 प्रतिशत परिवारों को भी पुनर्वास की जानकारी तो है किन्तु प्रकिया के बारे में वे अनभिज्ञ है उल्लेखनीय है कि शोधार्थी ने प्रकिया के लिये अलग से अध्ययन किया है। सारणी कमांक 5.2 जिससे यह स्पष्ट है कि 24 प्रतिशत परिवारों को प्रकिया का अत्यन्त कम ज्ञान हैं यहाँ पर स्पष्ट

है कि 24 प्रतिशत परिवारों को प्रकिया का अत्यन्त कम ज्ञान है यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि इसमें वे 8 प्रतिशत शामिल है जिन्हें पुनर्वास की प्रकिया के संदर्भ में अनभिज्ञता है। 56 प्रतिशत ग्रामीण जनों को पार्क के नियमों की जानकारी है वे इसका पालन भी करते है। नियमों के बारे में यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जन कल्याणकारी योजना व नियमों की जानकारी का अभाव रहता है। नियंत्रण व व्यवस्था संबंधि नियमों की जानकारी अधिक है जीवन यापन व्यवस्था, चारागाह की व्यवस्था, सिंचाई हेतु जल का उपयोग, जल प्रंबधन आदि ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित विकास व कल्याणकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिये अधिकांशतः छोटे अधिकारियो पर निर्भर रहना होता है। ग्रमा के 87 प्रतिशत व्यक्तियों को ग्राम पंचायत व्यवस्था की जानकारी है। ग्राम पंचायत चुनाव, कार्य संचालन से ग्रामवासी परिचित जहै। योजनाओं से लाभ के संबंध में यहाँ भी उल्लेखनीय है। कि किसी विशिष्ट प्रयास के अंतर्गत कोई उपलब्धि या वज्ञानिक कार्य नही कराये गये है। स्वभाविक प्रयास व सामान्य प्रकिया के अंतर्गत ही कार्य कराया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि यहा से पुनर्वास या विस्थापन प्रस्तावित होने के कारण यह भी है कि यहा से पुर्नवास या विस्थापन प्रस्ताति होने के कारण शासन स्तर से भी नये कार्य नही प्रारंभ किया जा सके। इस दिशा में ऐसी ही स्थिति ग्रामवासियों की भी है। कि वे स्वंय ही इस दुविधा में होने के कारण अपने लिये कोई निर्माण कार्य यथा मकान, कुआ, वृक्षारोपण महत्व आदि नही दे पा रहे है।

Referenses :

उपाध्याय विजय शंकर	''जनजातीय विकास''	2002 : हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल एवं पाण्डेय गया
फादर बुलके, कामिल	—	अंग्रेजी हिन्दी शब्द कोष, 1988
दास, शिवतोष	''भारत की जनजातियाँ''	दिल्ली : 1980, किताब घर नई दिल्ली
सिंह, अरूण कुमारी	''जनजातीय समाज में स्त्रियाँ''	जयपुर : 1991, रावत प्रकाशन
आदिवासी विकास परिषद	''वन्यांचल''	1986–1994 भोपाल, मध्यप्रदेश आदि.वि. परिषद
रायजादा, अजित	''ट्राइबल डेव्लपमेन्ट इंटर इंडिया पब्लिकेशन, इन मध्यप्रदेश''	नई दिल्ली : 1984
माथुर एच.एम.	''डिवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन''	राजस्थान : 1976 इन ट्राइबल एरिया राजस्थान